



सत्यमेव जयते

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन
राजस्व क्षेत्र
पर

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए



हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-5

राजस्व क्षेत्र
पर
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन

31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए

हिमाचल प्रदेश सरकार
वर्ष 2017 का प्रतिवेदन संख्या-5

विषय-सूची		
विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ
प्रस्तावना		v
विहंगावलोकन		vii-xi
अध्याय-I: सामान्य		
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	1
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	4
निर्धारणों में बकाया	1.3	5
विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन	1.4	5
प्रत्यर्पण मामले	1.5	6
लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	6
विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें	1.6.2	7
प्रारूप लेखापरीक्षा परिच्छेदों के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया	1.6.3	8
लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति	1.6.4	8
लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण	1.7	9
निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति	1.7.1	9
स्वीकार किए गए मामलों में वसूली	1.7.2	10
विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार की गई सिफारिशों पर की गई कार्रवाई	1.7.3	10
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.8	11
लेखापरीक्षा योजना	1.9	11
लेखापरीक्षा परिणाम	1.10	11
इस प्रतिवेदन की कवरेज	1.11	12
अध्याय-II: बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर		
कर प्रशासन	2.1	13
लेखापरीक्षा परिणाम	2.2	13
'हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिक परियोजना का कार्यान्वयन (हिमटास) ' पर लेखापरीक्षा	2.3	14-27
प्रवेश कर का कम लगाना	2.4	28
सकल बिक्री का गलत निर्धारण	2.5	28
सकल बिक्री का गलत निर्धारण	2.6	29
कार्य अनुबंध कर की अल्प-कटौती	2.7	30

किराया प्रभारों की अमान्य कटौती तथा प्रवेश कर का अनुद्ग्रहण	2.8	31
कार्य अनुबंधों में श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति	2.9	32
गणना की गलती के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण	2.10	33
मनोरंजन शुल्क की अवसूली	2.11	34
अध्याय-III: राज्य आबकारी		
कर प्रशासन	3.1	37
लेखापरीक्षा परिणाम	3.2	37
'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	3.3	38-63
नवीकरण फीस का भुगतान किये बिना लाइसेंसों का नवीकरण	3.4	64
न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना	3.5	65
लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना	3.6	66
शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली	3.7	66
अध्याय-IV: स्टॉम्प शुल्क		
कर प्रशासन	4.1	69
लेखापरीक्षा परिणाम	4.2	69
निर्मित ढांचों पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली	4.3	70
सम्पतियों के बाजारी मूल्य का अल्प-निर्धारण	4.4	71
औद्योगिक इकाईयों के बिक्री विलेखों पर स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली	4.5	72
स्टॉम्प शुल्क की गलत दर लागू करना	4.6	73
अध्याय-V: वाहन, माल व यात्री कर		
कर प्रशासन	5.1	75
लेखापरीक्षा परिणाम	5.2	75
सांकेतिक कर की अवसूली	5.3	76
विशेष पथकर की अवसूली/अल्प-वसूली	5.4	77
यात्री व माल कर की अवसूली	5.5	78
आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना	5.6	79
अतिरिक्त माल कर का उद्ग्रहण एवं संग्रहण न करना	5.7	80

विवरण		संदर्भ	
		परिच्छेद	पृष्ठ
अध्याय-VI: वन प्राप्तियां			
कर प्रशासन		6.1	83
लेखापरीक्षा परिणाम		6.2	83
मनमाने ढ़ग से रोकी गई रॉयल्टी की मांग न उठाना		6.3	84
अंतर रेज़िन रॉयल्टी का भुगतान न करना		6.4	85
रॉयल्टी के अल्प-भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण		6.5	86
अनुलग्नक			
I	राजस्व प्राप्तियों की प्रवृति	1.1.2	89
II	परिचय	2.3.1	90
III	मूल्य वर्धित कर-आई. टी. परियोजना की वित्तीय स्थिति	2.3.4	90
IV	डाटा रूपान्तरण संपदा	2.3.6	91
V	वेब-पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां (एप्लीकेशन)	2.3.16	92
VI	वेब-पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां (वेब-पोर्टल)	2.3.16	93
VII	सांकेतिक कर की अवसूली	5.3	93
VIII	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों को पंजीकरण न करवाना	5.6	94

प्रस्तावना

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

इस प्रतिवेदन में राजस्व क्षेत्र के अंतर्गत प्रमुख राजस्व प्राप्त करने वाले विभागों के राजस्व एवं व्यय की नियंत्रक-महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियाँ एवं सेवा की शर्तों) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत की गई लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण परिणाम सम्मिलित हैं।

इस प्रतिवेदन में वे उदाहरण वर्णित हैं जो 2016-17 की अवधि के दौरान की गई लेखापरीक्षा जांच में सामने आए, साथ ही वे जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किये जा सके थे। जहां कहीं अनिवार्य है, 2016-17 के पश्चात् की अवधि से सम्बंधित उदाहरणों को भी सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किये गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप आयोजित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर, राज्य आबकारी, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस, यात्री तथा माल कर और रॉयल्टी के अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण से सम्बंधित ₹269.46 करोड़ राजस्व से अंतर्विष्ट एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 पैराग्राफ सम्मिलित है।

I. सामान्य

वर्ष 2016-17 की सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां विगत वर्ष की ₹23,440.48 करोड़ की तुलना में ₹26,264.34 करोड़ थी। इसमें से 33 प्रतिशत कर राजस्व (₹7,039.05 करोड़) तथा कर-भिन्न राजस्व (₹1,717.24 करोड़) के माध्यम से जुटाई गई थी। शेष 67 प्रतिशत विभाज्य संघीय करों के राज्यांश (₹4,343.70 करोड़) तथा सहायता अनुदानों (₹13,164.35 करोड़) के रूप में भारत सरकार से प्राप्त किया गया। विगत वर्ष के प्रति राजस्व प्राप्तियों में बढ़ौतरी ₹2,823.86 करोड़ थी।

(पैराग्राफ 1.1)

वर्ष 2016-17 के दौरान बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियां की 138 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना-जांच से 832 मामलों में कुल ₹344.45 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि उद्घाटित हुई। वर्ष के दौरान सम्बंधित विभागों ने 290 मामलों में ₹7.32 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 275 मामलों में ₹4.31 करोड़ की राशि की वसूली की गई, उसमें से 269 मामलों में ₹4.30 करोड़ विगत वर्षों के निष्कर्षों से संबंधित थे तथा छः मामलों में ₹1.09 लाख की राशि वर्ष 2016-17 के निष्कर्षों से संबंधित थी।

(पैराग्राफ 1.10)

II बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

लेन-देन लेखापरीक्षा

आबकारी एवं कराधान विभाग ने जून 2010 में ₹20.19 करोड़ के वित्तीय परिव्यय से अंतर्ग्रस्त कर कानूनों की अनुपालना में सुधार, संबद्ध कर प्रशासन को स्वचालित करने तथा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के साथ इन्टरफेस हेतु मूल्य वर्धित कर तथा संबद्ध प्रक्रियाओं का कम्प्यूटीकरण प्रारम्भ किया था। विभाग ने अगस्त 2011 से जनवरी 2015 के मध्य वैब-पोर्टल सहित 23 माड्यूलों को प्रारम्भ किया था। तथापि, मूल्य वर्धित कर निर्धारणों का दीर्घ लम्बन के मद्देनजर बैकएंड माड्यूल का प्रयोग कम था तथा प्रक्रियाओं को अब भी मैनुअल तरीके से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गो-लाइव, प्रणाली आवश्यकता विनिर्देश (एस.आर.एस.), उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यू.आर.एस.), सॉफ्टवेयर डिजाइन दस्तावेज (एस.डी.डी.) को हस्ताक्षर करना, लैगैसी डाटा कनवर्जन तथा अंतिम स्वीकृति परीक्षण भी लम्बित थे। 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. की शुरूआत पर जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित 'क्रियान्वयन माडल-2' के प्रयोग के लिए विभाग के विकल्प के मद्देनजर परियोजना की स्थापना पर ₹20.19 करोड़ का व्यय परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में अनुत्पादक विफल रहा।

(पैराग्राफ 2.3)

उद्ग्रहण योग्य ₹2.41 करोड़ के प्रवेश कर के प्रति ₹1.38 करोड़ के प्रवेश कर को उद्ग्रहित किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ का प्रवेश कर कम लगाया गया।

(पैराग्राफ 2.4)

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यापारी के कर निर्धारण के दौरान सकल बिक्री से ₹6.39 करोड़ की आय को निकालने के परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उदग्रग्रह्य था।

(पैराग्राफ 2.5)

सकल बिक्री में से ₹61.42 करोड़ का अवनिर्धारण/आय को निकालने के कारण राज्य सरकार को ₹7.68 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.6)

उप-संविदा भुगतानों पर कार्य अनुबंध कर की कटौती न करने के कारण ₹3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.7)

कार्य अनुबंधों के लिए उपभोज्य खरीद की अमान्य कटौती तथा अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹77.58 लाख के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 2.8)

श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति तथा छोटे संवीदाकारों के भुगतान के लिए कटौती के परिणामस्वरूप ₹3.46 करोड़ के कर के रूप में अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 2.9)

निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए कर-योग्य सकल बिक्री को लागू दरों पर निर्धारित किया परन्तु ₹2.37 करोड़ की वास्तविक देयता के प्रति ₹1.30 करोड़ के निर्गम कर को परिकलित किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 2.10)

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिससे कम से कम ₹9.93 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

(पैराग्राफ 2.11)

III. राज्य आबकारी

‘शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित आबकारी विभाग के कार्यचालन’ पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा में ₹132.46 करोड़ की राशि के आबकारी शुल्क की हानि, लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण तथा अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण न करना इत्यादि, मामले सामने आए। कुछ मुख्य निष्कर्ष नीचे दिये गए हैं:

नियमों में बिना किसी प्रावधान किये बीयर उत्पादन में अपशिष्ट को अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹2.44 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.3.8)

एक राज्य में 29 बिक्री केन्द्रों को उनकी कार्यक्षमता की तुलना में शराब के कोटे का अल्प आवंटन अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹4.12 करोड़ की लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

(पैराग्राफ 3.3.10)

वर्ष 2015-16 के दौरान 73 बिक्री केन्द्रों द्वारा शराब कोटे को अधिक उठाने के कारण ₹1.82 करोड़ की लाइसेंस फीस की हानि हुई।

(पैराग्राफ 3.3.11)

विभाग ने ₹57.10 करोड़ की वसूली योग्य लाइसेंस फीस के प्रति ₹47.09 करोड़ की लाइसेंस फीस की वसूली की थी, जिसके परिणामस्वरूप दो राज्यों के नौ लाइसेंसधारियों से ₹10.01 करोड़ की लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 3.3.13)

पांच राज्यों के 358 बिक्री केन्द्रों द्वारा न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर विभाग ने ₹4.94 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.3.14)

तीन शराब की भट्टियों द्वारा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के उत्पादन पर विभाग ने ₹18.29 करोड़ के आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.3.16)

सिरमौर राज्य की शराब भट्टी द्वारा बीयर को निर्यात करने पर विभाग ने ₹8.46 करोड़ के आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया।

(पैराग्राफ 3.3.17)

लेनदेन लेखापरीक्षा

अपेक्षित नवीकरण फीस का भुगतान किये बिना विभाग ने विभिन्न लाइसेंसो को नवीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ की अल्प-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 3.4)

पांच सौ बत्तीस (532) बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 4,86,054 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर ₹1.62 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹15.91 लाख की शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

(पैराग्राफ 3.5)

लाइसेंस फीस का विलम्ब से भुगतान किये जाने पर ₹33.31 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज की अवसूली हुई।

(पैराग्राफ 3.6)

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 149 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹10.13 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

(पैराग्राफ 3.7)

IV. स्टाम्प शुल्क

आवासीय इकाईओं के निर्मित ढांचे के लिए गलत बाज्जारी दर को अपनाने के कारण ₹92.03 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 4.3)

क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्रों के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹37.76 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹18.88 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण योग्य थी।

(पैराग्राफ 4.4)

नये औद्योगिक उद्यमों को स्थापित करने की पुष्टि किये बिना औद्योगिक इकाईयों के बिक्री विलेखों पर 50 प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क की छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹60.68 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली।

(पैराग्राफ 4.5)

बिक्री विलेखों में स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किये जाने के कारण 314 मामलों में ₹28 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 4.6)

V. वाहन, माल व यात्री कर

वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए 12,365 वाहनों के संदर्भ में ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

(पैराग्राफ 5.3)

विशेष पथ कर की ₹22.39 करोड़ की राशि को हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 5.4)

2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹1.10 करोड़ की राशि के माल व यात्री कर का न तो 1,911 वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी।

(पैराग्राफ 5.5)

संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण 2,961 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.13 करोड़ की राशि के यात्री व माल कर की गैर-वसूली हुई।

(पैराग्राफ 5.6)

तीन सीमेंट कम्पनियां, जिन्होंने सीमेंट एवं क्लीन्कर के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों तक चूना पत्थर तथा सलेटी पत्थर का परिवहन किया, द्वारा ₹39.37 करोड़ के अतिरिक्त माल कर का न तो भुगतान किया गया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई।

(पैराग्राफ 5.7)

VI. वन प्राप्तियां

विभाग ₹31.12 करोड़ की रोकी गई रॉयल्टी की राशि को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड से वसूल करने में विफल रहा।

(पैराग्राफ 6.3)

रेजिन सत्र 2014 के लिए रेजिन रॉयल्टी की अंतर राशि की मांग उठाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.48 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

(पैराग्राफ 6.4)

₹6.52 करोड़ की रॉयल्टी के अल्प-भुगतान पर ₹70.47 लाख के ब्याज का नवम्बर 2015 से जून 2016 तक विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

(पैराग्राफ 6.5)

अध्याय-I
सामान्य

अध्याय-I सामान्य

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2016-17 के दौरान जुटाए गए कर एवं गैर-कर राजस्व, वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता-अनुदान तथा राज्य को समनुदेशित विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय का राज्यांश एवं विगत चार वर्षों के तदनुसूची आंकड़े नीचे दर्शाए गए हैं:

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

₹ करोड़ में						
क्रम संख्या	विवरण	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17
1.	राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व					
	कर राजस्व	4,626.17	5,120.91	5,940.16	6,695.81	7,039.05
	गैर-कर राजस्व	1,376.88	1,784.53	2,081.45	1,837.15	1,717.24
	योग	6,003.05	6,905.44	8,021.61	8,532.96	8,756.29
2.	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का अंश	2,282.02	2,491.53	2,644.17	3,611.17	4,343.70 ¹
	सहायता अनुदान	7,313.07	6,314.11	7,177.67	11,296.35	13,164.35
	योग	9,595.09	8,805.64	9,821.84	14,907.52	17,508.05
3.	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)	15,598.14	15,711.08	17,843.45	23,440.48	26,264.34
4.	1 से 3 की प्रतिशतता	38	44	45	36	33

यह देखा गया कि वर्ष 2016-17 के दौरान राज्य सरकार द्वारा जुटाया गया राजस्व (₹8,756.29 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 प्रतिशत था। भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों तथा शुल्कों की निवल आय का राज्यांश तथा सहायता-अनुदान के रूप में वर्ष 2016-17 के दौरान प्राप्तियों का शेष 67 प्रतिशत प्राप्त हुआ था। राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष पर ₹2,823.86 करोड़ की वृद्धि थी।

1.1.2 बजट आकलनों का ब्यौरा जुटाए गए कर राजस्व के साथ-साथ 2012-13 से 2016-17 की अवधि के दौरान नीचे दर्शाया गया है:

¹ विवरण के लिए कृपया वर्ष 2016-17 के हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त लेखों में विवरणी संख्या-14-‘लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों का सविस्तृत विवरण’ देखें। कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तकित आंकड़े, मुख्य प्राप्ति शीर्ष-0020-निगम कर, 0021-निगम कर के अतिरिक्त आय पर कर, 0032-सम्पत्ति कर, 0037-सीमा शुल्क, 0038-संघीय आबकारी शुल्क तथा 0044-सेवा कर तथा 0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर उप शीर्ष-901-क-कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तकित राज्य को समनुदेशित निवल आगमों के अंश के अंतर्गत आंकड़े जुटाए गए राजस्व से निकाल दिए गए हैं तथा विभाज्य संघीय करों के राज्यांश में सम्मिलित किए गए।

तालिका-1.2: जुटाए गए कर राजस्व का विवरण

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	₹ करोड़ में										
		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2016-17 में वृद्धि (+) या कमी (-) 2015-16 वास्तविक के प्रति प्रतिशतता
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्तियां	
1.	बिक्री एवं व्यापार पर कर	3,161.57	2,728.22	3,232.90	3,141.10	3195.62	3660.57	3,937.01	3,992.99	4,715.67	4,381.91	10
2.	राज्य आबकारी	800.14	809.87	949.46	951.96	940.74	1,044.14	1,137.73	1,131.22	1,274.26	1,307.87	16
3.	मोटर वाहन कर	215.39	196.13	246.88	207.81	214.14	220.10	227.15	317.05	305.73	279.58	(-) 12
4.	स्टाम्प शुल्क	159.05	172.61	201.22	187.50	209.11	190.58	215.40	205.52	247.77	209.16	2
5.	विद्युत पर कर एवं शुल्क	217.03	262.63	248.77	191.36	262.01	332.82	308.45	551.06	339.30	371.67	(-) 33
6.	भू-राजस्व	4.01	23.60	4.00	9.98	15.12	16.88	15.66	7.43	18.01	7.64	3
7.	अन्य	500.23	433.11	489.76	431.20	386.56	475.07	499.39	490.54	568.64	481.22 ²	(-) 2
	योग	5,057.42	4,626.17	5,372.99	5,120.91	5,223.3	5,940.16	6,340.79	6,695.81	7,469.38	7,039.05	5

स्रोत: वित्त लेखे

यह देखा गया कि राज्य सरकार के कर राजस्व में 2012-13 में ₹4,626.17 करोड़ से 2016-17 में बढ़कर ₹7,039.05 करोड़ हो गया। बिक्री एवं व्यापार पर कर (62 प्रतिशत) एवं राज्य आबकारी (19 प्रतिशत) राज्य करों के मुख्य योगदानकर्ता थे। पिछले पांच वर्षों में भू-राजस्व ₹23.60 करोड़ से गिरकर ₹7.64 करोड़ हो गया। सम्बंधित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नता के लिए निम्नांकित कारण प्रतिवेदित किये:

बिक्री और व्यापार पर कर: बेहतर कर प्रशासन, पुराने बकायों की वसूली तथा इलैक्ट्रॉनिक एन्जीनी मीटरों पर प्रवेश कर की दरों में बढ़ौतरी के कारण वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, फरवरी 2017 से ई-कॉमर्स पर प्रवेश कर को उद्ग्रहण करना था।

राज्य आबकारी: आधार मूल्य की तुलना में प्रतिस्पर्धी बोलीकर्ताओं द्वारा बिक्री केन्द्रों की नीलामी शुरू करते ही उच्चतर मूल्यों पर बोली लगाने तथा वार्षिक लाइसेंस फीस/नवीकरण फीस एवं सभी नियत की गई फीसों में 10 प्रतिशत की बढ़ौतरी करने के कारण वृद्धि हुई।

गैर-कर राजस्व उद्ग्रहण का विवरण 2012-13 से 2016-17 की अवधि को नीचे दर्शाया गया है:

² कर राजस्व के अंतर्गत पुस्तान्कित आंकड़े, मुख्य राजस्व शीर्ष - "0042-माल एवं यात्री कर": ₹121.37 करोड़ तथा "0045- अन्य कर एवं सेवाओं तथा उपयोगी वस्तुओं पर कर": ₹359.85 करोड़ के अंतर्गत राशियां।

तालिका-1.3: जुटाए गए गैर कर राजस्व का विवरण

क्रम सं०	राजस्व शीर्ष	₹ करोड़ में										
		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2016-17		2016-17 में वृद्धि (+) या कमी (-) वास्तविक के प्रति प्रतिशतता
		बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्ति	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्ति	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्ति	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्ति	बजट प्राक्कलन	वास्तविक प्राप्ति	
1.	विद्युत	1,243.00	637.15	1,470.25	696.29	605.00	1,121.51	650.00	923.68	700.00	650.93	(-) 30
2.	ब्याज प्राप्ति	125.56	69.90	176.44	118.61	69.96	100.93	70.93	93.84	78.25	145.56	55
3.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	137.94	147.90	151.10	114.08	140.00	161.52	140.00	155.08	168.00	176.22	14
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	75.31	63.90	86.45	357.83	73.16	115.78	73.16	34.47	87.79	18.50	(-) 46
5.	लोक निर्माण कार्य	38.89	39.72	42.59	34.75	43.44	34.13	45.97	43.00	50.57	54.60	27
6.	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	33.39	45.71	35.09	25.95	35.79	35.57	36.74	32.81	40.41	42.63	30
7.	पुलिस	21.03	20.63	29.57	34.65	38.16	39.83	47.78	48.53	56.47	50.50	4
8.	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	7.13	11.21	8.59	5.04	11.86	3.35	8.67	5.72	9.54	10.71	87
9.	सहकारिता	3.46	3.24	4.48	15.30	3.66	8.67	2.90	14.77	2.90	12.51	(-) 15
10.	विविध सामान्य सेवाएं	1.87	8.94	1.99	5.65	2.12	3.41	2.18	19.37	2.40	2.35	(-) 88
11.	मुख्य एवं मध्यम सिंचाई	0.81	0.33	0.81	0.37	0.81	0.17	0.89	0.21	0.98	0.39	86
12.	अन्य गैर कर प्राप्ति	314.21	328.25	385.18	376.01	364.83	456.58	427.96	465.67	470.80	552.34 ³	19
	योग	2,002.60	1,376.88	2,392.64	1,784.53	1,388.79	2,081.45	1,507.18	1,837.15	1,668.11	1,717.24	(-) 7

स्रोत: वित्त लेखे

यह पाया गया कि गैर-कर राजस्व वर्ष 2015-16 में ₹1,837.15 करोड़ से गिरकर 2016-17 में ₹1,717.24 करोड़ हो गया। संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान विभिन्नता के निम्नांकित कारण प्रतिवेदित किये थे:

विद्युत: राजस्व में वृद्धि वर्ष 2014-15 के दौरान पिछले वर्षों में मुफ्त विद्युत के बकाया को जमा करवाने, मुफ्त विद्युत की कम आपूर्ति तथा अन्य राज्यों का अधिक बिजली की बिक्री करने के कारण थी। जबकि विद्युत के बिक्री मूल्य में 2015-16 के ₹2.95 प्रति इकाई से घटकर 2016-17 में ₹2.66 प्रति इकाई होने के कारण आय में कमी थी।

अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग: मुख्य एवं लघु खनिजों की रॉयल्टी दरों में बढ़ौतरी तथा खनिजों की अधिक खपत/उपयोग के कारण इनका अधिक दोहन करने के कारण आय में वृद्धि थी। इसके अतिरिक्त, विभिन्न पट्टाधारियों ने खनन पट्टा के लिए पर्यावरणीय मंजूरी प्राप्त करने के उपरान्त खनन गतिविधियों को आरम्भ कर दिया था।

पुलिस: प्रतिबंधित सड़कों पर वाहन चलाने के लिए जारी किये गए सड़क परमितों के लिए लाइसेंस फीस की प्राप्ति और बकायों एवं शुल्कों तथा लम्बित वसूलियों के भुगतान करने के कारण वृद्धि थी।

चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य: औषधियों के निर्माण एवं विविध प्राप्ति तथा निदेशक स्वास्थ्य सुरक्षा एवं विनियामक संस्थान के द्वारा राजस्व प्राप्ति को सरकारी राजकोष में जमा करने के कारण वृद्धि थी।

³ विवरण अनुलग्नक-1 में दिया गया है।

सहकारिता: राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम, नई दिल्ली, द्वारा प्रदेश में चल रही एकीकृत सहकारिता विकास परियोजनाओं के क्रियान्वयन के संचालन हेतु राज्य सरकार को कम अनुदान की प्रतिपूर्ति कमी का कारण था ।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में प्राप्तियों में विविधता के लिए कारण सूचित नहीं किए थे (दिसम्बर 2017) ।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

कुछ मुख्य राजस्व शीर्षों में 31 मार्च 2017 को राजस्व के बकाया की राशि ₹3,554.30 करोड़ थी जिसमें से ₹170.67 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.4: राजस्व का बकाया

				₹ करोड़ में
क्रमांक	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2017 को कुल बकाया राशि	31 मार्च 2017 को 5 वर्षों से अधिक समय से बकाया राशि	विभाग के उत्तर
1.	बिक्री और व्यापार पर कर	2,984.08	119.43	भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹2,560.40 करोड़ बकाया वसूली हेतु प्रेषित किया गया था, ₹88.95 करोड़ न्यायालय द्वारा रोका गया, ₹16.56 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थी, ₹24.11 करोड़ बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे, ₹55.47 करोड़ अपील के अंतर्गत लंबित थी। ₹238.59 करोड़ अन्यो से वसूली योग्य थी।
2.	जलापूर्ति, स्वच्छता, आवास एवं लघु सिंचाई	288.27	0.0	कुल बकाया में से जलापूर्ति हेतु ₹277.10 करोड़ नगर निगम/समितियों तथा अधिसूचित क्षेत्र समितियों, ₹8.75 करोड़ तथा ₹77 लाख क्रमशः गैर-सरकारी निकायों व सरकारी विभागों तथा ₹1.65 करोड़ लघु सिंचाई से सम्बंधित थे।
3.	राज्य आबकारी	86.40	13.22	भू-राजस्व बकाया के रूप में ₹44.70 करोड़ बकाया वसूली हेतु प्रेषित किया गया, ₹4.53 करोड़ न्यायालय द्वारा रोका गया था, ₹1.04 करोड़ सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थी, ₹35.91 करोड़ बोलीकर्ताओं/लाइसेंसधारकों/अन्यों से वसूली योग्य तथा ₹22 लाख बट्टे खाते में डालने हेतु प्रस्तावित थे।
4.	वानिकी एवं वन्य जीवन	68.09	14.89	ठेकेदारों एवं भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूल करने हेतु ₹2.78 करोड़ का बकाया समाहर्ता को भेजे गए मामलों से संबंधित थी, इनमें से कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन थे। हिमाचल प्रदेश राज्य वित्तीय विकास निगम लिमिटेड से वसूली योग्य ₹65.05 लाख तथा ₹25.80 लाख की राशि अन्य सरकारी विभागों से संबंधित थी।
5.	माल एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	65.75	12.71	₹39.26 करोड़ का बकाया भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रेषित किया गया था, ₹9.43 करोड़ को न्यायालय द्वारा रोका गया था, ₹5.65 करोड़ की राशि अपील के अंतर्गत लंबित थी तथा ₹11.41 करोड़ की राशि अन्यो से वसूली योग्य थी।
6.	पुलिस	39.37	0.30	बकाया वर्ष 1971-72 से संचित था। इसमें से ₹28.96 लाख की राशि जे. पी. सीमेंट प्लांट लिमिटेड से संबंधित थी, ₹2.90 लाख विभिन्न न्यायालयों से संबंधित थी, ₹5.57 करोड़ बी.बी.एम.बी. से संबंधित थी तथा शेष राशि ₹33.48 करोड़ अन्य विभागों/संस्थानों से संबंधित थी।
7.	ग्राम तथा लघु उद्योग	8.48	2.41	बकाया वर्ष 1989-90 से संचित था। बकाया प्लॉट्स (औद्योगिक क्षेत्र) के प्रीमियम आदि से सम्बंधित हैं।

8.	माल एवं यात्री कर	7.06	6.29	कुल बकाया में से ₹3.37 करोड़ को भू-राजस्व बकाया के रूप में वसूली हेतु प्रेषित किया गया था, ₹12.00 लाख को न्यायालय द्वारा रोका गया था, ₹11.17 लाख की राशि सरकारी विभागों/उपक्रमों/बोर्डों से वसूली योग्य थी ₹7.00 लाख को बट्टे खातों में डालने हेतु प्रस्तावित किया गया तथा ₹3.39 करोड़ अन्यों से वसूली योग्य थी।
9.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	5.53	0.59	बकाया वर्ष 1999 से संचित था। ₹1.85 करोड़ का बकाया निगमों/ बोर्डों/उपक्रमों से, ₹3.56 करोड़ सरकारी विभागों से तथा ₹12.41 लाख एन.आर.एच.एम. से वसूली योग्य थे।
10.	अलौह, खनन व धातुकर्म उद्योग	0.79	0.57	बकाया वर्ष 1970-71 से संचित था। बकाया रॉयल्टी/ड्रिलिंग प्रभारों आदि की वसूली के संदर्भ में खनन कार्यालयों और आहरण तथा संवितरण अधिकारी (मुख्यालय) भू-गर्भ स्कंध उद्योग निदेशालय से संबंधित था।
11.	लोक निर्माण कार्य	0.24	0.17	बकाया आवासीय तथा गैर-आवासीय इमारतों से संबंधित है।
12.	उद्योग	0.22	0.09	बकाया वर्ष 1980-81 से संचित था। बकाया रेंट शेड्स (औद्योगिक परिसंपत्ति), सरकारी आवास के किराये/मलबरी पौधों आदि की बिक्री से प्राप्त से संबंधित था।
13.	सहकारिता	0.02	0.0	बकाया वसूलीयोग्य लेखापरीक्षा फीस से संबंधित था।
योग		3,554.30	170.67	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 निर्धारणों में बकाया

बिक्री कर, मोटर स्प्रीट कर, विलास कर तथा संविदा कार्यों संविदाओं पर करों के संदर्भ में आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा, वर्ष के प्रारम्भ में बकाया मामले, वर्ष के दौरान निर्धारण हेतु देय मामलों, निपटाए गए मामलों तथा वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने के लिए लम्बित मामलों की संख्या का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.5: निर्धारणों में बकाया

राजस्व शीर्ष	आदि शेष	2016-17 के दौरान निर्धारण हेतु देय नये मामले	कुल देय निर्धारण	2016-17 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान की प्रतिशतता (स्तंभ 5 से 4)
1	2	3	4	5	6	7
बिक्री तथा व्यापार पर कर	1,47,812	70,893	2,18,705	39,397	1,79,308	18
विलास कर	3,413	2,541	5,954	2,401	3,553	40
संविदा कार्यों पर कर	2,150	420	2,570	1,300	1,270	50
मोटर स्प्रीट कर	27	28	55	27	28	49
योग	1,53,402	73,882	2,27,284	43,125	1,84,159	19

स्रोत: विभागीय आंकड़े

बिक्री तथा कर विभाग के संदर्भ में कर निर्धारण मामलों का निपटान अत्यंत निम्न था।

1.4 विभाग द्वारा पता लगाये गये कर का अपवंचन

आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पता लगाए गए कर अपवंचन के मामले, अंतिम रूप दिए गये मामले तथा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण, जैसा कि विभाग द्वारा बताया गया, नीचे उल्लिखित किया गया है:

तालिका-1.6: कर अपवंचन

क्रमांक	राजस्व शीर्ष	1 अप्रैल 2016 तक लम्बित मामले	2016-17 के दौरान पता लगाए गए मामले	कुल	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण/ छानबीन पूर्ण कर ली गई तथा शास्ति आदि सहित लगाई गई अतिरिक्त मांग		31 मार्च 2017 तक अंतिम रूप देने हेतु लम्बित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1.	बिक्री तथा व्यापार पर कर	83	13,452	13,535	13,379	55.80	156
2.	राज्य आबकारी	33	359	392	330	1.59	62
3.	यात्री एवं माल कर	16	11,424	11,440	11,115	4.97	325
4.	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	9	1,853	1,862	1,765	5.25	97
योग		141	27,088	27,229	26,589	67.61	640

स्रोत: विभागीय आंकड़े

यह देखा गया कि कुल 27,229 मामलों में से विभाग ने 26,589 मामलों में निर्धारण पूर्ण कर लिया था तथा ₹67.61 करोड़ की अतिरिक्त मांग की थी। वर्ष के दौरान लम्बित पड़े मामलों की संख्या में 141 से 640 की वृद्धि हुई।

1.5 धन वापसी के मामले

विभाग द्वारा प्रतिवेदित वर्ष 2016-17 के प्रारम्भ में लम्बित धन वापसी सम्बंधित मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त दावे, वर्ष के दौरान अनुमत धन वापसी मामले तथा वर्ष 2016-17 की समाप्ति पर लम्बित मामलों का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.7: प्रत्यर्पण मामलों का विवरण

क्रमांक	विवरण	बिक्री कर/वैट		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	वर्ष के प्रारम्भ में बकाया दावे	49	19.65	18	0.33
2.	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	187	28.27	18	0.62
3.	वर्ष के दौरान किए गए प्रत्यर्पण	194	26.23	17	0.42
4.	वर्ष की समाप्ति पर बकाया शेष	42	21.69	19	0.53

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वर्ष के प्रारम्भ में बकाया पड़े मामलों की तुलना में वर्ष के अन्त में बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर के बकाया मामलों में कमी आई तथा राज्य आबकारी में थोड़ी वृद्धि हुई।

1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) हिमाचल प्रदेश लेनदेनों की नमूना जांच करने और महत्वपूर्ण लेखों तथा अन्य अभिलेखों के अनुरक्षण का सत्यापन करने के लिए सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करता है जैसा कि नियमों एवं प्रक्रियाओं में निर्धारित है। इन निरीक्षणों का निरीक्षण के दौरान ध्यान में आई अनियमितताओं, जिनका मौके पर निपटान नहीं हो पाता, से समाविष्ट निरीक्षण प्रतिवेदनों द्वारा अनुसरण किया जाता है जो निरीक्षित कार्यालयाध्यक्षों को जारी किये जाते हैं तथा इनकी प्रतियां अगले उच्चतर प्राधिकारियों को भेजी जाती हैं, ताकि तुरन्त सुधारात्मक कार्रवाई की जा सके। कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट प्रेक्षकों पर शीघ्र अनुपालना निरीक्षण प्रतिवेदनों की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के भीतर करवाना अपेक्षित है। गम्भीर वित्तीय अनियमितताएं विभागाध्यक्षों तथा सरकार को सूचित की जाती हैं।

निरीक्षण प्रतिवेदनों से पता चला कि दिसम्बर 2016 तक जारी किए गए पिछले दो वर्षों के तदनुसूची आंकड़ों सहित जून 2017 के अंत तक 2,582 निरीक्षण प्रतिवेदनके संबंध में ₹1,817.56 करोड़ से अंतर्ग्रस्त 7,764 पैराग्राफ बकाया पड़े हुए थे जैसा कि नीचे तालिका 1.8 में दर्शाया गया है:

तालिका-1.8: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विवरण

	जून 2015	जून 2016	जून 2017
निपटान के लिए लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	2,509	2,549	2,582
बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	7,150	7,512	7,764
अंतर्ग्रस्त राजस्व राशि (₹ करोड़ में)	1,099.13	1,512.30	1,817.56

निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा उनमें अंतर्ग्रस्त राशि का 30 जून 2017 तक बकाया विभागवार विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.9: लंबित निरीक्षण प्रतिवेदनों का विभागवार विवरण

क्रमांक	विभाग का नाम	प्राप्तियों का स्वरूप	बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या	बकाया लेखापरीक्षा प्रेक्षणों की संख्या	अंतर्ग्रस्त मौद्रिक मूल्य (₹ करोड़ में)
1.	आबकारी एवं कराधान	बिक्री तथा व्यापार पर कर	132	945	364.52
		राज्य आबकारी शुल्क	59	267	217.55
		यात्री व माल कर	182	375	294.36
		वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर व शुल्क	109	141	7.14
		मनोरंजन तथा विलास कर आदि	54	107	10.01
2.	राजस्व	भू-राजस्व	228	452	190.41
		स्टाम्प एवं पंजीकरण फीस	605	1,270	56.96
3.	परिवहन	मोटर वाहन कर	669	2,548	277.76
4.	वन तथा पर्यावरण	वन प्राप्तियां	544	1,659	398.85
योग			2,582	7,764	1817.56

कार्यालयाध्यक्षों से 2016-17 के दौरान 138 निरीक्षण प्रतिवेदनों में से 120 निरीक्षण प्रतिवेदनों के सम्बंध में लेखापरीक्षा के चार सप्ताह के अनुबद्ध समय के भीतर प्रथम उत्तर भी प्राप्त नहीं हुए थे। उत्तरों के प्राप्त न होने के कारण निरीक्षण प्रतिवेदनों का यह अधिक लम्बन इस तथ्य को इंगित करता है कि प्रधान महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित दोषों, चूकों तथा अनियमितताओं को दूर करने हेतु क्षेत्रीय कार्यालयाध्यक्षों तथा विभागाध्यक्षों द्वारा कोई कार्रवाई प्रारम्भ नहीं की गई थी। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्यान्वित कार्रवाई का अभाव कमजोर जबावदेही एवं राजस्व की अपरिहार्य हानि के जोखिम को बढ़ावा देती है। लेखापरीक्षा पैराग्राफके लम्बित मामलों की संख्या का निरंतर बढ़ना सरकार का मामलो का अनुश्रवण करने तथा उनकी अनुपालना की संवीक्षा एवं लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के समायोजन हेतु प्रभावशाली तंत्र को सुनिश्चित करने की ओर ध्यान आकर्षित करती है।

1.6.2 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफके अनुश्रवण तथा निपटान की प्रगति में तीव्रता लाने के लिए लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया। वर्ष 2016-17 के दौरान हुई लेखापरीक्षा समिति की बैठकों तथा निपटाए गए पैराग्राफ का विवरण नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.10: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्रमांक	विभाग	आयोजित की गई बैठकों की संख्या	लम्बित पड़े पैराग्राफ की संख्या	निपटाए गए पैराग्राफ की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1.	राजस्व विभाग	1	1,320	55	0.11
2.	राज्य आबकारी विभाग	1	2,049	245	1.10
3.	परिवहन विभाग	1	2,594	74	1.42
4.	वन विभाग	1	1,532	51	3.63
योग		4	7,495	425	6.26

राजस्व, राज्य आबकारी, परिवहन एवं वन विभागों के संदर्भ में 2016-17 के दौरान आयोजित की गई चार लेखापरीक्षा समिति की बैठकों में लम्बित पड़े 7,495 पैराग्राफ में से ₹6.26 करोड़ से अंतर्गस्त 425 पैराग्राफ (5.67 प्रतिशत) का समायोजन किया गया था।

यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को सभी विभागों में एक नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का आयोजन सुनिश्चित करना चाहिए।

1.6.3 प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफ के प्रति विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार द्वारा भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित प्रारूप लेखापरीक्षा पैराग्राफ को संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर उनका ध्यान आकर्षित करते हुए इस अनुरोध के साथ भेजे जाते हैं कि वे छः सप्ताह के भीतर अपना उत्तर प्रेषित करें। विभागों/सरकार से उत्तरों की अप्राप्ति के तथ्य को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे पैराग्राफ के अंत में अनिवार्य रूप से दर्शाया जाता है।

एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 प्रारूप पैराग्राफ जून तथा जुलाई 2017 के मध्य सम्बंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को भेजे गये थे। विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों ने छः प्रारूप पैराग्राफ के उत्तर नहीं दिये थे तथा उन्हें सरकार की प्रतिक्रिया के बिना इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है। तथापि, विभाग के उत्तर जहां भी प्राप्त हुए थे, प्रतिवेदन में उचित रूप से सम्मिलित कर दिये गए हैं।

1.6.4 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई-सारांशित स्थिति

दिसम्बर 2002 में अधिसूचित लोक लेखा समिति में निर्धारित है कि भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन को विधानसभा में प्रस्तुत करने के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर कार्रवाई शुरू करेगा तथा प्रतिवेदन को पटल पर रखने के तीन मास के भीतर सरकार द्वारा उस पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। तथापि, प्रतिवेदनों के लेखापरीक्षा पैराग्राफ पर व्याख्यात्मक टिप्पणियां विलंबित थी। हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के 31 मार्च 2012, 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्षों के लिए प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 127 पैराग्राफ (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) को 9 अप्रैल 2013 तथा 7 अप्रैल 2016 के मध्य विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था। इनमें से प्रत्येक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के सम्बंध में सम्बद्ध विभागों से इन पैराग्राफ पर की जाने वाली कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियां क्रमशः 12, 14, 10 तथा सात मास के औसत विलम्ब से प्राप्त हुई थी। 31 मार्च 2015 को समाप्त वर्ष के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के लिए नौ पैराग्राफ, राजस्व विभाग (चार पैराग्राफ) तथा वन विभाग (पांच पैराग्राफ) के संबंध में की गई कार्रवाई की व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ अभी तक भी प्राप्त नहीं हुई थी (दिसम्बर 2017)।

लोक लेखा समिति ने 2008-09 से 2012-13 के वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों से सम्बंधित 18 चयनित पैराग्राफ पर चर्चा की। विभागों से संबंधित चर्चा किये गए पैराग्राफ पर लोक लेखा समिति की सिफारिशें अभी भी प्रतीक्षित थी जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.11: लोक लेखा समिति में चर्चा किये गए पैराग्राफ का विवरण

वर्ष	विभागों का नाम	पैराग्राफ की संख्या
2008-09	परिवहन एवं उद्योग	2
2009-10	परिवहन	4
2010-11	परिवहन एवं उद्योग	5
2011-12	परिवहन एवं उद्योग	4
2012-13	परिवहन एवं उद्योग	3
योग		18

1.7 लेखापरीक्षा द्वारा उठाए गए मामलों को निपटाने के लिए तंत्र का विश्लेषण

विभागों/सरकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों/लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उजागर किए गए मामलों को निपटाने के लिए अपनाई गई पद्धति का विश्लेषण करने हेतु आबकारी एवं कराधान विभाग के अन्तर्गत मुख्य प्राप्ति शीर्ष "0039-राज्य आबकारी" के पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ तथा निष्पादन लेखापरीक्षाओं पर की गई कार्रवाई का मूल्यांकन किया गया और उसको इस प्रतिवेदन में सम्मिलित किया गया है।

अनुवर्ती पैराग्राफ 1.7.1 से 1.7.3 मुख्य राजस्व शीर्ष-'0039-राज्य आबकारी शुल्क' के अन्तर्गत राज्य आबकारी शुल्क के संबंध में आबकारी एवं कराधान विभाग के निष्पादन और 2016-17 तक विगत 10 वर्षों के दौरान की गई स्थानीय लेखापरीक्षा में अधिसूचित मामलों तथा 2007-08 से 2015-16 वर्षों के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित मामलों पर भी चर्चा करते हैं।

1.7.1 निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

पिछले 10 वर्षों के दौरान राज्य आबकारी से संबंधित 31 मार्च 2017 तक जारी किए गए निरीक्षण प्रतिवेदनों, इन प्रतिवेदनों में सम्मिलित पैराग्राफ की वस्तुस्थिति तथा उनकी सारांशित स्थिति को नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.12: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

वर्ष	आदि शेष			वर्ष के दौरान वृद्धि			वर्ष के दौरान निपटान			वर्ष के दौरान अंत शेष		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य	निरीक्षण प्रतिवेदन	पैराग्राफ	मौद्रिक मूल्य
2007-08	69	170	12.32	14	59	2.23	2	16	0.41	81	213	14.14
2008-09	81	213	14.14	6	74	27.47	2	30	1.35	85	257	40.26
2009-10	85	257	40.26	15	95	6.79	21	75	13.48	79	277	33.57
2010-11	79	277	33.57	9	64	3.48	8	149	2.14	80	192	34.91
2011-12	80	192	34.91	8	55	1.41	9	46	24.14	79	201	12.18
2012-13	79	201	12.18	7	48	4.24	15	67	6.29	71	182	10.13
2013-14	71	182	10.13	7	55	12.13	16	36	5.08	62	201	17.18
2014-15	62	201	17.18	10	76	24.23	15	92	6.14	57	185	35.27
2015-16	57	185	35.27	9	73	23.17	10	71	8.18	56	187	50.26
2016-17	56	187	50.26	10	85	168.32	1	5	1.03	65	267	217.55
योग	719	2,065	260.22	95	684	273.47	99	587	68.24	715	2,162	465.45

यह देखा गया कि 2007-08 के प्रारम्भ में 170 पैराग्राफ सहित 69 बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों के प्रति 2016-17 के अंत तक 267 पैराग्राफ सहित बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों की संख्या घटकर 65 हो गई। निरीक्षण प्रतिवेदनों में इंगित की गई सम्बन्धित धन-मूल्य में ₹12.32 करोड़ से ₹217.55 करोड़ की वृद्धि हुई।

1.7.2 स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में पिछले 10 वर्षों के सम्मिलित पैराग्राफ जो आबकारी एवं करधान विभाग द्वारा स्वीकार किए गए तथा वसूल की गई राशि की स्थिति नीचे दर्शायी गई है:

तालिका-1.13: स्वीकार किए गए मामलों में वसूली

₹ करोड़ में						
लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	सम्मिलित किए गए पैराग्राफ की संख्या	पैराग्राफ का मौद्रिक मूल्य	स्वीकार किए गए पैराग्राफ की संख्या	स्वीकार किए गए पैराग्राफ की मौद्रिक मूल्य	वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि	31 मार्च 2017 को स्वीकृत मामलों की वसूली की संचित स्थिति
1	2	3	4	5	6	7
2006-07	1	0.86	0	0.00	0.00	0.31
2007-08	3	1.27	2	1.25	0.48	1.14
2008-09	3	10.65	3	6.29	0.17	2.58
2009-10	4	1.47	2	0.07	0.03	0.78
2010-11	4	0.39	0	0.00	0.00	0.08
2011-12	3	0.22	1	0.07	0.00	0.11
2012-13	1	3.57	1	2.54	0.32	0.63
2013-14	7	4.28	3	2.97	1.89	2.98
2014-15	6	9.01	6	9.01	1.45	1.68
2015-16	8	16.68	6	16.05	2.58	2.58
योग	40	48.40	24	38.25	6.92	12.87

यह पाया गया कि विगत 10 वर्षों के दौरान स्वीकार किये गए मामलों में भी वसूली की प्रगति बहुत धीमी थी।

1.7.3 विभागों/सरकार द्वारा स्वीकार सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

प्रधान महालेखाकार/महालेखाकार द्वारा संचालित की गई प्रारूप निष्पादन समीक्षाएं संबंधित विभाग/ सरकार को उनकी सूचना हेतु, उनके उत्तर उपलब्ध करवाए जाने के अनुरोध के साथ, अग्रेषित की जाती हैं। इन समीक्षाओं पर अंतिम सम्मेलन में भी चर्चा की जाती है और निरीक्षण प्रतिवेदनों के लिए समीक्षाओं को अंतिम रूप देते समय विभाग/सरकार के विचार सम्मिलित किये जाते हैं। प्राप्त शीर्ष-"0039-राज्य आबकारी शुल्क" के अंतर्गत आबकारी एवं करधान विभाग पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित की गई और वर्ष 2008-09 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दर्शाई गई थी जिसे नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.14: सिफारिशों पर की गई कार्रवाई

क्रमांक	लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का वर्ष	निष्पादन लेखापरीक्षा का शीर्षक	निष्पादन लेखापरीक्षा में दी गई सिफारिशों की संख्या	टिप्पणियां
1.	2008-09	'हिमाचल प्रदेश में आसवनियों की कार्यचालन पर शुल्क एवं फीस का संग्रहण'	चार सिफारिशें	विभाग ने समस्त सिफारिशों को स्वीकार कर लिया था तथा विभाग ने बताया कि उनको लागू करने हेतु प्रयास किये जा रहे थे।

1.8 आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग में सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार के अंतर्गत एक आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष होता है। इस कक्ष को अधिनियम तथा नियमावली के प्रावधानों के साथ समय-समय पर विभागीय निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए अनुमोदित कार्य योजना तथा परिचालन समिति द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार निर्धारण के मामलों की नमूना-जांच करनी थी।

लेखापरीक्षा हेतु वर्ष 2016-17 के दौरान मात्र 11 इकाईयों की योजना बनाई गई, आंतरिक लेखापरीक्षा कक्ष ने उसमें से 5 इकाईयों (45 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-1.15: आंतरिक लेखापरीक्षा

विभाग का नाम	लेखापरीक्षा योग्य कुल इकाई	लेखापरीक्षा हेतु निर्धारित इकाईयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाईयों की संख्या	कमी
आबकारी एवं कराधान	13	11	5	6
योग	13	11	5	6

अध्याय दो से छः के पैराग्राफ में अनियमितताओं पर की गई चर्चा अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रण तंत्र के संकेत हैं क्योंकि लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में दी गई अनियमितताओं को आंतरिक लेखापरीक्षा दल द्वारा नहीं देखा गया था।

1.9 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत लेखापरीक्षा इकाईयों को उनकी राजस्व स्थिति, लेखापरीक्षा प्रेक्षकों की पूर्व प्रवृत्तियों तथा अन्य मापदण्डों के अनुसार उच्च, मध्यम एवं निम्न जोखिम में वर्गीकृत किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना को जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार किया जाता है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ सरकारी राजस्व तथा कर प्रशासन के गंभीर मामले सम्मिलित होते हैं जो कि बजट भाषण, राज्य वित्त पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य एवं केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, विगत पांच वर्षों के दौरान राजस्व आय के सांख्यिकी विश्लेषण, कर प्रशासन के कारक, लेखापरीक्षा व्याप्ति से लिये होते हैं।

लेखापरीक्षा योग्य वर्ष 2016-17 के दौरान 350 इकाईयां थीं, जिनमें से 138 इकाईयां⁴ निर्धारित की तथा इनकी लेखापरीक्षा की गई।

उपरोक्त उल्लिखित अनुपालना लेखापरीक्षा अतिरिक्त राजस्व प्राप्तियों की वसूली के संदर्भ में संबंधित विभागों की क्षमता को जांचने के लिए 'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन' पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा भी आयोजित की गई थी।

1.10 लेखापरीक्षा परिणाम

बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी, मोटर वाहन, माल व यात्री कर तथा वन प्राप्तियां की 138 इकाईयों के अभिलेखों की वर्ष 2016-17 के दौरान नमूना-जांच से 832 मामलों में कुल ₹344.45 करोड़ का अवनिर्धारण/अल्पोद्ग्रहण/राजस्व हानि, इत्यादि उद्घाटित हुई। सम्बंधित विभागों ने वर्ष के दौरान 290 मामलों में ₹7.32 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों को स्वीकार किया जिसमें से 275 मामलों में ₹4.31 करोड़ की राशि की वसूली की गई उसमें से विगत

⁴ इनमें 20 इकाईयां विलास कर, मनोरंजन कर एवं एम.पी. बैरियों से संबंधित थी।

वर्षों के निष्कर्षों से संबंधित 269 मामलों में ₹4.30 करोड़ तथा छः मामलों में ₹1.09 लाख की राशि वर्ष 2016-17 के निष्कर्षों से संबंधित थी।

1.11 इस प्रतिवेदन की कवरेज

इस प्रतिवेदन में ₹269.46 करोड़ के राजस्व प्रभाव से अंतर्ग्रस्त एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा 25 पैराग्राफ सम्मिलित हैं। विभागों/सरकार ने ₹8.83 करोड़ से अंतर्निहित 11 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें से 11 मामलों में ₹1.82 करोड़ की वसूली की जा चुकी थी।

अध्याय-II
बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

अध्याय-II

बिक्री और व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

2.1 कर प्रशासन

सरकारी स्तर पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) द्वारा प्रशासित किया जाता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग का अध्यक्ष होता है जिसको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, एक संयुक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त, छः उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों, 12 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा 69 आबकारी एवं कराधान अधिकारियों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। इसके अतिरिक्त, संबंधित कर कानूनों तथा नियमों के प्रशासन के लिए आबकारी एवं कराधान निरीक्षक तथा अन्य संबद्ध कर्मचारी हैं।

2.2 लेखापरीक्षा परिणाम

मूल्य वर्धित कर/बिक्री कर निर्धारणों, मनोरंजन कर, बहुउद्देशीय बैरियरों, विलास कर तथा अन्य अभिलेखों से सम्बंधित 2016-17 के दौरान 34 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 290 मामलों में ₹63.48 करोड़ से अंतर्विष्ट कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं जो कि निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत आती हैं जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	कर का अवनिर्धारण	19	18.87
2.	दोषपूर्ण सांविधिक प्रपत्रों 'सी' तथा 'एफ' की स्वीकृति	26	3.69
3.	बिक्री/खरीद को छिपाने के कारण कर का अपवंचन	41	15.34
4.	निवेश कर क्रेडिट का अनियमित/गलत/अधिक अनुमोदन	59	5.16
5.	कर की दर का गलत अनुप्रयोग	26	8.36
6.	अन्य अनियमितताएं	72	2.03
योग		243	53.45
अन्य कर एवं गैर-कर			
1.	मनोरंजन कर	19	9.20
2.	बहुउद्देशीय बैरियर्स	20	0.83
3.	विलास कर	8	
योग		47	10.03
सकल योग		290	63.48

विभाग ने ₹1.42 करोड़ के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों के 74 मामलों को वर्ष 2016-17 के दौरान स्वीकार किया, जिसमें से 59 मामलों में ₹63.49 लाख की राशि वसूल की गई थी जोकि विगत वर्षों से संबंधित थी।

₹27.37 करोड़ से अंतर्विष्ट कुछ आवश्यक मामलों की चर्चा अनुवर्ती पैराग्राफ में की गई है।

2.3 'हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना (हिमटास) का क्रियान्वयन' पर लेखापरीक्षा

आबकारी एवं कराधान विभाग ने जून 2010 में ₹20.19 करोड़ के वित्तीय व्यय से अंतर्ग्रस्त कर कानूनों की अनुपालना में सुधार, संबद्ध कर प्रशासन को स्वचालित करने तथा कर सूचना विनिमय प्रणाली (टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस.) के साथ इन्टरफेस हेतु मूल्य वर्धित कर तथा संबद्ध प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण प्रारम्भ किया। विभाग ने अगस्त 2011 से जनवरी 2015 के मध्य वैब-पोर्टल सहित 23 माड्यूलों को प्रारम्भ किया। तथापि, मूल्य वर्धित कर निर्धारणों का दीर्घ लम्बन के मद्देनजर बैकएंड्र माड्यूल का प्रयोग कम था तथा प्रक्रियाओं को अब भी मैनुअल तरीके से किया जा रहा था। इसके अतिरिक्त, गो-लाइव, आवश्यकता विनिर्देश प्रणाली (एस.आर.एस.), उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश (यू.आर.एस.), सॉफ्टवेयर डिजायन दस्तावेज (एस.डी.डी.) को हस्ताक्षर करना, लैगैसी डाटा कनवर्जन तथा अंतिम स्वीकृति परीक्षण भी लम्बित थे। 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. की शुरुआत पर जी.एस.टी.एन. द्वारा विकसित 'क्रियान्वयन माडल-2' के प्रयोग के लिए विभाग द्वारा विकल्प के मद्देनजर परियोजना की स्थापना पर ₹20.19 करोड़ का व्यय परियोजना के उद्देश्यों को प्राप्त करने में निष्फल रहा।

2.3.1 परिचय

राज्य के लिए राजस्व का प्रमुख स्रोत बिक्री एवं व्यापार पर बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर है जो आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने 1 अप्रैल 2005 से हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 क्रियान्वित किया था। प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर विभाग के प्रशासनिक विभागाध्यक्ष है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभागाध्यक्ष होता है जिसके पास पर्यवेक्षण एवं प्रशासन के अधिकार होते हैं तथा जिसको दो अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। 2013-14 से 2015-16 की अवधि के दौरान राजस्व शीर्ष "0040-बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर" के अंतर्गत संग्रहित किये गए राजस्व का ब्यौरा निम्न प्रकार से है:-

तालिका-2.2 मूल्य वर्धित कर तथा कुल कर प्राप्तियों का विवरण

वर्ष	मूल्य वर्धित कर की प्राप्तियां	कुल कर प्राप्तियां	₹करोड़ में
			कुल कर प्राप्तियों का मूल्य वर्धित कर प्रतिशत
2013-14	3,141.10	5,120.91	61
2014-15	3,660.57	5,940.16	62
2015-16	3,992.99	6,695.81	60

भारत सरकार ने राज्य वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति के माध्यम से राज्य में कर कानूनों की अनुपालना में सुधार, संबद्ध कर प्रशासन प्रक्रियाओं के स्वचालन हेतु विस्तृत सूचना प्रौद्योगिकी के तंत्र के क्रियान्वयन, टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. के साथ इन्टरफेस, लैगैसी इलैक्ट्रॉनिक डाटा का स्थानान्तरण, डिजिटाइजेशन, नवीन तंत्र को पेपर प्रलेखों का अन्तरण तथा मजबूत एम.आई.एस. उपकरणों का निर्माण इत्यादि के लक्ष्य के साथ मूल्य वर्धित कर तथा संबद्ध प्रक्रियाओं का कम्प्यूटरीकरण (जून 2010) प्रारम्भ किया। हिमाचल प्रदेश कर प्रशासन प्रणाली तंत्र (हिमटास) एक वैब आधारित इन्टरनेट एप्लीकेशन है जैसा कि अनुलग्नक-II में ब्यौरा दिया गया है।


विभाग ने 'क्रियान्वयन मॉडल-2' का चयन (दिसम्बर 2014) किया अर्थात जी.एस.टी.एन. की बैकएंड सेवाओं (निर्धारण, लेखापरीक्षा, रिफंड, वसूली, इत्यादि) का उपयोग करने के लिए जी.एस.टी.एन. बैकएण्ड मॉड्यूल का विकास करेगा। आगे, मूल्य वर्धित कर को वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) में डाला गया है जिसे 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया है।

2.3.2 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना का आरम्भ

अवसंरचनात्मक आवश्यकताओं की व्याख्या, क्रियान्वयन सहयोगी के चयन, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर के प्रतिष्ठान एवं प्रारम्भ के अनुश्रवण, अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विकसित की गई एप्लीकेशन की समीक्षा और क्रियान्वयन सहयोगी की सेवाओं की निगरानी के लिए मैसर्ज प्राइसवाटरहाउस कूपर्स (पी.डब्ल्यू.सी.) का परियोजना प्रबन्धन परामर्शदाताओं के रूप में (जून 2006) चयन किया गया था। परियोजना परामर्शदाता परियोजना रोलआउट के बाद चौबीस महीनों की अवधि के लिए चिन्हित मापने योग्य मापदंडों के अनुसार सम्पूर्ण क्रियात्मकता के लिए मॉड्यूलों एवं वैबपोर्टल के जांच प्रतिवेदन, त्रैमासिक सर्विस लेवल एग्रीमेंट (एस.एल.ए.) निगरानी हेतु भी उत्तरदायी था।

मूल्य वर्धित कर कम्प्यूट्रीकरण हेतु प्रस्ताव का अनुरोध (आर.एफ.पी.) 2006 में मंगवाया गया था तथापि संविदा अनुबंध अर्थात मास्टर सर्विसिज एग्रीमेंट (एम.एस.ए.) तथा सेवा स्तर अनुबंध (एस.एल.ए.) 7 जून 2010 को आबकारी आयुक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग तथा क्रियान्वयन सहयोगी (टी.सी.एस.) के प्राधिकृत प्रतिनिधियों के मध्य हस्ताक्षरित किया गया था। सूचना प्रौद्योगिकी समस्त कार्यालय स्थलों पर अपेक्षित हार्डवेयर की डिलिवरी एवं प्रतिष्ठापन, विभाग की आवश्यकताओं के अनुसार मूल्य वर्धित कर एप्लीकेशन एवं वैब पोर्टल के विकास एवं कस्टमाइजेशन, लैगैसी डाटा डिजिटाइजेशन और पांच वर्षों की अवधि के लिए डाटा केन्द्र के परिचालनों एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी है। समय-समय पर परियोजना की प्रगति की समीक्षा के लिए परियोजना क्रियान्वयन समिति (पी.आई.सी.) जिसमें विभाग, परियोजना परामर्शदाता, क्रियान्वयन सहयोगी, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग (डी.आई.टी.), एन.आई.सी. तथा सी.एम.सी. से सदस्य होते हैं, बनाई गई थी जिसकी मार्च 2011 से नवम्बर 2016 के दौरान हुई बैठकों के कार्यवृत्तों की लेखापरीक्षा में समीक्षा की गई थी।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना के क्रियान्वयन हेतु ढांचा



¹ सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, हिमाचल प्रदेश सरकार

2.3.3 हिमटास एप्लीकेशन के अंतर्गत मॉड्यूल

राज्य में कर कानून की अनुपालना में सुधार की दृष्टि से मूल्य वर्धित कर अधिनियम तथा सम्बद्ध प्रक्रियाओं के कम्प्यूटरीकरण के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर-सूचना प्रौद्योगिकी परियोजना आरम्भ की गई थी लेकिन विभाग द्वारा संचालित विभिन्न राजस्व शीर्षों के संबंध में अतिरिक्त मॉड्यूल भी परियोजना के भाग के रूप में प्रारम्भ किये गए थे। विभाग ने अगस्त 2011 तथा जनवरी 2015 के मध्य परियोजना के अंतर्गत वैब पोर्टल सहित 23 मॉड्यूल प्रारम्भ किये थे। 23 मॉड्यूलों में से 14 मॉड्यूल को करों से संबंधित जी.एस.टी.में सम्मिलित किया गया। मात्र नौ मॉड्यूल जो करों से संबंधित थे जी.एस.टी. में सम्मिलित नहीं किया गया था, प्रयोग करने योग्य थे, जैसा कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-2.3 हिमटास के अंतर्गत मॉड्यूल का विवरण

जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित कर			जी.एस.टी. के अंतर्गत सम्मिलित नहीं किये कर		विविध
मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर	यात्री एवं माल कर	विलास कर	आबकारी	एम एण्ड टी.पी. ²	अन्य मॉड्यूल
1	2	3	4	5	6
<ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण रिटर्न एवं भुगतान निर्धारण रिफंड वसूली अपील तथा संशोधन प्रवर्तन शास्ति 	<ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण रिटर्न एवं भुगतान सी.जी.सी. आर.³ पंजीकरण सी.जी.सी.आर. रिटर्न एवं भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> पंजीकरण रिटर्न एवं भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> लाइसेंस माल को हटाना आबकारी विवरणी 	<ul style="list-style-type: none"> एम एण्ड टी.पी. लाइसेंस एम एण्ड टी.पी. माल को हटाना एम. एण्ड टी.पी. रिटर्न एवं भुगतान 	<ul style="list-style-type: none"> चैक-पोस्ट टी.आई.एन.एक्स. एस.वाई.एस. एस.एफ.एस.सी.
8 मॉड्यूल	4 मॉड्यूल	2 मॉड्यूल	3 मॉड्यूल	3 मॉड्यूल	3 मॉड्यूल

2.3.3.1 मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर/यात्री एवं माल कर/विलास कर मॉड्यूल

विभाग ने मूल्य वर्धित कर/केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.) के आठ मॉड्यूल आरम्भ किये जिनमें से पंजीकरण एवं रिटर्न/भुगतान मॉड्यूलों को छोड़कर शेष मॉड्यूल जिनमें निर्धारण तथा अन्य प्रक्रियाएँ अंतर्गस्त हैं, प्रयोग में नहीं थीं और पूर्व-कम्प्यूटरीकरण अवधि के निर्धारणों के बकायों का निपटान न किये जाने के कारण प्रचालन ऑफ़लाइन तरीके से किया जा रहा था। इसी प्रकार यात्री एवं माल कर तथा विलास कर मॉड्यूलों की प्रक्रियाएँ भी मैनुअली की जा रही थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि निर्धारणों के पुराने लम्बन के कारण बैंक कार्यालय की एप्लीकेशन निम्न थी। आगे, स्टॉफ की कमी के कारण कर निर्धारण कार्य धीमा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग ने स्वचालन के लाभों की प्राप्ति के लिए निर्धारणों को सुव्यवस्थित करने का प्रयास नहीं किया था और अधिकार बैंक एण्ड प्रचालन अब भी मैनुअली किये जा रहे थे। इसके अतिरिक्त, चूंकि 1 जुलाई 2017 से इन करों को जी.एस.टी. में डाला जा रहा है, इन मॉड्यूलों का लगभग बिना किसी प्रयुक्ति के औचित्य समाप्त हो गया है।

² औषधीय तथा प्रसाधन सामग्री

³ सड़कों के माध्यम से माल को लाना

2.3.3.2 आबकारी मॉड्यूल

आबकारी मॉड्यूल अक्टूबर 2013 में एप्लीकेशन के साथ-साथ पोर्टल पर शिमला की पायलट साइट में प्रारम्भ किया गया था। विभाग ने आबकारी मॉड्यूल के अंतर्गत धीमी प्रगति को स्वीकार करते हुए आई.पी. को इसे बंदी तथा कांगड़ा को देने के लिए कहा था। पी.आई.सी. ने (नवम्बर 2016) पाया कि कांगड़ा जिले रिटेलर का डाटा अपूर्ण था। यह निर्णय लिया गया था कि सिस्टम में रिटेलरों के कुल लाइसेंसधारकों का विस्तृत डाटा डाला जाए। विभाग ने यह भी स्वीकार किया कि समस्त आबकारी मॉड्यूल तैयार हैं लेकिन उनका सम्पूर्ण उपयोग नहीं हुआ। पी.आई.सी. ने निर्देश किया कि 1 दिसम्बर 2016 से समस्त लाइसेंसधारकों के लिए वैब पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन किया जाएगा और क्षेत्रीय प्राधिकारियों को उपयुक्त निर्देश जारी किये जाएंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आबकारी गतिविधियां जैसे कि बिक्री केन्द्र लाइसेंसधारियों, आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों के लाइसेंसो का नवीकरण, न्यूनतम गारण्टीड कोटा के प्रति परमिट जारी करना तथा न्यूनतम गारण्टीड कोटा के प्रति उत्थापन की निगरानी, अभी तक मैनुअल मोड में की जा रही थी।

2.3.3.3 अन्य मॉड्यूल

इसी प्रकार, यात्री एवं माल कर, औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955, विलास कर, चैक-पोस्ट, टीन.एन.एक्स.एस.वाई.एस. तथा एस.एफ.एस.सी. से संबंधित मॉड्यूल भी प्रयोग में नहीं थे और प्रचालन/डाटाबेस ऑफ़लाइन मोड में बनाए गए थे। विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत पंजीकरण का मास्टर डाटा संबंधित मॉड्यूलों में उपलब्ध नहीं था और निर्धारण भी ऑफ़लाइन मोड में बनाए गए थे। परिणामतः इनमें से अधिकांश मॉड्यूल 1 जुलाई 2017 से इन करों को जी.एस.टी. के अंतर्गत मिलाए जाने के मद्देनजर प्रासंगिक नहीं थे। इसके अतिरिक्त, टी.आई.एन.एक्स.एस.वाई.एस. मॉड्यूल अथवा अन्य मूल्य वर्धित कर मॉड्यूलों से उत्पन्न सुराग/बेमेल की जांच नहीं की जा रही थी जैसा कि अनुपालना अनियमितताओं के अंतर्गत इंगित किया गया था।

2.3.3.4 शिकायत मॉड्यूल

परियोजना के अंतर्गत डाले गए मॉड्यूलों की सूची में शिकायत मॉड्यूल नहीं था लेकिन पी.आई.सी. की बैठक (अगस्त 2015) में पाया गया कि शिकायत मॉड्यूल का उपयोग कम था। विभाग ने संबंधित अधिकारी द्वारा शिकायतों की निगरानी से अवगत करवाने हेतु निर्देश दिया। पी.सी.आई. द्वारा यह भी पाया गया कि संदेशों को भेजने और प्राप्त करने के लिए एस.एम.एस. गेटवे का निष्पादन अच्छा नहीं था और व्यापारियों का इस फीचर में विश्वास कम हो रहा था। विभाग ने न तो एस.एम.एस. गेटवे के निष्पादन में सुधार के लिए कदम उठाए, न ही शिकायतों के सामान्यीकरण/निगरानी हेतु नामित अधिकारी/स्टॉफ की तैनाती की। इस प्रकार परियोजना के सफल क्रियान्वयन हेतु एक महत्वपूर्ण क्षेत्र की अनदेखी की गई। लेखापरीक्षा में आगे यह पाया गया कि शिकायत मॉड्यूल/अन्य मॉड्यूलों के साथ संबद्धता विभागीय वैबसाइट पर उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार शेयर धारकों से इनपुट प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण घटक परियोजना में नदारद था।

2.3.4 मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना की वित्तीय प्रास्थिति

एम.एस.ए. के अनुसार 31 मार्च 2018 तक पांच वर्षों की ओ. एण्ड एम. लागत सहित परियोजना की कुल लागत ₹20.19 करोड़ थी जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है। एम.एस.ए. के अंतर्गत कार्य की सम्भावना के विभिन्न घटक **अनुलग्नक-III** में दिए गए हैं।

तालिका-2.4: लागतों का सारांश

भुगतान शीर्ष विवरण	राशि (₹ मे)
मूल्य वर्धित कर एप्लीकेशन की एक बार की लागत	2,22,22,098
वेब पोर्टल विकास लागत	19,79,796
कुल हार्डवेयर लागत	7,64,36,409
साईट तैयार करने की लागत	1,40,47,255
परिचालन एवं अनुरक्षण लागत	8,52,83,001
डाटा डिजिटलइजेशन की लागत	19,20,790
योग	20,18,89,349

आई.पी. तथा परियोजना परामर्शदाता को निर्गत निधियों की प्रास्थिति के संबंध में इंगित किये जाने पर विभाग ने सूचित किया कि राज्य के वित्त मंत्रियों की अधिकार प्राप्त समिति भुगतान प्रत्यक्ष रूप से कर रही है और इस प्रकार इसे लेखापरीक्षा में उपलब्ध नहीं करवाया गया था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पी.आई.सी. में यह उल्लिखित था (नवम्बर 2011) कि हार्डवेयर की डिलीवरी एवं प्रतिष्ठापन हेतु मार्च 2011 में आई.पी. को ₹1.77 करोड़ निर्गत किये गए थे और विभाग को डिलीवर तथा प्रतिष्ठापित किये गए हार्डवेयर हेतु 65 प्रतिशत भुगतान तक निर्गत करने का निर्देश दिया था। इस बीच, आई.पी. ने कर की दरों के साथ-साथ हार्डवेयर की मात्राओं में होने वाले परिवर्तनों के कारण ₹1.50 करोड़ का क्रेडिट नोट उपलब्ध करवाने के लिए सहमति जताई। परिणामस्वरूप हार्डवेयर के लिए ₹5.63 करोड़ की शेष राशि भुगतान योग्य थी। पी.आई.सी. ने नवम्बर 2011 में आई.पी. को ₹3.04 करोड़ जारी करने का अनुमोदन किया था। इस प्रकार, विभाग का उद्धरण विरोधाभासी था क्योंकि पी.आई.सी./ई.सी. ने विभाग को आई.पी. को भुगतान जारी किये जाने पर विचार करने के निर्देश दिए थे। पी.आई.सी. ने आई.पी. को जारी किये गए पूर्व भुगतानों की लेखापरीक्षा करने के लिए विभागीय प्रस्ताव को भी अनुमोदित किया था। यदि विभाग आई.पी.को भुगतान जारी नहीं कर रहा था तो ऐसे मामले में निर्गत किये गए भुगतानों का लेखापरीक्षा का प्रस्ताव तर्क-संगत नहीं है। तथापि, लेखापरीक्षा का आयोजन करवाने के संबंध में तथा एजेंसी का नाम जिससे लेखापरीक्षा करवाई गई, को संदर्भ अभिलेखों में नहीं पाया गया था। आगे, भुगतानों की लेखापरीक्षा की प्रास्थिति को मांगे जाने के बावजूद भी लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। आई.पी. द्वारा दिये गए ₹1.50 करोड़ के क्रेडिट नोट की प्रास्थिति और विभाग/ई.सी. के खाते में इसके समायोजन करने का तरीका न तो अभिलेखों में था, न ही लेखापरीक्षा को उपलब्ध करवाया गया। परियोजना पर व्यय राशि की सम्पूर्ण सूचना की अनुपलब्धता के कारण लक्ष्यों/प्रदेशों, इत्यादि की प्राप्ति का सत्यापन नहीं किया जा सकता था।

2.3.5 परियोजना परामर्शदाता द्वारा अपूर्ण कार्य

आई.पी. ने सूचित (अगस्त 2015) किया कि उपयोक्ता आवश्यकताएँ विनिर्देश (यू.आर.स.), सिस्टम आवश्यकताएँ विनिर्देश (एस.आर.एस.) तथा सॉफ्टवेयर डिजाइन डाक्यूमेंट (एस.डी.डी.) बंद नहीं किये गए हैं और विभाग से प्रलेखों को बंद करने का अनुरोध किया गया था। विभाग ने बताया कि यह एक लम्बी प्रक्रिया थी जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी, जो अक्टूबर 2015 तक इसका सत्यापन करेगी। लेखापरीक्षा में पाया गया था कि पी.आई.सी. ने अंतिम तिमाही (अप्रैल-जून 2015) हेतु परियोजना परामर्शदाता (मैसर्ज पी.डब्ल्यू.सी.) के अंतिम भुगतान को

(दिसम्बर 2015) अनुमोदित किया था, यद्यपि नवम्बर 2016 को प्रलेखों जैसे एस.आर.एस., एस.डी.डी. तथा यू.आर.एस. को बंद किया जाना और उपयुक्त एग्रीजट योजना अब भी मैसर्स पी.डब्ल्यू.सी. के पास लम्बित थी। इन प्रलेखों की अनुपलब्धता से विभाग की प्रचालन आवश्यकताओं की पूर्ति की सम्भावना संदेहास्पद रही।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि इन दस्तावेजों को बंद करने का अनुमोदन पी.आई.सी. द्वारा जून 2017 में कर दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आई.पी. से यू.आर.एस., एस.डी.डी. तथा ए.टी.एस. दस्तावेजों की हार्ड प्रतिलिपियां को प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित था जो अभी तक प्रतीक्षित थी (दिसम्बर 2017)।

2.3.6 लैगैसी डाटा कनवर्जन

एम.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार आई.पी. ने 2005 से 2010 की अवधि के लिए लैगैसी डाटा **अनुलग्नक-IV** को डिजिटाइज़ करना था। तथापि, विभाग ने बाद में बताया कि 2005-08 की अवधि के लिए डिजिटाइज़ डाटा की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि संविदा पर बिलम्बित हस्ताक्षर के कारण इस रिटर्नों के निर्धारण की अवधि समाप्त हो गई है। अतः पी.आई.सी.ने विभाग के अनुरोध पर 2005-10 से 2008-13 तक डाटा डिजिटाइज़ेशन की अवधि अनुमोदित कर दी थी। तथापि, लैगैसी डाटा अवधि को बदलने का निर्णय मनमाने ढंग से किया गया था क्योंकि हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 21 (4) के अंतर्गत व्यापारियों को जारी किये गए नोटिसों को जारी करने के मामले में निर्धारण अवधि का पूर्ण उपयोग नहीं किया गया था।

पी.आई.सी. ने (मई 2015) सूचित किया गया था कि आई.पी. ने 1.32 लाख रिटर्न प्रपत्रों का डाटा डिजिटाइज़ेशन किया था लेकिन डिजिटाइज़ेशन किये गए लैगैसी डाटा में कुछ विसंगतियां थी। पी.आई.सी. ने लैगैसी डाटा के सत्यापन के लिए विभाग, परियोजना सलाहकार तथा आई.पी. की उप-समिति भी गठित की थी जिसने निम्नवत् अभ्युक्तियों की थी:

तालिका-2.5: लैगैसी डाटा में विसंगतियों का विवरण

मामला	उप-समिति की टिप्पणियां
डिजिटाइज़ की गई 15,141 वार्षिक रिटर्नों में से मात्र सात ही फार्म XV-A में डिजिटाइज़ की गई है जबकि 15,134 फार्म XV में गलत ढंग से डिजिटाइज़ की गई है।	टी.सी.एस. को इन अभिलेखों को ठीक करना था।
टी.सी.एस. ने भुगतान योग्य कर को पकड़ा था लेकिन व्यापारी द्वारा भुगतान की गई वास्तविक कर की राशि नहीं पकड़ी है।	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।
कुछ अभिलेखों में भुगतान किया गया कर बहुत अधिक है अथवा बहुत कम है, जैसे कि ₹45,000 करोड़ अथवा (-) ₹6,000 करोड़	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।
लगभग 72 नकली अभिलेख हैं	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।
चार अभिलेखों के लिए कर की अवधि 2019/2010 दर्शाई गई है।	टी.सी.एस. को ऐसे अभिलेखों का सत्यापन तथा ठीक करना था।

लेखापरीक्षा में उप-समिति की अभ्युक्तियों की अनुपालना मांगी गई थी लेकिन आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं करवाई गई। अभिलेख में एम.एस.ए. के अनुसार समस्त अभिलेखों का डिजिटाइज़ेशन और पी.आई.सी. द्वारा इसका अनुमोदन दिखाने के लिए कोई साक्ष्य नहीं था। डिजिटाइज़ की गई वार्षिक रिटर्नों की अवधि का भी उल्लेख नहीं किया गया था। पी.आई.सी. ने (मार्च 2013) यह निर्देश दिया था कि आगामी छः महीनों के भीतर डाटा

डिजिटाइजेशन तथा सत्यापन को पूर्ण किया जाए। इस प्रकार सितम्बर 2013 तक पूर्ण किये जाने के लिए अपेक्षित लैगेसी डाटा डिजिटाइजेशन का कार्य नवम्बर 2016 तक भी अपूर्ण था। डाटा डिजिटाइजेशन की अपूर्णता के मद्देनजर हिमटॉस एप्लीकेशन का सफल क्रियान्वयन संदेहास्पद था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि डाटा डिजिटाइजेशन का मामला अगस्त 2015 में आयोजित बैठक में पी.आई.सी. द्वारा बंद कर दिया गया था। उत्तर अपूर्ण है क्योंकि एम.एस.ए. के प्रावधानों के अनुसार डाटा डिजिटाइजेशन न तो अभिलेखों में लाया गया और न ही लेखापरीक्षा को सूचित किया गया था तथा लैगेसी डाटा कनवर्जन अभी भी अपूर्ण था।

2.3.7 व्यापारियों का पैन डाटाबेस का अद्यतन

इस परियोजना के आर.एफ.पी. अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान था कि 2009-10 बजट में वस्तु एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) के संदर्भ के मद्देनजर आई.पी. को विभिन्न पहलुओं तथा सम्भावित परिवर्तनों पर विचार करना चाहिए ताकि मूल्य वर्धित कर जी.एस.टी. तक संक्रमण निर्बाध रूप से किया जाए। विभाग ने (जून 2013) बताया कि एन.एस.डी.एल. डाटाबेस के साथ व्यापारियों के सत्यापन के पश्चात यह पाया गया कि अधिकांश व्यापारियों ने गलत पैन संख्या उपलब्ध करवाई हैं। तदनुसार विभाग ने पैन के ऑनलाइन सत्यापन हेतु एन.एस.डी.एल. के साथ (मार्च 2015) एकीकरण योजना बनाई थी ताकि समस्त व्यापारियों के पैन के सटीक संग्रहण को बढ़ाया जाए जो कि जी.एस.टी. में अन्तरण के लिए प्रमुख आवश्यकता है। विभाग ने डाटा को सत्यापन के लिए एन.एस.डी.एल. को (मई 2015) प्रेषित किया था और सत्यापन के पश्चात् सही पैनों के प्रतिशत में 75 प्रतिशत की वृद्धि की आशा थी। विभाग ने शेष व्यापारियों से पैन के संग्रहण के लिए फील्ड अधिकारियों को लिखा था कि इनको (पैन) सत्यापन हेतु एन.एस.डी.एल. को प्रेषित किया जाए और समस्त पैन को ठीक करने के लिए 25 अगस्त 2015 को निश्चित किया था जिसके बाद उनके टी.आई.एन. निरस्त कर दिये जाएंगे। यह भी निर्देश दिया था कि विभागीय डाटाबेस में आवश्यक अद्यतनीकरण के पश्चात ई.सी. तथा जी.एस.टी.एन. को अद्यतनीकृत प्रतिवेदन भेजा जाए। पैन/टिन के निरस्तीकरण के अद्यतनीकरण की प्रास्थिति उपलब्ध नहीं थी और इस प्रकार मूल्य वर्धित कर से जी.एस.टी. में निर्बाध संक्रमण हेतु राज्य की तैयारी का निर्धारण करना कठिन था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि 15 जून 2017 तक 97 प्रतिशत व्यापारियों ने जी.एस.टी. को अपना लिया था। उत्तर प्रांसगिक नहीं है क्योंकि विभाग अपने व्यापारियों के पैन डाटाबेस के संशोधन के संबंध में चुप था क्योंकि विभाग ने स्वयं अभिलिखित किया कि अधिकांश व्यापारियों ने गलत पैन संख्या उपलब्ध करवाई थी।

2.3.8 मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना का अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणन

परियोजना को आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित अंतिम स्वीकृति, परीक्षण तथा प्रमाणीकरण के तंत्र द्वारा नियंत्रित किया जाएगा:

- i. अंतिम स्वीकृति परीक्षण (एफ.ए.टी.) तथा प्रमाणीकरण के संचालन के लिए तकनीकी रूप से सक्षम अभिकरण से।
- ii. अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणीकरण अभिकरण के विकास के चरण से परियोजना के साथ सम्मिलित होगा और सुनिश्चित करेगा कि दिशा-निर्देशों का अनुसरण किया जा रहा है एप्लीकेशन को पूर्णतः विकसित करने के पश्चात की गई जांच के बाद और बड़े स्तर पर सुधारों से बचा जाए;

iii. अंतिम परीक्षण तथा प्रमाणीकरण अभिकरण सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, सुरक्षा तथा समस्त अन्य पहलुओं पर विशिष्ट परीक्षणों के संचालन हेतु व्यावसायिक संगठनों को सम्मिलित कर सकता है;

यद्यपि, विभाग ने आई.पी. द्वारा मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना के अंतर्गत दिये गए 23 मॉडयूलों (लगभग) के अंतिम स्वीकृति परीक्षण संचालित करने के लिए अधिकारियों के दलों के गठन के लिए (जनवरी 2013) आदेश जारी किये थे। अतः अंतिम स्वीकृति परीक्षण न तो तकनीकी रूप से सक्षम अभिकरण द्वारा करवाया गया था, न ही यह विकास चरण से परियोजना के साथ संबद्ध था। लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि विभाग आई.पी. द्वारा वास्तविक रूप से दिये गए मॉडयूलों की संख्या के बारे में भी निश्चित नहीं था। प्रसंगवश पी.आई.सी. ने अक्टूबर 2013 में आयोजित अपनी बैठक में राज्य में नेटवर्किंग हेतु चिन्हित विभाग के सौ स्थलों में से 90 प्रतिशत की अपेक्षा के प्रति पांच पॉयलट स्थलों पर जाकर 23 मॉडयूलों का रिकार्ड अंतिम परीक्षण पर लिया था। आगे, पी.आई.सी. ने अंतिम स्वीकृति परीक्षण के लक्ष्य की पूर्णता के प्रति ₹1.22 करोड़ जारी किये जाने का अनुमोदन तथा सिफारिश की थी। अतः अनुबद्ध लक्ष्य के अनुसार अंतिम स्वीकृति परीक्षण की पूर्णता के बिना भुगतान अनियमित रूप से जारी किया गया था। अंतिम स्वीकृति परीक्षण की प्रक्रिया के दौरान सुझाए गए निष्कर्षों/टिप्पणियां/सुझावों/सुधारों, यदि कोई हो, लेखापरीक्षा द्वारा मांगे जाने के बावजूद न तो उपलब्ध करवाए गए थे, न ही पी.आई.सी. के विचार-विमर्शों से इनका अनुमान लगाया जा सकता था।

अंतिम स्वीकृति परीक्षण विश्वसनीय न होने से परियोजना की पूर्णता की सीमा और कार्यक्रम लक्ष्यों को प्राप्त करने की इसकी क्षमता निर्धारित करना सम्भव नहीं था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि पांच पॉयलट स्थलों पर सिस्टम को रोलआउट किया गया था। अतः विभाग ने नेटवर्किंग के लिए चिन्हित सौ स्थलों के 90 प्रतिशत पर अंतिम स्वीकृति परीक्षण किये बिना अंतिम स्वीकृति परीक्षण के लक्ष्य की प्राप्ति के प्रति ₹1.22 करोड़ जारी करने की अनुशंसा की थी।

2.3.9 आई.टी. परियोजना के लिए गो-लाइव प्रमाण पत्र

आई.पी. ने आई.टी. परियोजना की वित्तीय स्थिति से अवगत करवाया तो परियोजना के गो-लाइव प्रमाण पत्र को जारी करने में बिलम्ब पर (नवम्बर 2016) प्रकाश डाला जिसके कारण भारी वित्तीय बोझ पड़ा और पी.आई.सी. से मामले का संज्ञान लेने तथा समाधान सुझाने का अनुरोध किया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग ने औपचारिक रूप से परियोजना के किसी भी 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र को जारी नहीं किया तथा 1 अप्रैल 2013 से पांच वर्षों के लिए साधारण रूप से ओ. एण्ड एम. चरण शुरू कर दिया था। विभाग ने पी.आई.सी. के दिशा-निर्देशों के बावजूद 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र जारी करने की सही प्रास्थिति सूचित नहीं की थी। अतः आई.टी. परियोजना का अब भी 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र प्राप्त करना था। 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र के अभाव में परियोजना के सफल क्रियान्वयन की प्रभावकारिता सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि 1 अप्रैल 2013 से 'गो-लाइव' को आई.पी. को दिया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पी.आई.सी. ने 1 अप्रैल 2013 से परियोजना के ओ. एण्ड एम. चरण की शुरुआत करने की अनुमति दी थी तथा इस प्रकार 'गो-लाइव' प्रमाण-पत्र का कोई औपचारिक अनुमोदन नहीं किया गया था।

2.3.10 नवीन परियोजना के सलाहकार की नियुक्ति

सेवाओं के निष्पादन का वास्तविक स्तर वैसा ही होना चाहिए जैसा कि एस.एल.ए. में निर्दिष्ट है। एस.एल.ए. की शर्तों एवं निबंधनों के अनुसार एस.एल.ए. में उपलब्ध करवाई गई मापक मैट्रिक्स के अनुसार सेवा स्तर में कमी के लिए ओ. एण्ड एम. लागत के भुगतानों से आई.पी. पर शास्ति उदग्राह्य थी। पी.डब्ल्यू.सी. की संविदा अवधि की पूर्णता को ध्यान में रखते हुए पी.आई.सी. द्वारा शास्तियों पर निर्णय नहीं लिया जा सका था। इस बीच, ई.सी. ने सूचित किया कि नव-नियुक्त सलाहकार की स्वीकृति के बिना भुगतान जारी नहीं किये जाएंगे। तथापि, परियोजना सलाहकार की भर्ति के लिए स्वीकृति राज्य सरकार के पास लम्बित थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि एन.आई.सी.-एस.आई. के माध्यम से सलाहकार की नियुक्ति की गई थी। तथापि, अगस्त 2016 में एन.आई.सी.-एस.आई. से सलाहकार तथा वरिष्ठ सलाहकार को हायर करने के लिए राज्य सरकार की स्वीकृति के बावजूद भी सलाहकार का नामांकन किया जाना अभी तक शेष था तथा इसमें ₹14.84 लाख का परिव्यय सम्मिलित था। आगे, नियुक्ति की अवधि तथा वित्तीय पैकेज को निश्चित करने का आधार विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया था।

2.3.11 कार्यान्वयन भागीदार द्वारा कमी युक्त सेवा के लिए शास्ति

राज्य सरकार से सलाहकार की नियुक्ति के लिए प्रस्ताव की लम्बित स्वीकृति को ध्यान में रखते हुए पी.आई.सी. ने एस.एल.ए. के अंतर्गत उदग्राह्य शास्ति की अधिकतम राशि रोकने के बाद भुगतान जारी करने की सिफारिश करने का निर्णय लिया था। आगे, अनुशंसित भुगतान जब भी सलाहकार नियुक्त किया जाए, सलाहकार द्वारा समीक्षा का विषय था तथा तब अनुशंसित वास्तविक शास्ति को काटा जाएगा। यह पाया गया कि विभाग ने 2015-16 की तृतीय तिमाही एवं चौथी तिमाही तथा 2016-17 की पहली तिमाही एवं दूसरी तिमाही के लिए एस.एल.ए. के मापक मैट्रिक्स के अनुसार परियोजना के अंतर्गत सेवा प्रदेयों में कमी के मद्देनजर ₹11.00 लाख (अधिकतम स्तर पर) की शास्ति काटी थी।

2.3.12 हार्डवेयर वारंटियों का विस्तार न करना

आई.पी. ने (दिसम्बर 2015) सूचित किया कि महत्वपूर्ण डी.सी. हार्डवेयर तथा ओरेकल ए.टी.एस. के लिए वारंटियां एक साल के लिए नवीकृत की गई थी लेकिन कुछ हार्डवेयर की वारंटियां नवीकरण हेतु लम्बित थी जो कि परियोजना के सफल निष्पादन के लिए आवश्यक थी। आई.पी. ने वारंटियों के विस्तार के लिए अतिरिक्त लागत की मांग की थी क्योंकि यह नवीकरण परियोजना में पांच वर्षों की पूर्णता के मद्देनजर कार्य के क्षेत्र से बाहर थे। पी.आई.सी. ने आई.पी. से समस्त लागत देयता अवगत करवाने के लिए कहा था। इसके अतिरिक्त, विभाग का यह विचार था कि विश्व बैंक जी.एस.टी. तत्परता के लिए हार्डवेयर के अद्यतनीकरण के लिए सहायता प्रदान करेगा जो वित्त वर्ष 2016 में प्रारम्भ हो सकता है और वारंटियों का विस्तार 2016 से आगे अपेक्षित नहीं होगा। अतः परियोजना के हार्डवेयर के अनुरक्षण के प्रति विभाग का दृष्टिकोण व्यापक नहीं था।

2.3.13 अपर्याप्त यू.पी.एस. तथा विद्युत मामला

आई.पी. ने (नवम्बर 2016) सूचित किया कि यू.पी.एस. स्पष्ट संख्या में नोडों का भार उठाने के लिए प्रतिष्ठापित किये गए थे तथा समय बीतने के साथ नोडों की संख्या में वृद्धि तथा जी.एस.टी. के आने के कारण अधिक भार के मद्देनजर अतिरिक्त यू.पी.एस. की मांग की गई थी। पी.आई.सी. ने आई.पी. से निर्धारित दायरे के अनुसार सिस्टम को संभालने के लिए कहा था। आई.पी. ने अवगत करवाया कि विभाग के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रभार्य आधार पर कुछ अतिरिक्त नोड स्थापित किये गए थे जिनके लिए भुगतान जारी नहीं किये गए थे। अतः विद्युत व्यवधान के मामले में सिस्टम की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं की गई थी तथा इसके परिणामस्वरूप डाटा का विघटन/हानि हो सकती है।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (अक्टूबर 2017) उत्तर दिया कि जी.एस.टी.एन.से प्राप्त किये गए परामर्श के अनुसार ही पूरा हार्डवेयर बदला जाना था। इस प्रकार, विभाग परियोजना की योजना/निष्पादन के समय जी.एस.टी.एन. के संघटकों के साथ परियोजना संघटकों के संकलन में विफल रहा।

2.3.14 परियोजना की थर्ड-पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा संचालन न करना

एम.एस.ए. के खण्ड 6.4 निबन्धनों के अनुसार सिस्टम की सुरक्षा लेखापरीक्षा तथा क्रियान्वयन लेखापरीक्षा ई.सी. अथवा इसके नामांकित अभिकरण द्वारा आई.पी. की लागत पर वर्ष में एक बार की जाएगी। पी.आई.सी. के कार्यवृत्तों (अगस्त 2015) में उल्लिखित हैं कि आई.पी. प्रत्येक वर्ष तथा जून 2015 में चालू वर्ष के लिए आन्तरिक सुरक्षा लेखापरीक्षा का आयोजित कर रहा था। तथापि, विभाग ने आई.पी. से लेखापरीक्षा निष्कर्ष को सांझा करने के लिए कहा था। विभाग ने भी डी.आई.टी. से सर्वरों तथा डाटा केन्द्र की थर्ड पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा आयोजित करने के लिए कहा था। डी.आई.टी. ने सर्वरों के आई.पी. पत्तों तथा एप्लीकेशन एवं वैब पोर्टल के टेस्ट यूजर परिचय देने के लिए कहा था। तथापि, मांगे जाने के बावजूद भी आन्तरिक लेखापरीक्षा निष्कर्षों के साथ-साथ थर्ड पार्टी सुरक्षा लेखापरीक्षा की प्रास्थिति लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं करवाई गई थी। पी.आई.सी. की बैठकों के अनुवर्ती कार्यवृत्त आन्तरिक/थर्ड पार्टी लेखापरीक्षा निष्कर्षों तथा सुधारात्मक कार्यवाही के ब्यौरों का कोई साक्ष्य उजागर नहीं करते थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना सलाहकार ने अपने प्रतिवेदन 'कार्यात्मकता अनुपालना' में बताया था कि यद्यपि पोर्टल एस.एस.एल. प्रमाणित है तथा वार्षिक लेखापरीक्षा की आवश्यकता के प्रति 2010 में एक लेखापरीक्षा आयोजित की गई थी तथा एक नवीन लेखापरीक्षा का सुझाव दिया गया था। इसके अतिरिक्त, विभाग के अभिलेखों में अभ्युक्तियों की अनुपालना, यदि कोई हो, भी नहीं मिल सकी थी।

परियोजना सलाहकार ने (मार्च 2013) भारत सरकार के मानकों के अनुसार सुरक्षा अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए आवेदन तथा वैब-पोर्टल का मानकीकरण परीक्षण एवं गुणवत्ता प्रमाणन आयोजित करने का निर्देश दिया था और इसकी अनुपालना भी अभिलेखों में नहीं थी।

2.3.15 अभिलेखीय तथा वसूली

सिस्टम द्वारा उत्सर्जित डाटा के लिए प्रभावी बैकअप समाधान होना चाहिए। मूल्य वर्धित कर एप्लीकेशन में समय सहित स्टॉटिक डाटा, लेन-देन डाटा के अभिलेखों के लिए सभी स्थानों पर सुविधाएं होनी चाहिए। किसी भी सिस्टम की विफलता के मामले में बैकअप तथा डाटा बैकअप को

पुनः चालू करने के दौरान उचित बहाली की जांच होनी चाहिए। यद्यपि, परियोजना ने इस पहलू को सुनिश्चित किया तथा बैकअप रखा था लेकिन इसको एक ही स्थान पर रखा गया था।

2.3.16 वैब-पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां

परियोजना सलाहकार ने आई.पी. द्वारा विकसित एप्लीकेशन के साथ आर.एफ.पी. में परिभाषित आवश्यकताओं के मानचित्रण द्वारा परियोजना की कार्यात्मकता अनुपालना पर (मई 2013) प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था जिसने क्रियान्वित नहीं की गई कार्यात्मक आवश्यकताओं को इंगित किया, जैसा कि अनुलग्नक-V एवं VI, में ब्यौरा दिया गया है, अर्थात् जैसे परियोजना के वैबपोर्टल में सभी संबंधित अधिनियम तथा नियम, विभाग के लिए प्रासंगिक महत्वपूर्ण निर्णयों, सामानों के आधार पर दर सूचियों की खोज, भुगतान किये गए तथा नहीं किये गए कर की राशि के साथ मुख्य करदाताओं तथा चूककर्ताओं की सूची, आदि सम्मिलित नहीं थी। लेखापरीक्षा में पाया गया कि केन्द्रीय बिक्री कर (सी.एस.टी.), 1956 तथा नियमावली, 1957 सहित अधिकतर नियम तथा नियमावलियां वास्तविक समय आधार पर अब भी अद्यतन नहीं की गई थी जबकि हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम 1911, हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियम 1986 भी सारे अद्यतन नहीं किये गए थे। हिमाचल प्रदेश टोल अधिनियम, 1975 के अंतर्गत टोल घोषणाएं मात्र 2008-09, 2009-10 तथा 2011-12 के लिए अपलोड की गई थी। इसी प्रकार, महत्वपूर्ण निर्णयों को मात्र अगस्त 2014 से बाद के लिए अपलोड किया गया था। प्रमुख करदाताओं तथा बकायादारों के साथ-साथ भुगतान किये गए कर की राशि तथा भुगतान नहीं किये गए कर की राशि आदि की सूची पोर्टल इत्यादि पर अपलोड नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. लागू करने को ध्यान में रखते हुए परियोजना सॉफ्टवेयर में सुधार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः विभाग 1 अप्रैल 2013 से परियोजना की स्थापना के साथ-साथ इसके ओ. एण्ड एम. पर व्यय करने के बावजूद इसका उपयोग करने में विफल रहा।

2.3.17 अनुपालना अनियमितताएं

2.3.17.1 आर्थिक खुफिया इकाई

आबकारी एवं कराधान विभाग ने हिमाचल प्रदेश सरकार की अधिसूचना के आधार पर 18 जुलाई 2013 को आर्थिक खुफिया इकाई (ई.आई.यू.) की स्थापना की थी। उप आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा अध्यक्षित ई.आई.यू. ने कार्यों जैसे पंजीकरण डाटा विश्लेषण, रिटर्न विश्लेषण, लेखापरीक्षा डाटा विश्लेषण, 360 डिग्री विश्लेषण, सामान विश्लेषण, व्यापारी की प्रोफाइलिंग (स्टॉर रेटिंग), डाटा प्रबन्धन फीडबैक विश्लेषण, व्यापार खुफिया तथा डाटा वेयरहाउस, साइबर फोरसिक, इत्यादि के निष्पादन हेतु सितम्बर 2013 से कार्य करना शुरू किया था। अतः हिमाचल प्रदेश के विभिन्न व्यापारियों द्वारा अपलोड किये गए ऑनलाइन डाटा के विश्लेषण के लिए ई.आई.यू. की स्थापना की गई थी, विभिन्न प्रकार के बे-मेल जिनका पता ऑनलाइन में किया गया, को आगे की जांच के लिए जिला कार्यालयों अथवा उड़न-दस्तों को भेजा जाता था। इकाई के लिए मात्रात्मक शर्तों में कोई विशिष्ट लक्ष्य निश्चित नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि:

- i. सिरमौर, बद्दी तथा सोलन राजस्व जिलों के अभिलेखों की नमूना जांच से निवेश कर क्रेडिट (आई.टी.सी.)के अधिक दावों जो अंतर्राज्य खरीदों/बिक्रियों से मेल नहीं खाते तथा

महत्वपूर्ण धनराशि से अंतर्ग्रस्त निम्नवत व्यापारियों सहित 189 व्यापारियों द्वारा ₹441.10 करोड़ के परिचालित व्यापार की अनियमिततायें उद्घाटित हुईं:

तालिका-2.6: निवेश कर क्रेडिट बे-मेल का विवरण

क्रम संख्या	टीन	वर्ष	राशि (₹ करोड़ में)
1.	02020500703/704/705	2014-15	232.26
2.	02040201053	2012-13	204.00
3.	02040200799	2012-13/13-14/14-15	1.21
4.	02040400186	2013-14	1.06
5.	02030101569	2013-14	1.04
6.	02030100143	2013-14	1.53
योग			441.10

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोलन राजस्व जिले में परिचालित व्यापार की आशंका से ग्रसित ₹232.26 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आई.टी.सी. बे-मेल का एक मामला नवम्बर 2014 में संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त को अग्रेषित किया गया था लेकिन अभी तक इसकी जांच नहीं की गई थी, इसी प्रकार अधिक आई.टी.सी. दावों के अन्य मामलों का निपटान संबंधित जिलों के साथ-साथ विभाग के अभिलेखों से प्राप्त नहीं किये जा सके थे। अतः आई.टी.सी. के झूठे दावे की सम्भावना से युक्त गम्भीर उद्धरणों की तर्कसंगत निष्कर्ष तक जांच नहीं हुई थी जिसके परिणामस्वरूप राज्य सरकार को राजस्व हानि हो सकती है।

- ii. इसी प्रकार, अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि ₹1,588.66 करोड़ की छुपाई गई खरीद एवं बिक्री के मामलों को भी अंतिम रूप से निपटारा नहीं गया था अथवा विभाग के अभिलेखों से उनकी प्राप्ति प्राप्त नहीं की जा सकती थी। अधिक धनराशियों से अंतर्ग्रस्त मामलों का कर अनुमान निम्नवत् है:

तालिका-2.7: छुपाई गई खरीदों/बिक्रियों का विवरण

				₹करोड़ में
क्रम संख्या	टीन	वर्ष	छुपाई गई खरीद/बिक्री	मूल्य वर्धित कर की देय राशि
1.	02020200416	2011-12 से 2013-14	1248.10	62.41
2.	02040400310	2012-13/13-14/14-15	127.05	6.35
3.	02040400180	2013-14	59.42	2.97
4.	02040400219	2012-13/13-14	25.52	3.51
5.	02030201238	-	4.47	0.22
6.	02030300460	2011-12 से 2013-14	36.25	1.81
7.	02020500613	2012-13 से 2014-15	87.85	4.39
योग			1,588.66	81.66

- iii. सिरमौर, बड़ी तथा सोलन जिलों में 12,890 व्यापारियों में से 120 व्यापारियों की नमूना जांच करने से उद्घाटित हुआ कि इन व्यापारियों ने 2013-14/2014-15 के दौरान विगत वर्ष की तुलना में बड़ी भिन्नताओं के उद्धरण सहित ₹231.03 करोड़ तक कम मूल्य वर्धित कर भुगतान किया था जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है:

तालिका-2.8: मूल्य वर्धित कर के कम भुगतान का विवरण

₹ करोड़ में			
क्रम सं.	टिन	वर्ष	राशि
1	02030200804	2014-15	69.54
2	02040200757	2014-15	7.82
3	02030100669	2013-14	14.87
4	02030200908	2013-14	9.92
5	02030300618	2014-15	13.37
6	02060600235	2013-14	6.37
7	02020100439	2014-15	2.86
योग			124.75

- iv. वर्ष 2012-13, 2013-14 तथा 2014-15 के दौरान सकल बिक्री, निवेश कर क्रेडिट तथा भुगतान योग्य कर राशि की तुलना में विगत वर्षों के आंकड़ों में असमान्य अन्तर थे जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.9: सकल बिक्री/निवेश कर क्रेडिट/ भुगतान योग्य कर में भिन्नता का ब्यौरा

₹ करोड़ में					
जिले का नाम	मामलों की संख्या		सकल बिक्री	निवेश कर क्रेडिट	भुगतान योग्य कर
	कुल	नमूना जांच			
सिरमौर	6,186	55	127.96	1.32	2.91
सोलन	16,385	50	112.61	1.07	5.96
बढ़ी	9,499	60	281.56	6.04	3.30

- v. बढ़ी राजस्व जिले ने 2009-10 से 2013-14 की अवधि के दौरान 256 मामलों में ₹26.51 करोड़ की अतिरिक्त कर की मांग की थी। तथापि, अतिरिक्त कर मांग के प्रति जमा करवाए गए करों की प्रास्थिति लेखापरीक्षा में मांगे जाने के बावजूद न तो हिमटास एप्लीकेशन पर उपलब्ध थी, न ही लेखापरीक्षा को अवगत करवाई गई थी।
- vi. सिरमौर में बढ़ी संख्या में पंजीकृत व्यापारियों ने अपनी रिटर्न हिमटास एप्लीकेशन पर फाइल भी नहीं की थी जैसा कि नीचे ब्यौरा दिया गया है:

तालिका-2.10: रिटर्न को देर से/नहीं भरने वालों का ब्यौरा

वर्ष	पंजीकृत व्यापारियों की संख्या	देरी से फाइल करने वाले	फाइल न करने वाले
2012-13	3,246	492	1,984
2013-14	3,649	263	1,173
2014-15	3,954	345	1,665

- vii. जिला सिरमौर में सात व्यापारियों ने 2013-14 तथा 2014-15 वर्षों के दौरान निरस्त/ निलम्बित व्यापारियों से ₹11.18 लाख का निवेश कर क्रेडिट का दावा किया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि जिला सिरमौर से मामले की जांच करने को कहा गया था। अन्य अनुपालना अनियमितताओं के संबंध में विभाग ने उत्तर दिया कि प्रत्येक तथा हर बे-मेल का संज्ञान लेना व्यवहारिक रूप से संभव नहीं था। इस प्रकार, विभाग राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए परियोजना से उत्सर्जित सुरागों का उपयोग करने में विफल रहा।

2.3.18 बैंक ऑफिस स्वचालन का उपयोग

पी.आई.सी. ने समय-समय पर पाया कि व्यापारियों द्वारा वैब पोर्टल के उपयोग के आंकड़ों में वृद्धि हो रही थी जबकि बैंक ऑफिस एप्लीकेशन का उपयोग न केवल कम था बल्कि घट भी रहा था।

विभागीय रूप से वैब पोर्टल के प्रयोग में वृद्धि के लिए समय-समय पर निर्देश जारी किये जा रहे थे।

- i. सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों और निर्धारण प्राधिकारियों को द्वितीय मॉड्यूलों जैसे निर्धारण, रिफंड, आदि के उपयोग करने के निर्देश दिये गए थे।
- ii. क्षेत्रीय स्टॉफ को भी सॉफ्टवेयर के उपयोग करने और ज्यादा से ज्यादा मामले अनुमानित निर्धारण के अंतर्गत लाने के लिए कहा गया था।
- iii. समस्त निर्धारण प्राधिकारियों से अनिवार्य रूप से 25 प्रतिशत रिटर्न की संवीक्षा पूरी करने के लिए कहा गया था, सभी निर्धारण मॉड्यूल पर किये जाने चाहिए तथा मापदंडों को उनकी ए.सी.आर. में सम्मिलित किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि 31 मार्च 2016 तक विभिन्न निर्धारण प्राधिकारियों ने 129 ई-निर्धारणों को अंतिम रूप दिया था जबकि 13,42,264 व्यापारियों ने ई-रिटर्न फाइल की थी। विभाग ने उत्तर दिया कि कम्प्यूटरीकरण से पहले के निर्धारणों के मामले अंतिम रूप दिये जाने के लिए लम्बित थे।

सिस्टम के अंतर्गत उत्पन्न किये गए आउटपुट रिपोर्ट (लीड्स) पर अनुवर्ती कार्रवाई के बारे में पूछे जाने पर विभाग ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय प्राधिकारी इन प्रतिवेदनों पर उचित कार्यवाही कर रहे थे जैसा कि कानून के अंतर्गत किये जाने का प्रावधान था। तथापि, सिस्टम द्वारा उत्पन्न सुरागों पर मुख्यालय स्तर पर किसी नीतिगत निर्देश/अवलोकन का साक्ष्य नहीं था।

विभाग द्वारा बैंक ऑफिस ऑटोमेशन के उपयोग में कोई सुधार नहीं किया गया था। पी.आई.सी. ने आई.पी. से विभागीय कर्मचारियों द्वारा विभिन्न मॉड्यूलों के उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए (नवम्बर 2016) कहा था। विभाग ने उत्तर दिया कि अधिकांश बैंक ऑफिस एप्लीकेशन मॉड्यूलों को निर्धारण के बाद प्रयुक्त किया जाना था। स्टॉफ की कमी के कारण निर्धारण कार्य धीमा था तथा बैंक ऑफिस मॉड्यूलों के कम उपयोग का कारण थे।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कम्प्यूटरीकरण से पहले के निर्धारणों की पूर्णता के लिए कोई निश्चित समय सारणी नियत न करना तथा एप्लीकेशन के उपयोग को अनिवार्य न करने से इसका वास्तविक उपयोग घटा तथा परिणामतया परियोजना पर ₹20.19 करोड़ का व्यय भी निष्फल रहा।

2.3.19 निष्कर्ष

परियोजना परामर्शदाता की कार्यात्मकता अनुपालना प्रतिवेदन में उल्लिखित मामलों के महत्वता को ध्यान में रखते हुए यह स्पष्ट था कि सिस्टम को श्रेष्ठ प्रणालियों के अनुसार अपनाया तथा बनाया नहीं गया है और परियोजना के क्रियान्वयन में गम्भीर कमियां छोड़ी गई थीं। इसके अतिरिक्त, कार्यात्मक आवश्यकताओं के गैर/आंशिक क्रियान्वयन के कारण परियोजना का क्रियान्वयन पूर्णता से अब भी दूर था। परिणामतया, यह परियोजना के उद्देश्यों की प्राप्ति में विफल रहा था तथा राजस्व वसूली की क्षमता तथा विभाग की कार्यप्रणाली में सुधार, यदि कोई था, पर इसके प्रभाव को जानना सम्भव नहीं था।

आगे, 1 जुलाई 2017 से जी.एस.टी. के क्रियान्वयन तथा जी.एस.टी. के अंतर्गत 'क्रियान्वयन मॉडल-2' के लिए विभागों के विकल्प के साथ-साथ परियोजना के अंतर्गत स्थापित विभिन्न मॉड्यूलों का उपयोग करने के लिए विभाग की अक्षमता के मद्देनजर परियोजना पर किया गया ₹20.19 करोड़ का व्यय निष्फल रहा।

सरकार को मामला जुलाई 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.4 प्रवेश कर का कम लगाना

वसूली योग्य ₹2.41 करोड़ के प्रवेश कर के प्रति ₹1.38 करोड़ के प्रवेश कर को वसूल किया गया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ के प्रवेश कर कम लगाया गया।

हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (तेगला)की अनुसूची- 11 में प्रावधान है कि निर्माण कार्यों में उपयोग किये जाने वाले माल जिसमें हॉईड्रो पावर तथा थर्मल पावर प्रोजेक्ट, उत्पादन, पारेषण और वितरण परियोजनाएँ, दूरसंचार तथा अन्य सभी टर्न की परियोजनाओं को जिन्हें राज्य में निजी एवं सरकारी विभागों/निगमों/बोर्ड इत्यादि द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा था पर पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर संग्रहण किया जाएगा। यह प्रावधान राज्य के बाहर पंजीकृत व्यापारियों जो हिमाचल प्रदेश में माल की आपूर्ति कर रहे हैं, पर लागू है।

हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड ने राज्य के बाहर पंजीकृत चार व्यापारियों से 2011-12 तथा 2012-13 के दौरान ₹48.24 करोड़ मूल्य के 6,16,966 इलैक्ट्रॉनिक ऊर्जा मीटर खरीदे। इन पर पांच प्रतिशत की दर से ₹2.41 करोड़ की राशि का प्रवेश कर उदग्राह्य था जबकि आबकारी विभाग के बहुउद्देशीय बैरियरों पर इन ऊर्जा मीटरों पर तीन प्रतिशत की दर से ₹1.38 करोड़ की राशि का प्रवेश कर प्रभारित किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹1.03 करोड़ के प्रवेश कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला (जून 2017) प्रतिवेदित किया गया था, विभाग ने (सितम्बर 2017) उत्तर दिया कि आपूर्ति किये गए इलैक्ट्रॉनिक मीटरों की कीमत पर तीन प्रतिशत की दर से प्रवेश कर प्रभारित किया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 की अनुसूची- 11 की प्रविष्टि संख्या 5 के अंतर्गत प्रवेश कर पांच प्रतिशत की दर पर उदग्रहण योग्य था क्योंकि निजी ठेकेदार/विक्रेता द्वारा आपूर्ति किये गए इलैक्ट्रॉनिक मीटरों को हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड द्वारा ऊर्जा के वितरण में उपयोग किया जाना था। इसके अतिरिक्त, विभाग ने हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड से वर्ष 2010-11 तथा 2011-12 की खरीद अवधि के संदर्भ में नवम्बर 2015 में प्रवेश कर के एक अन्य निर्धारण को तैयार करते हुए पांच प्रतिशत की दर से प्रवेश कर उदग्रहण तथा वसूल किया था।

2.5 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

निर्धारण प्राधिकारी द्वारा वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यापारी के निर्धारण के दौरान सकल बिक्री से ₹6.39 करोड़ की आय को निकालने के परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख के राजस्व की हानि हुई। इसके अतिरिक्त, ब्याज भी उदग्राह्य था।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(v) (जैड.डी.) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों, क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो उससे चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज उदग्राह्य होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के अभिलेखों की जून तथा जुलाई 2016 में की गई संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए एक व्यापारी के निर्धारणों को जून 2015 में क्रमशः ₹72.62 करोड़ तथा ₹90.42 करोड़ की सकल बिक्री पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 के लिए व्यापारी की कर योग्य बिक्री में क्रमशः ₹3.10 करोड़ तथा ₹3.29 करोड़ की आय को सम्मिलित नहीं किया था। निर्धारण प्राधिकारी के अपने निर्धारण आदेश में इन वर्षों की सकल बिक्री में आय को सम्मिलित न करने के कोई कारण प्रस्तुत नहीं किये। इस प्रकार, ₹6.38 करोड़ की सकल बिक्री का अल्प-निर्धारण हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, 31 मार्च 2017 तक कर के अल्प-भुगतान पर ब्याज भी उद्ग्राह्य था।

सरकार तथा विभाग को जून 2017 में मामला प्रतिवेदित किया गया था, विभाग ने उत्तर (अगस्त 2017) दिया कि बिक्री के मापदंडों की पूर्ति पर आय प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करती है तथा इसे व्यापार तथा लाभ एवं हानि के खाते में विधिवत रूप से लेखांकित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 2008-09 के लिए ₹564.98 करोड़ तथा 2009-10 के लिए ₹633.58 करोड़ की 'बिक्री एवं परिचालन आय' में व्यापारी द्वारा उपार्जित किये गए प्रोत्साहन को पहले ही सम्मिलित कर दिया गया था इस प्रकार विभाग का 'अन्य आय' के संदर्भ में प्रोत्साहन का प्रतिनिधित्व करने का कथन सही नहीं था। इसके अतिरिक्त, 'अन्य आय' ₹1.30 करोड़ तथा ₹97.00 लाख के समेकित वार्षिक लेखों का मूल भाग होने के बावजूद भी व्यापारी के मण्डी जिले के उसके शो-रूम के संदर्भ में दर्शाई गई आय की अपेक्षा कम था। आगे नियम 17 के अंतर्गत एक पंजीकृत व्यापारी को उसकी सकल बिक्री से कटौती अनुमत 'एक ऐसी राशि के रूप में नकद छूट उसके नियमित व्यापार प्रथा के अनुसार प्रदान की जा सकती है' तथा इसमें प्रोत्साहन के प्रति किसी कटौती का प्रावधान नहीं किया। इस प्रकार, सकल बिक्री से ₹6.39 करोड़ की आय को निकालने के परिणामस्वरूप ₹25.52 लाख का राशि के मूल्य वर्धित कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.6 सकल बिक्री का गलत निर्धारण

सकल बिक्री में से ₹61.42 करोड़ का अवनिर्धारण/आय को निकालने के कारण राज्य सरकार को ₹7.68 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(v) (जैड.डी.) के अनुसार 'बिक्री' से तात्पर्य व्यापारी द्वारा की गई बिक्रियों, क्रयों तथा बिक्रियों व क्रयों के अंशों की सकल राशि तथा भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा तथा वस्तुओं के वितरण के समय अथवा वितरण से पूर्व व्यापारी द्वारा किए गए किसी भी कार्य के लिए प्रभारित की गई राशि सम्मिलित है। इस के अतिरिक्त, उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19(1) में प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर की अदायगी करने में विफल रहता है तो उससे चूक जारी रहने तक निर्धारित दरों पर ब्याज उद्ग्राह्य होगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के लिए एक व्यापारी के निर्धारणों को जून 2015 में क्रमशः ₹95.19 करोड़ तथा ₹103.09 करोड़ की सकल बिक्री पर निर्धारण को अंतिम रूप दिया। यद्यपि, व्यापार तथा लाभ एवं हानि खाता में वर्ष 2006-07 तथा 2007-08 के दौरान क्रमशः ₹139.60 करोड़ तथा ₹161.13 करोड़ की सकल बिक्री दर्शाई गई थी। निर्धारण

प्राधिकारी ने निर्धारण के दौरान व्यापारी के दिल्ली कार्यालय से संबंधित ऐसी राशि जिसके लिए बिल नहीं काटे गए थे, के रूप में क्रमशः ₹25.51 करोड़ तथा ₹35.91 करोड़ की सकल बिक्री को घटा दिया था। यद्यपि, ₹61.42 करोड़ की सकल बिक्री घटाने के लिए अनुमत नहीं थी क्योंकि आई.टी.डी. पब्लिक कम्पनी लिमिटेड को थाइलैंड के कानून के अंतर्गत सम्मिलित किया गया था तथा कम्पनी ने हिमाचल प्रदेश राज्य में एन.टी.पी.सी. लिमिटेड द्वारा बांध के लिए लोक निर्माण कार्य, स्पिल-वे तथा बिजली बनाने के संदर्भ में प्रदान किये गए कोल-डैम हॉईड्रो-इलैक्ट्रिक प्रोजेक्ट के निष्पादित करने के लिए भारत में प्रोजेक्ट कार्यालय खोलने के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक को 6 फरवरी 2004 में एक सूचना दी थी तथा वित्तीय विवरणियां कम्पनी द्वारा की गई गतिविधियों के निष्कर्षों को परिलक्षित करती थी। इस प्रकार, व्यापार तथा लाभ एवं हानि खाता अकेले कोल-डैम हॉईड्रो-इलैक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट के द्वारा निष्पादित किये गए कार्यों के निष्कर्षों को परिलक्षित करता था तथा ₹61.42 करोड़ की आय को सकल बिक्री से घटाया जाना स्वीकार्य नहीं था। ₹61.42 करोड़ की आय को सकल बिक्री से घटाए जाने के फलस्वरूप ₹7.68 करोड़ (कर दर 12.50 प्रतिशत) कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था, इसका उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.7 कार्य अनुबंध कर की अल्प-कटौती

उप-संविदा भुगतानों पर कार्य अनुबंध कर की कटौती न करने के कारण ₹3.17 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर के नियम 38(i) में प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य संविदा के साथ अनुबंध में प्रवेश कर रहा हो या निर्माण ठेकेदार एक संविदा में उप-संविदाकार सहित निर्माण कार्यों का निष्पादन करने में माल के रूप सम्पत्ति का स्थानान्तरण करने के लिए प्रवेश करता है, वह ऐसे अनुबंध के 30 दिनों की अवधि के भीतर प्रपत्र वैट-XII में ऐसे अनुबंध के विवरण उचित निर्धारण प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा। आगे नियम 38(4) प्रावधान करता है कि उप-नियम (1) के अंतर्गत समस्त निर्माण संविदाओं का निष्पादन करने के संदर्भ में, चाहे वह भाग में अथवा पूर्ण रूप में निष्पादित की गई हो, के सभी भुगतानों से कटौती की जाएगी। हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 17 के प्रावधानों तथा नियम 38(3) में प्रावधान है कि किसी भी सरकार के किसी विभाग/निगम/सरकारी उपक्रम, सहायिता समितियां, स्थानीय निकायों, न्यास (ट्रस्ट) अथवा निजी या पब्लिक लिमिटेड कम्पनी अथवा अन्य किसी विषय में प्रत्येक व्यक्ति निर्माण कार्यों के निष्पादन में देय मूल्यवान प्रतिफल के रूप में किसी देयता के निर्वहन पर भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, वह सभी कार्य अनुबंधों से कर की कटौती के रूप में ऐसी राशि के दो प्रतिशत के बराबर की राशि को घटा सकेगा।

2.7.1 लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर के अभिलेखों से पाया कि निर्धारण प्राधिकारी जब जून 2015 में एक व्यापारी के वर्ष 2006-07, 2007-08, 2008-09 तथा 2009-10 के लिए निर्धारण को अंतिम रूप देते हुए श्रम प्रभागों में सम्मिलित ₹140.79 करोड़ की उप-अनुबंध कटौती को घटा दिया था। यद्यपि, व्यापारी ने केवल ₹140.79 करोड़ के कुल उप-अनुबंध प्रभागों के प्रति केवल ₹23.38 करोड़ के उप-अनुबंध भुगतान पर दो प्रतिशत की दर से ₹46.76 लाख के कार्य अनुबंध कर को ही घटाया था। इस प्रकार, व्यापारी द्वारा ₹2.35 करोड़ (₹117.41 करोड़ पर दो प्रतिशत की दर से) के श्रम संविदा कर की कटौती किये बिना ही

₹117.41 करोड़ के उप-अनुबंध भुगतान की कटौती श्रम प्रभारों के रूप में अनुमत की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹2.35 करोड़ के श्रम संविदा कर की अल्प कटौती हुई।

2.7.2 सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के एक व्यापारी के वर्ष 2009-10 के लिए निर्धारण आदेशों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि व्यापारी ने ₹140.18 करोड़ की सकल बिक्री में से ₹48.62 करोड़ के उप-संविदा व्ययों तथा ₹40.93 करोड़ के श्रम प्रभारों का दावा किया था। लेखापरीक्षा ने पाया कि तथापि व्यापारी ने सामग्री के अंतरण के लिए ₹48.62 करोड़ के भुगतान के प्रति उप-अनुबंध से दो प्रतिशत की दर से डब्ल्यू.सी.टी.⁴ घटा दिया था। ₹40.93 करोड़ के श्रम प्रभारों पर श्रम संविदा कर नहीं घटाया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹81.85 लाख के कर की अल्प-वसूली हुई।

निर्धारण प्राधिकारी ने अपने निर्धारण में इस अनियमितता को इंगित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹3.17 करोड़ का कर कम जमा हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने उत्तर (अगस्त 2017) में कहा था कि मण्डी जिले के व्यापारी ने ₹40.93 करोड़ के श्रम प्रभारों का दावा किया था परन्तु निर्धारण प्राधिकारी द्वारा सकल बिक्री की 25 प्रतिशत दर से ₹35.04 करोड़ के श्रम प्रभारों को उसे अनुमति दी गई थी तथा इसे उप-अनुबंध श्रम के रूप में नहीं दिया जा सकता क्योंकि इसे व्यापारी द्वारा वास्तविक श्रम व्ययों के रूप में भुगतान किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि व्यापारी ने निर्धारण अवधि के लिए वार्षिक लेखों के साथ संलग्न अनुसूची के अनुसार ₹89.55 करोड़ की राशि के उप-संविदाओं कार्य बिलों को स्वीकार कर लिया था। नियम 38(4) प्रावधान करता है कि कर की कटौती सभी निष्पादित किये गए कार्यों के संदर्भ में किये गए समस्त भुगतानों से कटौती लागू की गई थी तथा इस प्रकार ₹89.55 करोड़ की राशि के उप-संविदाओं कार्य के बिलों पर श्रम संविदा कर कटौती योग्य था। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.8 किराया प्रभारों की अमान्य कटौती तथा प्रवेश कर का अनुद्ग्रहण

कार्य अनुबंधों के लिए उपभोज्य खरीद की अमान्य कटौती तथा अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹77.58 लाख के राजस्व की हानि हुई।

2.8.1 हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की नियमावली का नियम 17(4)(अ) प्रावधान करता है कि एक निर्माण संविदा के निष्पादन में सम्मिलित सामग्री के मूल्य का सम्पूर्ण निर्माण संविदा के मूल्य को ध्यान में रखते हुए ही निर्धारण किया जाएगा तथा श्रम एवं सेवाओं में सम्मिलित किराए के लिए प्राप्त किये गए प्रभारों, निर्माण संविदा के निष्पादन के लिए उपयोग मशीनरी और उपकरणों तथा उपभोज्य सामग्री के मूल्य, जैसे कि संविदा के निष्पादन के लिए उपयोग किया गया पानी, बिजली एवं ईंधन, सम्पत्ति जिसको निर्माण संविदा के निष्पादन के दौरान स्थानांतरित नहीं किया गया है, उनमें से कटौती भुगतान के रूप में घटक है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के अभिलेखों की संवीक्षा से सामने आया कि निर्धारण प्राधिकारी ने वर्ष 2011-12 के लिए एक व्यापारी का निर्धारण करते हुए हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम/नियमावली, 2005 के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार्य कटौती की अनुमति के उपरान्त सकल बिक्री को ₹14.58 करोड़ के रूप में निर्धारित किया। निर्धारण

⁴ कार्य संविदा कर

प्राधिकारी ने मशीनरी और टिपर के भाड़े के प्रभारों के रूप में ₹4.11 करोड़ की कटौती की अनुमति दी थी जो कि वास्तव में 'उपभोज्य खरीद' थे। आगे, निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमत की गई ₹91.28 लाख की कटौती में मशीनरी के भाड़े के प्रभार पहले ही से सम्मिलित थे। इसके अलावा, निर्धारण प्राधिकारी ने ईंधन तथा ग्रीस को उपभोज्य खरीद की मर्दें होने के नाते ₹77.78 लाख की कटौती की अनुमति भी दी थी। इस प्रकार, ₹4.11 करोड़ की अमान्य कटौती के परिणामस्वरूप पांच प्रतिशत की न्यूनतम लागू दर पर ₹20.55 लाख के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2017) में कहा था कि ₹4.11 करोड़ के मूल्य की अन्य उपभोज्य वस्तुओं की कटौती हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की नियमावली, 2005 के प्रावधानानुसार अनुमत की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ₹4.11 करोड़ की कटौती की अनुमति मशीनरी और टिपर के भाड़े के प्रभारों के रूप में दी गई थी जोकि निर्धारण प्राधिकारी द्वारा अनुमत की गई ₹91.28 लाख की कटौती में पहले ही अनुमत की गई थी तथा इस प्रकार हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर की नियमावली, 2005 के अंतर्गत उपभोज्य खरीदों पर पुनः कटौती मान्य नहीं थी।

2.8.2 हिमाचल प्रदेश स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 2010 (तेगला) की धारा 3(1) में प्रावधान है कि व्यापारी के व्यवसाय के दौरान में अनुसूची-11 में निर्दिष्ट वस्तुओं के प्रत्येक स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश तथा उनके उपभोग, उपयोग या बिक्री के लिए राज्य सरकार को एक कर का उद्ग्रहण तथा भुगतान किया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि निर्धारण प्राधिकारी ने निर्माण संवीदा के निष्पादन के लिए उपयोग की गई मशीनरी के ईंधन तथा ग्रीस के रूप में ₹77.78 लाख की कटौती की अनुमति दी थी। ईंधन तथा ग्रीस को राज्य के भीतर ही खरीदा गया प्रतिवेदित किया गया था न कि अंतर्राज्यीय के माध्यम से। स्थानीय खरीदों के विवरण की संवीक्षा ने ईंधन/ग्रीस की खरीद को लागू कर दरों अर्थात् 9.60 प्रतिशत के साथ प्रतिबिंबित नहीं किया। इस प्रकार, ईंधन तथा ग्रीस की खरीद अंतर्राज्यीय माध्यम से की गई थी जिस पर ₹9.33 लाख का प्रवेश कर अधिरोपण योग्य था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि व्यापारी ने ₹9.54 करोड़ की राशि के कोलतार की अंतर्राज्यीय खरीद की थी जिस पर भी ₹47.70 लाख का प्रवेश कर अधिरोपण योग्य था। इस प्रकार, ईंधन, ग्रीस तथा कोलतार की ₹10.32 करोड़ की अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर के अनुद्ग्रहण के परिणामस्वरूप ₹57.03 लाख के राजस्व की हानि हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने उत्तर दिया (अगस्त 2017) कि कोलतार की अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर लागू नहीं था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि कोलतार करमुक्त वस्तुओं से संबंधित स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम की अनुसूची-1 में दर्शाया नहीं गया था तथा इस प्रकार कोलतार की अंतर्राज्यीय खरीद पर प्रवेश कर लागू था (दिसम्बर 2017)।

2.9 कार्य अनुबन्धों में श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति

श्रम प्रभारों की अधिक अनुमति तथा छोटे संविदाकारों के भुगतान के लिए कटौती के परिणामस्वरूप ₹3.46 करोड़ के कर के रूप में अल्पोद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 69(2) में प्रावधान है कि जहां श्रम प्रभार संविदाकारों के कार्यों के लेखा से निर्धारण करने योग्य नहीं हैं अथवा संविदा की प्रकृति के प्रतिफल में अतार्किक रूप से उच्च समझे जाते हैं, तो निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पूर्वोक्त नियमों की

तालिका के कॉलम (2) में निर्धारित संविदा के प्रकार के लिए कॉलम (3) में निर्धारित सीमाओं के अनुसार श्रम प्रभागों के लिए कटौतियों का अनुमोदन दिया जाएगा। उपर्युक्त नियम भवन, पुलों, सड़कों, बांधों, बैरियरों, नहर तथा विचलनों आदि के निर्माण जैसे सिविल कार्यों के अनुबंध के मूल्य के 25 प्रतिशत श्रम प्रभागों के लिए प्रावधान करता है।

लेखापरीक्षा ने सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी के निर्धारण अभिलेखों से पाया कि व्यापारी का व्यापारिक खाता वर्ष 2013-14 के लिए ₹11.31 करोड़ के श्रम भुगतान तथा ₹20.08 करोड़ के प्रत्यक्ष व्यय एवं उपभोग्य की राशि कुल ₹31.39 करोड़ की राशि उदघाटित करता है। इसमें ₹9.50 करोड़ की एक अन्य खरीद भी थी। निर्धारण प्राधिकारी ने अपने निर्धारण आदेश में ₹49.17 करोड़ की सकल बिक्री से ₹31.39 करोड़ के कर-मुक्त श्रम की अनुमति दी थी। इस प्रकार, निर्धारण प्राधिकारी ने नियम 69(2) के प्रावधानों के अनुसार किये गए कार्य के मूल्य के 25 प्रतिशत की दर से ₹12.29 करोड़ की स्वीकार्य राशि के प्रति ₹31.39 करोड़ के श्रम प्रभागों की अनुमति दी थी। संयोगवश, व्यापारी के व्यापारिक खाता में श्रम प्रभागों की ₹11.31 करोड़ की राशि दर्शाई तथा इस प्रकार श्रम प्रभागों को उस राशि तक सीमित किया जाना चाहिए था। इसके अलावा, निर्धारण प्राधिकारी भूमि कटाव कार्य के लिए छोटे ठेकेदारों के संदर्भ में सकल बिक्री में से ₹10.21 करोड़ की कटौती की अनुमति दी, जो कि व्यापारी के व्यापारिक खाते के अनुसार बिल्कुल प्रतिबिंबित/खर्च नहीं हुआ था। इस प्रकार, व्यापारी को श्रम प्रभागों/छोटे संविदाकारों के लिए कटौती देने के परिणामस्वरूप ₹3.46 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने अपने उत्तर (अगस्त 2017) में निर्धारण प्राधिकारी द्वारा छुपाई गई बिक्री के आधार पर किये गए पुनर्निर्धारण आदेश को अग्रेषित किया, जिसे स्वीकार नहीं किया गया था क्योंकि ट्रॉफ्ट पैराग्राफ में इसे श्रम प्रभागों की अधिक अनुमति के रूप में मुख्यतया से दर्शाया गया था तथा बिक्री को छुपाने के रूप में नहीं। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

2.10 गणना की गलती के कारण कर का अल्पोद्ग्रहण

निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों को अंतिम रूप देते हुए कर-योग्य सकल बिक्री को लागू दरों पर निर्धारित किया परन्तु ₹2.37 करोड़ की वास्तविक देयता के प्रति ₹1.30 करोड़ के निर्गम कर को विगणन किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 6 की अनुसूची 'ए' में प्रावधान है कि व्यापारी द्वारा की गई बिक्री पर कर उदग्राह्य है। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 19 में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यापारी निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो वह देय कर पर एक मास की अवधि के लिए एक प्रतिशत की दर से तथा इसके उपरान्त डेढ़ प्रतिशत प्रति मास की दर से चूक जारी रहने तक ब्याज के भुगतान का उत्तरदायी हो जाता है।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁵ के अभिलेखों की दिसम्बर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य की गई संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि कर अवधि 2010-11 से 2013-14 के लिए तीन व्यापारियों की कर-योग्य सकल बिक्री को ₹51.21 करोड़ पर परिकलित किया गया था। निर्धारण प्राधिकारियों ने व्यापारियों के निर्धारणों को (अप्रैल तथा अगस्त 2015 के मध्य) अंतिम रूप देते

⁵ बदी, सोलन तथा ऊना

हुए कर-योग्य सकल बिक्री को लागू दरों पर निर्धारित किया तथा ₹2.37 करोड़ की वास्तविक निर्गम कर देयता के प्रति ₹1.30 करोड़ के निर्गम कर की गणना की। इसके परिणामस्वरूप ₹1.07 करोड़ के कर का अल्पोद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त, अल्प कर पर ब्याज भी उपार्जित था।

इसे इंगित किये जाने पर, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन तथा ऊना ने बताया कि मामलो की समीक्षा करने के उपरान्त अधिनियम/नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बदी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

सरकार तथा विभाग को मामला फरवरी तथा अप्रैल 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था, उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

2.11 मनोरंजन शुल्क की अवसूली

आबकारी एवं कराधान विभाग ने केबल ऑपरेटरों पर मनोरंजन शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया जिससे कम-से-कम ₹9.93 करोड़ के राजस्व से वंचित रहना पड़ा।

केबल टीवी नेटवर्क (विनियमन) अधिनियम, 1995 में केबल ऑपरेटरों का क्षेत्र के प्रधान डाकघर कार्यालय के मुख्य पोस्टमास्टर के नाम के पंजीकृत प्राधिकारी जिसके प्रादेशिक क्षेत्राधिकार के भीतर संबंधित केबल ऑपरेटर का कार्यालय स्थित है, में अनिवार्य रूप से पंजीकृत होने का प्रावधान है। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम, 1968 की धारा 3 सरकार द्वारा निर्दिष्ट की गई दरों पर मनोरंजन शुल्क के उद्ग्रहण का प्रावधान करती है जिसको कि मालिक द्वारा एकत्रित किया जाएगा तथा सरकारी खजाने में जमा करवाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश मनोरंजन शुल्क (संशोधन) अधिनियम, 1999 'केबल टेलीविजन' तथा 'टेलीविजन प्रदर्शनी' में लाया गया जिसे हिमाचल प्रदेश मनोरंजन अधिनियम के दायरे के भीतर परिभाषित किया गया था। टेलीविजन प्रदर्शनी में किसी भी प्रकार के एंटीना की सहायता से एक प्रदर्शनी सम्मिलित है जिसके साथ केबल नेटवर्क जुड़ा हुआ हो।

पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों⁶ के अभिलेखों तथा जिला लोक संपर्क अधिकारियों से प्राप्त की गई सूचना की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि इन जिलों में 36 केबल ऑपरेटर पंजीकृत थे। तथापि, केबल ऑपरेटरों में से कोई भी केबल ऑपरेटर अपने उपभोक्ताओं को प्रदान की जा रही संवाओं पर मनोरंजन शुल्क का भुगतान नहीं कर रहे थे यद्यपि वे मनोरंजन आपूर्ति के लिए अपने उपभोक्ताओं से फीस प्रभारित कर रहे थे। आबकारी एवं कराधान विभाग की मई 2012 की अधिसूचना में प्रावधान है कि सभी प्रकार के मनोरंजनों पर शुल्क प्रवेश के लिए भुगतान की गई राशि के 10 प्रतिशत की दर से तत्काल प्रभाव से उद्ग्रहण किया जाएगा। केबल ऑपरेटरों द्वारा अपने ग्राहकों से 10 प्रतिशत की दर से प्रभारित किया गया शुल्क केबल ऑपरेटरों से ₹9.93 करोड़ के राजस्व के उपार्जन का परिणाम होना चाहिए जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:-

⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बदी, कुल्लू, शिमला, सोलन तथा ऊना

तालिका-2.11: केबल ऑपरेटरों से मनोरंजन शुल्क की अवसूली

(₹में)							
जिले का नाम	केबल ऑपरेटरों की कुल संख्या	केबल कनेक्शन की संख्या	प्रति कनेक्शन दर	भुगतान योग्य मनोरंजन शुल्क की अवधि	महीनों की संख्या	केबल कनेक्शनों से वसूल की गई राशि	10 प्रतिशत की दर से मनोरंजन कर शुल्क
1	2	3	4	5	6	7	8
बददी	6	10,400	150 से 260	मई 2012 से मार्च 2016	109	2,52,97,000	25,29,700
कुल्लू	2	11,227	150	अप्रैल 2013 से मार्च 2016	41	2,73,55,050	27,35,505
शिमला	4	1,57,251	200 से 210	अप्रैल 2014 से मार्च 2016	96	76,87,96,800	7,68,79,680
सोलन	9	14,285	200 से 270	मई 2012 से मार्च 2016	270	7,77,17,000	77,71,700
ऊना	15	11,995	100 से 200	मई 2015 से मार्च 2016	295	9,34,81,300	93,48,130
योग	36	2,05,158				9,92,64,715	9,92,64,715

सरकार तथा विभाग को मामला जुलाई 2016 तथा मई 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था। विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को मनोरंजन शुल्क की वसूली के लिए समस्त केबल ऑपरेटरों को नोटिस जारी किये गए थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

अध्याय-III
राज्य आबकारी

अध्याय -III राज्य आबकारी

3.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त विभाग का अध्यक्ष होता है। विभाग को तीन अंचलों¹ में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त, सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 255 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को आबकारी शुल्कों एवं संबद्ध करों के उद्ग्रहण/संग्रहण का अनुश्रवण तथा विनियमन करने के लिए प्रतिनियुक्त किया जाता है।

3.2 लेखापरीक्षा परिणाम

राज्य आबकारी शुल्क से सम्बन्धित 2016-17 में 10 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच से ₹144.30 करोड़ से निहित 29 मामलों में आबकारी शुल्क/लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति एवं अन्य अनियमितताओं की गैर/अल्प वसूली उद्घाटित हुई जो नीचे दर्शाई गई है।

तालिका-3.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1	'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा	01	132.46
2	आबकारी शुल्क की गैर/अल्प वसूली	01	0.06
3.	लाइसेंस फीस/ब्याज/शास्ति इत्यादि की गैर/अल्प वसूली	16	6.85
4.	अन्य अनियमितताएं	11	4.93
योग		29	144.30

विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 12 मामलों में ₹93.12 करोड़ का अवनिर्धारण एवं अन्य कमियों को स्वीकार किया, जिनमें से विगत वर्षों से संबंधित 12 मामलों में ₹46.75 लाख की राशि वसूली की गई थी।

₹132.46 करोड़ की वित्तीय अंतर्निहितता पर एक निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ₹3.50 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कुछ आवश्यक मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

¹ दक्षिण जोन (शिमला, सोलन, सिरमौर, किन्नौर तथा स्पिति क्षेत्र), उत्तर जोन (चम्बा, कांगड़ा तथा ऊना) तथा केन्द्रीय जोन (बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, लाहौल क्षेत्र तथा मण्डी)।

3.3 'शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन' पर निष्पादन लेखापरीक्षा

- बीयर उत्पादन में अपशिष्ट को नियमों में बिना किसी प्रावधान किये अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹2.44 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि।
(पैराग्राफ 3.3.8)
- एक राज्य में 29 बिक्री केन्द्रों को उनकी कार्यक्षमता की तुलना में शराब के कोटे का अल्प आवंटन अनुमत करने के परिणामस्वरूप ₹4.12 करोड़ की लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण।
(पैराग्राफ 3.3.10)
- वर्ष 2015-16 के दौरान 73 बिक्री केन्द्रों द्वारा शराब कोटे को अधिक उठाने के कारण ₹1.82 करोड़ की लाइसेंस फीस की हानि हुई।
(पैराग्राफ 3.3.11)
- पांच राज्यों के 358 बिक्री केन्द्रों द्वारा न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर विभाग ने ₹4.94 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया।
(पैराग्राफ 3.3.14)
- तीन शराब की भट्टियों द्वारा एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल के उत्पादन पर विभाग ने ₹18.29 करोड़ के आबकारी शुल्कका उद्ग्रहण नहीं किया।
(पैराग्राफ 3.3.16)
- सिरमौर राज्य की शराब भट्टी द्वारा बीयर को निर्यात करने पर विभाग ने ₹8.46 करोड़ के आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण नहीं किया।
(पैराग्राफ 3.3.17)

3.3.1 परिभाषा

आबकारी शुल्क कर राजस्व का एक मुख्य स्रोत हैं, जो कि विनिर्माण, भंडारण, बिक्री, शराब के आयात व निर्यात पर उद्ग्रहित व संग्रहित किया जाता है तथा औषधीय एवं शौचालय उपक्रम (एम. एण्ड टी. पी.) पर आबकारी शुल्क संग्रहित किया जाता है। राज्य में आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण व संग्रहण हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 1, धारा 3 के उपबन्ध (3), (5), (6), (6-बी), 9, 10, 11, 12, (12-ए), (14), (16), (19) तथा (21), पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914 की धाराओं 16, 20, 21, 22, 23, 31, 32, 33-ए, 58, 59 एवं 60 में निहित प्रावधानों के द्वारा संचालित किया जाता है। शराब के लिए लाइसेंस को प्रदान करना हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियम, 1986 द्वारा संचालित किया जाता है। शराब की भट्टियों के कार्याचालन को पंजाब आसवनी नियम, 1932 के द्वारा संचालित किया जाता है। औषधीय एवं शौचालय पदार्थ पर आबकारी शुल्क अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा अथवा अन्य मादक दवा या मादक को औषधीय एवं शौचालय पदार्थ अधिनियम, 1955 (संघ अधिनियम) द्वारा संचालित किया जाता है तथा राज्य के आबकारी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा संग्रहित एवं विनियोजित किया जाता है।

3.3.2 संगठनात्मक ढांचा

प्रधान सचिव (आबकारी एवं कराधान) सरकारी स्तर पर प्रशासनिक अध्यक्ष होता है। आबकारी एवं कराधान विभाग की अध्यक्षता आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा की जाती हैं जो कि आबकारी कानूनों के अंतर्गत अपीलीय और अनंतिम प्राधिकारी के रूप में अर्ध-न्यायिक शक्तियों के अतिरिक्त विभिन्न राजकोषीय उपायों के अधीक्षण तथा प्रशासन के कार्य से सशक्त है। विभाग को तीन अंचलों में विभाजित किया गया है, जिनकी अध्यक्षता अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण अंचल), उत्तरी अंचल एवं केन्द्रीय अंचल के उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा की

जाती है। इसके अतिरिक्त सम्बन्धित जिलों के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन 255 आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों की तैनाती शराब भट्टियों/बॉटलिंग संयंत्रों एवं मद्य-निर्माणशालाओं तथा सर्कलों में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के नियंत्रणाधीन आबकारी शुल्कों एवं सम्बन्धित करों के उद्ग्रहण/संग्रहण का अनुश्रवण तथा विनियमन करने के लिए की जाती है।

3.3.3 लेखापरीक्षा उद्देश्य

निष्पादन लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए संचालित की गई थी कि:

- आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा प्रशासित विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों के अंतर्गत उत्पाद शुल्क, फीस, पर्यवेक्षण प्रभारों का उद्ग्रहण व संग्रहण सही ढंग और कुशलता से किया जा रहा है;
- राज्य में कार्य कर रही शराब की भट्टियों/बॉटलिंग संयंत्रों से आबकारी शुल्क/स्थापना का मूल्य का संग्रहण समय पर तथा पूर्ण रूप से किया जा रहा है;
- विनिर्माण से औषधीय एवं शौचालय उपक्रम अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आबकारी शुल्क का उद्ग्रहण सही ढंग से किया जा रहा था;
- राजस्व का अनुकूलतम संग्रहण तथा विभिन्न अधिनियमों एवं नियमों का उचित प्रवर्तन किया जा रहा है तथा
- आबकारी एवं कराधान विभाग में पर्याप्त तथा प्रभावी आंतरिक नियंत्रण अस्तित्व में हैं।

3.3.4 लेखापरीक्षा की पद्धति एवं विषय क्षेत्र

‘शराब की भट्टियों के कार्यचालन सहित राज्य आबकारी विभाग का कार्यचालन’ की निष्पादन लेखापरीक्षा में 2011-12 से 2015-16 की अवधि को आवृत किया है जो जनवरी 2017 से मई 2017 के मध्य राज्य में आबकारी एवं कराधान आयुक्त एवं 13 क्षेत्रीय कार्यालयों में से छः क्षेत्रीय कार्यालयों जिनके अधीन 20 में से 16 शराब भट्टियों/मद्य-निर्माणशालाओं/बॉटलिंग संयंत्रों के कार्यालय है, में आयोजित की गई।

एक प्रारम्भिक सम्मेलन प्रधान सचिव (आबकारी), हिमाचल प्रदेश सरकार के साथ अप्रैल 2017 में आयोजित किया गया था जिसमें निष्पादन लेखापरीक्षा संचालित करने के उद्देश्यों, विषय क्षेत्र तथा पद्धति की चर्चा की गई थी। निष्पादन लेखापरीक्षा पर प्रारूप प्रतिवेदन विभाग तथा सरकार को जुलाई 2017 में अग्रेषित किया गया था अतिरिक्त मुख्य सचिव (आबकारी) एवं संयुक्त आयुक्त (आबकारी) के साथ अगस्त 2017 में अंतिम सम्मेलन आयोजित किया गया था।

3.3.5 लेखापरीक्षा मापदंड

लेखापरीक्षा ने निष्पादन लेखापरीक्ष के संचालन हेतु निम्न लेखापरीक्षा मापदंड अपनाए:

- हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011,
- पंजाब आबकारी अधिनियम, 1914,
- पंजाब आसवनी नियम, 1932,

- 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए आबकारी आवंटन की घोषणाये,
- हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियम, 1986; तथा
- औषधीय एवं शौचालय पदार्थ अधिनियम, 1955

3.3.6 राजस्व की प्रवृत्ति

राज्य आबकारी शुल्क की वास्तविक प्राप्तियां 2011-12 में ₹707.36 करोड़ से बढ़कर 2015-16 में ₹1,131.22 करोड़ हुई। यह राज्य सरकार की कुल कर प्राप्तियों के 16.89 से 18.58 प्रतिशत के मध्य थी।

सारणी-3.2: कुल कर प्राप्तियों तथा राज्य आबकारी शुल्क राजस्व का विवरण

			₹ करोड़ में
वर्ष	राज्य आबकारी शुल्क प्राप्ति	कुल कर प्राप्तियां	कर प्राप्तियों की प्रतिशतता
2011-12	707.36	4,107.92	17.21
2012-13	809.87	4,626.17	17.50
2013-14	951.96	5,120.91	18.58
2014-15	1,044.14	5,940.16	17.57
2015-16	1,131.22	6,695.81	16.89

स्रोत: वित्त लेखे

राज्य आबकारी शुल्क के अंतर्गत राजस्व संग्रहण 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान घटती प्रवृत्ति को दर्शाता है तथा यह 2013-14 में 18.58 प्रतिशत से 2015-16 में 16.89 प्रतिशत तक नीचे आ गया।

प्रणाली में कमियां

3.3.7 शीरा से स्पिरिट का कम उत्पादन

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.37 में प्रावधान है कि एक माउंड (0.373 क्विंटल) शीरा को देसी स्पिरिट के 3.5 लंदन प्रूफ गैलन (15.391 प्रूफ लीटर) के बराबर माना जाएगा।

ऊना जिला में एक शराब भट्टी² ने 2011-12 तथा 2015-16 के दौरान परिशोधित स्पिरिट के निर्माण हेतु 66,168 क्विंटल शीरा लगाया। शराब की भट्टी ने 27,30,092 प्रूफ लीटर उत्पादन के प्रति वास्तव में 23,83,348 प्रूफ लीटर शीरा का उत्पादन प्रतिवेदित किया। वास्तविक उत्पादन नीचे दर्शाया गया है:

सारणी-3.3: शीरा से स्पिरिट का उत्पादन

वर्ष	उपयोग किये गए शीरे की मात्रा (प्रूफ लीटर)	नियमों के अनुसार उत्पादन (प्रूफ लीटर)	वास्तविक उत्पादन (प्रूफ लीटर)	कम उत्पादन (प्रूफ लीटर)	कम उत्पादन (बल्क लीटर) (1 बल्क लीटर = 1.68 प्रूफ लीटर)	उद्ग्राह्य आबकारी शुल्क 10/- ₹0 एवं 11/- ₹0 प्रति बल्क लीटर
2011-12	52,095	21,49,440	19,01,468	2,47,972	1,47,602	14,76,020
2015-16	14,073	5,80,652	4,81,880	98,772	58,793	6,46,723
योग	66,168	27,30,092	23,83,348	3,46,744	2,06,395	21,22,743

इस प्रकार, ₹21.23 लाख के आबकारी शुल्क से संलिप्त 2,06,395 बल्क लीटर स्पिरिट का कम उत्पादन हुआ था। यह मामला वर्ष 2009 में आसवनियों की कार्यप्रणाली पर निष्पादन लेखापरीक्षा के पैराग्राफ संख्या 3.2.14 में भी विशेष रूप से इंगित किया गया था, तब राज्य सरकार ने कहा (जुलाई 2009) कि बदली हुई परिस्थितियों के कारण पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अंतर्गत

² मै. आर.बी.एल. लिमिटेड

उत्पादन करने के लिए नियत किये गए मानदंडों का पालन करना सम्भव नहीं था। यद्यपि, वर्तमान वास्तविकताओं के अनुसार मानदंडों को पुनः निर्धारण करने के लिए कदम उठाए जा रहे थे।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने स्वीकार किया (सितम्बर 2017) कि उत्पादन दर का पुनः निर्धारण नहीं किया गया था तथा वास्तविक उत्पादन किसी नियम के अभाव में अनुमत किया जाए। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि मानदंड स्पिरिट की चोरी को रोकने तथा संभावित राजस्व की वसूली करने के लिए अपेक्षित थे।

3.3.8 अमान्य अपव्यय पर शुल्क की हानि

पंजाब मद्यनिर्माणशाला नियमावली, 1956 के नियम 35(1), जो हिमाचल प्रदेश में लागू है, में प्रावधान है कि बीयर पर शुल्क, वास्तव में निर्मित किये गए शराब की कुल मात्रा जिसे कि लाइसेंसधारी द्वारा मद्य-निर्माण बुक में दर्ज किया गया है, या निरीक्षक द्वारा पता लगाया गया तथा उसकी सर्वेक्षण बुक फार्म बी-6 में दर्ज किया गया है, जो भी उच्चतर हो, अपव्यय कि लिए 8 प्रतिशत शुल्क कम करके निर्धारित दरों पर प्रभारित किया जाएगा।

दो मद्य-निर्माणशालाओं³ की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान सोलन तथा सिरमौर जिलों में दो मद्य-निर्माणशालाओं के बोतलीकरण टैंकों में 344.89 बल्क लीटर निर्मित बीयर प्राप्त की गई थी। इसमें से, बोतलीकरण के स्तर तक पहुंचने के उपरान्त बीयर के 14.88 लाख बल्क लीटर अपव्यय का दावा किया गया तथा सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा इसे अनुमत कर दिया गया। भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम्बर 1996 में एक मामले में सम्मिलित मै. मोहन मेकिन लिमिटेड बनाम आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हिमाचल प्रदेश तथा अन्यो पर गुण के आधार पर निर्णय दिया था कि आबकारी शुल्क उस समय शुल्क के लिए मान्य था जब निर्मित उत्पाद बिना किसी अपव्यय के निगमन को विनिर्दिष्ट किये अर्थात् बॉटलिंग टैंक में बीयर प्राप्त कर ली गई हो अथवा निर्मित उत्पाद भण्डारण या गोदाम इत्यादि के स्थान से हटाया गया हो। इस प्रकार, बीयर में अपव्यय की अनुमति अमान्य थी जिसके परिणामस्वरूप ₹2.44 करोड़ के आबकारी शुल्क की हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने संबंधित मद्यनिर्माणशाला से संबंधित अभिलेखों को प्रस्तुत करने के लिए कहा गया था। जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने उत्तर दिया कि वास्तविक अपव्यय ही अनुमत किया जा रहा था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उच्चतम न्यायालय के नवम्बर 1996 के निर्णय के अनुसार अपव्यय स्वीकार्य नहीं था।

3.3.9 टूट-फूट की अनियमित स्वीकृति

हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियमावली, 1986 में देश के थोक आपूर्तिकर्ता को शराब और बीयर सहित विदेशी शराब के परिवहन, भण्डारण तथा निर्गमन में टूट-फूट अथवा रिसाव के कारण किसी प्रकार के अपव्यय को निर्धारित नहीं किया गया है। तथापि, आबकारी एवं कराधान निरीक्षक जिसको थोक आपूर्तिकर्ताओं के लेखों के अनुरक्षण का कार्य सुपुर्द किया गया है, का उत्तरदायित्व है कि वह की गई टूट-फूट की प्रत्यक्ष जांच द्वारा हुए वास्तविक अपव्यय सहित समस्त लेन-देन का अभिलेख रखेगा। हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियमावली, 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार समस्त लाइसेंसधारी उल्लिखित फार्मों में प्राप्तियों एवं बिक्रयों के लेखों का अनुरक्षण करेंगे और प्रत्येक मास

³ सिरमौर: कार्ल्सबर्ग इंडिया लिमिटेड: ₹1.24 करोड़ तथा सोलन: मोहन मेकिन मद्यनिर्माणशाला: ₹1.20 करोड़

के अंत पर आगामी मास की पांच तारीख तक प्राप्तियों एवं बिक्रयों का वास्तविक सार तैयार करेंगे तथा आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करेंगे।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के चार कार्यालयों के वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि एल-13 तथा एल-1⁴ लाइसेंसधारियों ने थोक बिक्री केन्द्रों से परिवहन, भंडारण एवं निर्गमन के दौरान देशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब और बीयर के 57,757 पूफ लीटर, 36,648 पूफ लीटर तथा 1,567 बल्क लीटर की टूट-फूट दर्शाई थी। आबकारी अधिकारियों अर्थात् आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी एवं कराधान निरीक्षक ने न ही लाइसेंसधारियों द्वारा अनुरक्षित पंजिकाओं अथवा न ही अन्य किसी अभिलेखों में टूट-फूट की जांच की थी और इन लाइसेंसधारियों द्वारा दावा की गई टूट-फूट को उसी रूप में लिया गया था। किसी प्रकार के मानदंड तथा आबकारी अधिकारी द्वारा टूट-फूट की प्रत्यक्ष जांच के अभाव में इस आधार पर कटौती अनियमित थी। इसके परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के रूप में ₹1.83 करोड़ के आबकारी राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा में यह पाया गया कि थोक बिक्री लाइसेंसधारकों (एल-1 तथा एल-13) द्वारा प्रस्तुत की गई अभिलेखों की प्रतिलिपियां छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में से किसी में भी उपलब्ध नहीं थी।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि हिमाचल प्रदेश शराब लाइसेंस नियमावली, 1986 में कोई प्रावधान न होने के मद्देनजर; पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अनुसार 0.50 प्रतिशत का अपव्यय स्वीकार्य था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि संबंधित आबकारी एवं कराधान अधिकारियों ने बिना जांच किये लाइसेंसधारियों द्वारा दावा किये गए अपव्यय को स्वीकृत किया था।

अनुपालना में कमियां

3.3.10 बिक्री केन्द्रों का कोटा नियत करना

आबकारी एवं कराधान आयुक्त-सह-वित्तीय आयुक्त, हिमाचल प्रदेश, के पास अधिकार है कि वह समस्त अथवा किसी लाइसेंसधारक या बिक्री केन्द्रों के पूर्व-निर्धारित संयोजन जिसे 'इकाई' की संज्ञा दी है, को राजस्व लाभ की दृष्टि से आवंटन द्वारा अथवा नीलामी द्वारा या निजी अनुबंध द्वारा या निविदाएं आमंत्रण द्वारा या समझौता द्वारा या लॉट्स के आहरण द्वारा या नवीकरण द्वारा अथवा अन्य किसी प्रबन्धन द्वारा बिक्री केन्द्र को बेच सकता है।

आबकारी घोषणा के खंड 4.1 के अनुसार संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त/ आबकारी एवं कराधान अधिकारी, जिला प्रभारी संबंधित अंचल के समाहर्ता (आबकारी) के परामर्श से जिले में प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए न्यूनतम गारंटीड कोटा एवं जिला-वार कोटा आवंटित करेगा। तथापि, जिला स्तर पर विभिन्न इकाईओं/बिक्री केन्द्रों को देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के कोटे के वितरण के दौरान संबंधित समाहर्ता (आबकारी) तथा जिला प्रभारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक विशेष इकाई/बिक्री केन्द्र द्वारा पूर्ववर्ती मार्च तक उठाए गए देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के अतिरिक्त कोटे की मात्रा को प्रत्येक इकाई/बिक्री केन्द्र के कोटे के आंकड़ों में भी सम्मिलित किया गया है। किसी विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस उस

⁴ एल-1: भारत में निर्मित विदेशी शराब का थोक-बिक्रेता बिक्री केन्द्र तथा एल-13: देशी शराब का थोक-बिक्रेता बिक्री केन्द्र

⁵ मण्डी: ₹83.00 लाख, नुरपूर: ₹38.00 लाख, सिरमौर: ₹52.00 लाख तथा ऊना: ₹10.00 लाख

वर्ष की लाइसेंस फीस की दरों पर सम्पूर्ण वर्ष के लिए उस बिक्री केन्द्र हेतु नियत किये गए देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटे पर आधारित है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के 2015-16 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि यहां तक कि बिना किसी औचित्य के 19 बिक्री केन्द्रों में पिछले वर्ष (अर्थात् 2014-15)के उठाए गए कोटा (देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब) की तुलना में शराब का कोटा कम आवंटित किया गया था, जबकि इन बिक्री केन्द्रों ने पिछले चार वर्षों में आवंटित न्यूनतम गारंटीड कोटा को उठा लिया था। इस प्रकार, 19 बिक्री केन्द्रों को इनकी क्षमता की तुलना में कम कोटे के आबंटन के परिणामस्वरूप ₹3.23 करोड़ की वार्षिक लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ था।

आगे, सिरमौर के 10 अन्य बिक्री केन्द्रों को कोटे का आबंटन विगत वर्ष अर्थात् 2014-15 के दौरान 75,278 प्रूफ लीटर (देशी शराब) तथा 93,426 प्रूफ लीटर (भारत में निर्मित विदेशी शराब) के प्रति 2015-16 में इन बिक्री केन्द्रों को 60,643 प्रूफ लीटर (देशी शराब) तथा 66,568 प्रूफ लीटर (भारत में निर्मित विदेशी शराब) इनकी क्षमता के प्रति कम नियत किया गया था। परन्तु इन बिक्री केन्द्रों के उत्तोलन तथा उपभोग की विवरणियों के अवलोकन से उद्घाटित हुआ कि इन 10 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने 2015-16 के दौरान रियायती दरों पर 1,602 प्रूफ लीटर (देशी शराब) तथा 1,305 प्रूफ लीटर (भारत में निर्मित विदेशी शराब) का अतिरिक्त कोटा उठाया था। इस प्रकार, इन 10 बिक्री केन्द्रों को आरंभिक कोटे के कम आबंटन के परिणामस्वरूप ₹89.00 लाख की वार्षिक लाइसेंस फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इसे इंगित किये जाने पर, विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि मुख्यालय द्वारा नियत किये गए कोटे/लाइसेंस फीस के अनुसार उचित बोली/निविदा प्राप्त न होने के कारण इन 19 बिक्री केन्द्रों को जिला स्तर पर कोटा आवंटित नहीं किया जा सका तथा समझौता होने के बाद मुख्यालय स्तर पर कोटा/लाइसेंस फीस नियत की गई थी। इसके अलावा, सिरमौर जिला में समझौता द्वारा बिक्री केन्द्रों को आबंटन करने के कारण मुख्यालय स्तर पर भारत में निर्मित विदेशी शराब का कोटे में वृद्धि की गई जबकि देशी शराब के कोटे में कमी की गई थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि 29 बिक्री केन्द्रों (19 +10) के संबंध में कोटे में की गई कमी के लिए तार्किक कारण प्रस्तुत नहीं किये गए थे।

3.3.11 कोटा का अधिक उठाया जाना

वर्ष 2015-16 के लिए आबकारी घोषणा के खंड 4.4 के अनुसार, एक बिक्री केन्द्र/इकाई/इकाईयों के लिए लाइसेंस फीस आवंटित कोटे के आधार पर पूर्व निर्धारित होती है। अतिरिक्त कोटा आबकारी घोषणा के खंड 4.6 के अनुसार, निर्धारित लाइसेंस फीस के भुगतान पर आवंटित कोटे को उठाए जाने के पश्चात् दिया जाता है।

नमूना जांच किये गए छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में से पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रस्तुत की गई वार्षिक विवरणियों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि नमूना जांच किये गए 477 बिक्री केन्द्रों में से 73 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने 2015-16 के दौरान 9,53,864 प्रूफ लीटर आवंटित कोटा के प्रति 10,44,627 प्रूफ लीटर कोटा उठाया था। यद्यपि, कोटा के आधार पर पूर्व-निर्धारित राशि के आधार पर लाइसेंस फीस का भुगतान कर दिया गया था तथा अधिक उठाए गए कोटे पर किसी अतिरिक्त राशि का भुगतान नहीं किया गया था। कोटा को अधिक उठाए जाने पर एम-2 रजिस्टर⁶ के अनुसार लाइसेंस

⁶ बिक्री केन्द्रों से वसूल की गई लाइसेंस फीस के विवरण को दर्शाता एक रजिस्टर

फीस की न तो विभाग द्वारा मांग की गई और न ही लाइसेंसधारकों ने भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप 90,764 प्रूफ लीटर (देशी शराब: 48,080 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 42,684 प्रूफ लीटर) कोटा को अधिक उठाए जाने पर लाइसेंस फीस के रूप में ₹1.82 करोड़⁷ की राशि की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि उठाये गये कोटे तथा आवंटित किये गए कोटे में विभिन्नता देशी शराब का भारत में निर्मित विदेशी शराब के कोटे में रूपान्तरण करना तथा इसके विपरीत भारत में निर्मित विदेशी शराब के कोटे का देशी शराब के कोटे में रूपान्तरण करना हो सकता है। आगे आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने ₹26.41 लाख में से ₹0.61 लाख वसूल कर लिए थे तथा आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी ने राशि को वसूल करने के लिए निर्देशों को जारी कर दिया था।

3.3.12 उठाए जाने की अपेक्षा अधिक खपत के कारण राजस्व की संदिग्ध चोरी

राज्य के लिए सरकार द्वारा देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम गारंटीड कोटा प्रूफ लीटरों में नियत किया गया है। इसे आगे जिला स्तर पर जिले के संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए आवंटित किया जाता है। आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 के अनुसार एक लाइसेंसधारक से मासिक न्यूनतम कोटा के आधार पर नियत की गई वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान अपेक्षित है। पैराग्राफ 4.4(क) में प्रावधान है कि एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस फीस की निर्धारित दरों पर निश्चित देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटा के आधार पर पूर्व निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस फीस को 12 मासिक किस्तों में विभक्त किया जाएगा तथा लाइसेंसधारक प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक सरकार के कोषागार में जमा करवाएंगे।

एक बिक्री केन्द्र का कोटा आबकारी अधिकारी द्वारा जारी किये गए आबकारी पासों के अनुसार उठाया जाता है जो सुनिश्चित करता है कि शराब का कोटा आवंटन के अनुसार ही उठाया जाता है। लाइसेंसधारक द्वारा आबकारी अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में बिक्री केन्द्र स्थापित है, को मासिक आधार पर ब्रांड-वार बिक्री केन्द्र में शराब की खपत का ब्यौरा दिया जाता है। तदुपरान्त आबकारी अधिकारी द्वारा प्रत्येक बिक्री केन्द्र के संबंध में उठाने तथा खपत की जाने की विवरणियां संबंधित जिला को मासिक आधार पर प्रस्तुत की जाती है तथा जिले की उठाने एवं खपत की जाने की समेकित विवरणियां आबकारी एवं कराधान आयुक्त को प्रस्तुत की जाती हैं।

तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की नमूना जांच में लेखापरीक्षा ने पाया गया कि 114 लाइसेंसधारकों में से 45 लाइसेंसधारकों ने वर्ष 2015-16 के दौरान उनके द्वारा उठाए गए 41,15,083 प्रूफ लीटर शराब के प्रति (देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब) के 41,33,098 प्रूफ लीटर शराब की खपत की गई थी। अतः उन्होंने उठाए गए कोटे से 18,015 प्रूफ लीटर की आधिक्य खपत (बिक्री) की थी। इसके लिए यद्यपि कारण मांगे गए थे, परन्तु उपलब्ध नहीं करवाए गए थे। इस प्रकार, 45 लाइसेंसधारकों द्वारा शराब के 18,015 प्रूफ लीटर का आधिक्य उपार्जन तथा खपत के परिणामस्वरूप लाइसेंस फीस के अनुद्ग्रहण के रूप में ₹34.54 लाख⁸ के राजस्व की हानि हुई।

⁷ बद्दी: ₹46 लाख, मण्डी: ₹34 लाख, सिरमौर: ₹58 लाख, सोलन: ₹26 लाख तथा ऊना: ₹18 लाख

⁸ बद्दी: ₹6.34 लाख, नूरपुर: ₹24.99 लाख तथा सोलन: ₹3.21 लाख

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने ₹0.34 लाख वसूल कर लिए थे जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी एवं नूरपुर ने संबंधित आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को खपत का मिलान करने तथा राशि को वसूल करने हेतु निर्देश दिए थे।

3.3.13 लाइसेंस फीस की अल्प-वसूली

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 के अनुसार एक लाइसेंसधारक से मासिक न्यूनतम कोटा के आधार पर नियत की गई वार्षिक लाइसेंस फीस का भुगतान अपेक्षित है। पैराग्राफ 4.4(क) में प्रावधान है कि एक विशेष बिक्री केन्द्र की वार्षिक लाइसेंस फीस प्रत्येक वर्ष के लिए लाइसेंस फीस की निर्धारित दरों पर निश्चित देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के न्यूनतम गारंटीड कोटा के आधार पर पूर्व निर्धारित की जाएगी। लाइसेंस फीस को 12 मासिक किस्तों में विभक्त किया जाएगा तथा लाइसेंसधारक प्रत्येक मास के अंतिम दिन तक सरकार के कोषागार में जमा करवाएंगे। मार्च मास की अंतिम किस्त का शराब को जारी करने हेतु पार-पत्र प्राप्त करने से पूर्व 15 मार्च तक फीस का पूर्ण रूप से भुगतान किया जाएगा। आगे, पैराग्राफ 4.5(ए) के अनुसार लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस की भुगतान नहीं की गई राशि पर एक मास/एक मास से अधिक की अवधि तक विलम्ब के लिए 14/18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 73(2) में प्रावधान है कि राज्य सरकार को देय समस्त अन्य राशि जो कि देय तिथि के बाद भुगतान के लिए रह जाती है, वह राशि हिमाचल प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1954 के प्रावधानों के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी (एक बिक्री केन्द्र) तथा ऊना के आठ बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने वर्ष 2015-16 के लिए पूर्व निर्धारित वार्षिक लाइसेंस फीस ₹57.10 करोड़ के प्रति ₹47.09 करोड़ लाइसेंस फीस जमा की थी जिसके परिणामस्वरूप ₹10.01 करोड़⁹ राशि की लाइसेंस फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, लेखापरीक्षा की तिथि (अप्रैल 2017) तक भुगतान नहीं की गई राशि पर ₹1.91 करोड़ का ब्याज भी प्रोद्भूत था।

इन मामलों को हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किये जाने की आवश्यकता थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना ने कुल 10 इकाईयों में से आठ बिक्री केन्द्रों में ₹9.55 करोड़ को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित कर दिया था जबकि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी ने लाइसेंस फीस की वसूली को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित नहीं किया था। आगे, विभाग ने केवल एक इकाई में लाल स्याही से प्रविष्टि की थी तथा ऊना की शेष सात इकाईयों में लाल स्याही से प्रविष्टि अभी भी की जानी थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि भुगतान नहीं की गई राशि के मामलों में इस राशि को चूककर्ता के राजस्व अभिलेख में लाल स्याही से प्रविष्टि करने के साथ ही भू-राजस्व के बकाया के अंतर्गत बकाया घोषित किया गया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि ऊना जिले में अंतर्ग्रस्त आठ इकाईयों में से सात इकाईयों में चूककर्ताओं के राजस्व पत्रों में अभी तक लाल स्याही से प्रविष्टि नहीं की गई थी।

⁹ मण्डी: एक मामला: ₹5.00 लाख एवं ब्याज: ₹0.98 लाख तथा ऊना: आठ मामले: ₹9.96 करोड़ एवं ब्याज: ₹1.90 करोड़

3.3.14 न्यूनतम गारंटीड कोटा को कम उठाने पर अतिरिक्त फीस का अनुद्ग्रहण

राज्य के लिए सरकार द्वारा देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम गारंटीड कोटा प्रूफ लीटरों में नियत किया गया है। जिला स्तर पर इसे आगे जिले के संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए आवंटित किया जाता है।

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 में अनुबंध है कि प्रत्येक लाइसेंसधारक को त्रैमासिक आधार पर प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए नियत किया गया न्यूनतम गारंटीड कोटा उठाना अपेक्षित होगा, जिसमें विफल रहने पर भी वह न्यूनतम गारंटीड कोटा के आधार पर निश्चित की गई लाइसेंस फीस का भुगतान करने हेतु उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटा पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 100 प्रतिशत से कम होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि पांच सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में नमूना जांच किये गए 529 बिक्री केन्द्रों में से 358 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारकों ने निश्चित किये गए न्यूनतम गारंटीड कोटा 78,14,755 प्रूफ लीटर कोटे के प्रति 63,02,880 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जो कि 2015-16 के दौरान 15,11,875 प्रूफ लीटर (देशी शराब: 7,67,376 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 7,44,499 प्रूफ लीटर) कम थी। न्यूनतम गारंटीड कोटे को कम उठाए जाने पर भुगतान योग्य ₹4.94 करोड़¹⁰ की अतिरिक्त फीस का न तो लाइसेंसधारकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹4.94 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 358 बिक्री केन्द्रों में से 24 लाइसेंसधारियों ने 3,37,822 प्रूफ लीटर न्यूनतम गारंटीड कोटा नहीं उठाया जोकि 2015-16 के लिए न्यूनतम गारंटीड कोटा के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम था, जिस पर ₹40.70 लाख की शास्ति का उद्ग्रहण किया जाना अपेक्षित था परन्तु इन लाइसेंसधारियों से इसका भी उद्ग्रहण/मांग नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि मामले प्रक्रियाधीन थे। आगे, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने ₹5.69 लाख की राशि को वसूल कर लिया था तथा ऊना जिला में बकाया राशि को भू-राजस्व के बकाया के रूप में घोषित किया गया था।

3.3.15 लाइसेंस फीस के विलम्बित भुगतान पर ब्याज की वसूली न करना

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.4(डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गारंटीड कोटा उठाने में असमर्थ है, तो उसे उस मास के लिए लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त की अदायगी उस मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस के लिए पूर्ण रूप

¹⁰ बद्दी: अतिरिक्त फीस: ₹29.70 लाख, मण्डी: अतिरिक्त फीस: ₹1.01 करोड़, सिरमौर: अतिरिक्त फीस: ₹9.27 लाख, सोलन: अतिरिक्त फीस: ₹40.56 लाख तथा ऊना: अतिरिक्त फीस: ₹3.13 करोड़

से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। पैराग्राफ 4.5(ए) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की बची हुई राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 348 बिक्री केन्द्रों में से 160 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस ₹80.76 करोड़ की राशि को देय तिथि के उपरान्त अप्रैल 2015 तथा जून 2016 के मध्य एक से 385 दिनों के विलम्ब से जमा करवाया था। अतः वे लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगियों पर ₹1.44 करोड़ के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे, परन्तु सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने इसकी मांग नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि निर्धारित परिस्थितियों के अनुसार ब्याज की वसूली हेतु निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.16 एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर आबकारी शुल्क का अनुद्ग्रहण

पंजाब आबकारी अधिनियम, जैसा कि हिमाचल प्रदेश में लागू होता है, की धारा 23 में प्रावधान है कि इस नियम के अंतर्गत स्थापित अथवा लाइसेंस प्राप्त किये हुए किसी आसवनी, मद्य-निर्माणशाला, गोदाम अथवा भंडारण के किसी अन्य स्थान से कोई मादक पदार्थ तब तक नहीं हटाया जाएगा जब तक अध्याय-V के अंतर्गत भुगतान योग्य किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जा चुका हो अथवा इसके भुगतान हेतु एक वॉर्ड का निष्पादन न किया गया हो। आगे, वर्ष 2011-12 से 2015-16 के लिए हिमाचल प्रदेश आबकारी घोषणाओं के अध्याय 5.2 में ₹10.00 से ₹11.00 प्रति बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल पर आबकारी शुल्कों की दरें निर्धारित थी।

लेखापरीक्षा ने 2011-12 से 2015-16 की अवधि के लिए तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों की तीन आसवनियों जो एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का निर्माण करती हैं, के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि हिमाचल प्रदेश में इन आसवनियों द्वारा 3,66,95,631 बल्क लीटर एक्स्ट्रा न्यूट्रल अल्कोहल का उत्पादन किया परन्तु सरकार को कोई शुल्क भुगतान नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप ₹18.29 करोड़¹¹ के राजस्व की अवसूली हुई।

3.3.17 बियर के निर्यात पर आबकारी शुल्क का अनुद्ग्रहण

हिमाचल प्रदेश आबकारी अधिनियम, 2011 की धारा 36 में प्रावधान है कि मानव उपभोग के लिए किसी भी प्रकार की अल्कोहलिक शराब, जो उक्त अधिनियम की धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार आयात, निर्यात अथवा परिवहन की गई हो, पर राज्य सरकार की अधिसूचना द्वारा निर्देशित दर अथवा दरों पर आबकारी शुल्क अथवा प्रतिकारी शुल्क, जैसा भी मामला हो, का उद्ग्रहण तथा भुगतान किया जाएगा।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2014-15 तथा 2015-16 की अवधि के दौरान एक आसवनी को निर्धारित

¹¹ बढ़ी: मै. सबाक्स आसवनी: ₹2.07 करोड़, नुरपूर: मै. प्रीमियर अल्कोवेव: ₹2.01 करोड़ तथा ऊना: मै. रंगर ब्रिब्रिज लिमिटेड: ₹14.21 करोड़

एल-36 पंजिका¹² के कॉलम 1 से 10 में आवश्यक प्रविष्टियां करने के बाद बीयर की निर्यात की गई 3,151 संस्वीकृतियां जारी की गई थी जिसमें से 72,47,199 बल्क लीटर बीयर सम्मिलित थी। तथापि, निर्यात की गई बीयर पर किसी आबकारी शुल्क का उदग्रहण नहीं किया गया था जो फैक्टरी के हटाए जाने पर उदग्रहण था। इसके परिणामस्वरूप, बीयर के निर्यात पर आबकारी शुल्क की लागू दरों के आधार पर ₹8.46 करोड़ राशि के आबकारी शुल्क का उदग्रहण एवं वसूली नहीं हुई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि संबंधित आसवनी को उपयुक्त अभिलेख प्रस्तुत करने हेतु नोटिस जारी कर दिये गए थे।

3.3.18 बोतलीकरण फीस में डी-2ए/बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस फीस का अनियमित समायोजन

डी-2 लाइसेंसधारकों को देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के निर्माण के लिए तथा डी-2ए लाइसेंसधारकों को स्पिरिट का पुनःआसवन हेतु पॉट-स्टिल की स्थापना तथा कार्यचालन के लिए तदनुसार अनुमति प्रदान की जाती है। इसी प्रकार, बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंसधारकों को निर्धारित की गई फीस का भुगतान करने पर बंधक माल गोदामों की स्थापना की अनुमति दी जाती है। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने अधिसूचित (मार्च 1994) किया था कि डी-2 लाइसेंसधारक के मामले में, लाइसेंसधारक पहले भुगतान की गई फीस का अग्रिम रूप में समायोजन करेगा और इसके बाद सरकार द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार लाइसेंस फीस का भुगतान होगा। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने जुलाई 2006 में भी स्पष्ट किया था कि डी-2ए लाइसेंसधारक को मात्र मसाला देशी शराब बनाने के लिए शराब को दो बार आसवन हेतु अनुमति दी जाती है तथा इस लाइसेंस के अंतर्गत कोई अन्य गतिविधियां शामिल नहीं है। लाइसेंसधारक केवल तब ही बोतलीकरण कर सकता है जब उसके पास बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस होगा तथा उस मामले में गणना के उद्देश्य के लिए बोतलीकरण फीस बी.डब्ल्यू.एच.-2 के साथ संयोजित की जाती हैं। अतः डी-2ए एवं बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंसधारकों की लाइसेंस फीस बोतलीकरण फीस के प्रति समायोजन के योग्य नहीं है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अंतर्गत 13 आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों ने डी-2ए तथा बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंसधारकों की लाइसेंस फीस के आधार पर भुगतान किये गए ₹2.60 करोड़ के समायोजन के पश्चात् वास्तविक रूप से देय ₹29.40 करोड़ के प्रति ₹26.80 करोड़ की बोतलीकरण फीस का भुगतान किया था जो कि जुलाई 2006 में जारी किये गए दिशा-निर्देशों के अनुसार स्वीकार्य नहीं था। विभाग ने डी-2ए तथा बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंसधारकों की लाइसेंस फीस के अनियमित समायोजन के प्रति संबंधित आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों पर दावा नहीं किया था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि बोतलीकरण फीस पंजाब आसवनी नियम, 1932 के नियम 5 तथा 9.5 के अनुसार देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब पर बोतलीकरण फीस डी-2ए/बी.डब्ल्यू.एच.-2 हेतु वार्षिक लाइसेंस फीस के प्रति समायोजन योग्य थी। उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि यह जुलाई 2006 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के विपरीत था।

¹² एक रजिस्टर जिसमें निर्यात की संस्वीकृति के लिए प्राधिकारी द्वारा दिये गए अनुमोदन आदेश को दर्ज किया जाता है।

3.3.19 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की अवसूली

आबकारी घोषणा 2015-16 का पैराग्राफ 3.19 यह प्रावधान करता है कि एक बिक्री केन्द्र के लाइसेंस नवीकरण करने के मामले में पिछले वर्ष अर्थात् 2014-15, के न्यूनतम गारंटीड कोटा के 3 प्रतिशत तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2015-16 के लिए उस बिक्री केन्द्र के न्यूनतम गारंटीड कोटा की गणना में नहीं लिया जाएगा तथा लाइसेंसधारी को वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा। 31 मार्च 2015 को बिक्री केन्द्र में विगत वर्ष के न्यूनतम गारंटीड कोटा के तीन प्रतिशत से अधिक शराब को बिक्री न हुआ स्टॉक की आगामी वर्ष हेतु न्यूनतम गारंटीड कोटा में गणना की जाएगी और उस स्टॉक पर निर्धारित दर पर लाइसेंस फीस प्रभारित होगी।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के अभिलेखों की वर्ष 2015-16 के नमूना जाँच में सामने आया कि 441 बिक्री केन्द्रों में से 126 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों के 2014-15 के 26,258 प्रूफ लीटर शराब (देशी शराब: 10,567 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 15,691 प्रूफ लीटर) बिक्री न हुए स्टॉक को लेखांकन नहीं किया गया था। वर्ष 2015-16 के लिए लागू योग्य लाइसेंस फीस¹³ की 50 प्रतिशत की दर पर ₹35.82 लाख¹⁴ की लाइसेंस फीस भुगतान योग्य थी। लाइसेंस फीस न तो लाइसेंसधारको द्वारा जमा करवाई गई थी और न ही आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹35.82 लाख की लाइसेंस फीस की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को लाइसेंसधारियों के लेखों का मिलान करने के निर्देश दिये गए थे।

3.3.20 आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा पार-पत्रों को जारी न करना

आबकारी घोषणा वर्ष 2014-15 में प्रत्येक वर्ष के लिए कुल 2,00,80,700 प्रूफ लीटर देशी शराब का कोटा निश्चित किया था जिसमें से 18 प्रतिशत कोटा को मैहतपुर तथा परवाणू में स्थित हिमाचल प्रदेश उद्योग निगम लिमिटेड के दो संयंत्रों के पक्ष में चिह्नांकित किया गया था। आबकारी नीति का जनादेश है कि यदि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा निश्चित की गई न्यूनतम मात्रा की बिक्री नहीं होती तो ₹5 प्रति प्रूफ लीटर की अतिरिक्त फीस तथा ₹7 प्रति प्रूफ लीटर की शास्ति निर्माणकर्ता पर उदगृहीत की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड आबकारी एवं कराधान अधिकारी/आबकारी एवं कराधान निरीक्षक द्वारा मासिक पार-पत्रों (पास) को जारी न किये जाने के मद्देनजर वर्ष 2014-15 के दौरान विभिन्न जिलों में मासिक आधार पर चिह्नांकित 18 प्रतिशत कोटा के बराबर 4,41,669 प्रूफ लीटर देशी शराब के वितरण में विफल रहा। अतः हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड चिह्नांकित कोटा का वितरण/बिक्री न होने के कारण ₹22.08 लाख की अतिरिक्त फीस तथा ₹30.92 लाख की शास्ति उदग्रहण योग्य थी। इसके अतिरिक्त, आबकारी एवं कराधान विभाग को हिमाचल प्रदेश सामान्य उद्योग निगम लिमिटेड द्वारा चिह्नांकित कोटा की बिक्री में कमी पर मूल्य वर्धित कर की हानि हुई।

¹³ भारत में निर्मित विदेशी शराब: ₹243/2 प्रति प्रूफ लीटर तथा देशी शराब: ₹162/2 प्रति प्रूफ लीटर

¹⁴ बही: 33 बिक्री केन्द्र: ₹8.21 लाख, मण्डी: 23 बिक्री केन्द्र: ₹0.29 लाख, नुरपूर: 31 बिक्री केन्द्र: ₹1.06 लाख, सिरमौर: 13 बिक्री केन्द्र: ₹2.69 लाख, सोलन: 21 बिक्री केन्द्र: ₹4.03 लाख तथा ऊना: पांच बिक्री केन्द्र: ₹19.54 लाख

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि आबकारी घोषणा 2014-15 की शर्त 6.10 के साथ पठित 10.29 की गैर-अनुपालना के लिए कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.21 एल-13 बिक्री केन्द्र न खोलने पर वार्षिक लाइसेंस फीस की गैर-वसूली

आबकारी उद्घोषणा 2014-15 तथा 2015-16 के पैराग्राफ 6.10 में अनुबंध है कि देशी शराब के आपूर्तिकर्ताओं/आसवनियों से आवंटित किए गए प्रत्येक जिले में क्रमशः ₹2.30 लाख तथा ₹2.65 लाख प्रति बिक्री केन्द्र की लाइसेंस फीस के भुगतान पर एल-13 बिक्री केन्द्र (थोक बिक्री केन्द्र) खोले जाने अपेक्षित थे। इसमें आगे प्रावधान है कि उन देशी शराब आपूर्तिकर्ताओं जिन्होंने 2014-15 के दौरान उनको आवंटित नहीं किये गए जिलों में 2014-15 के दौरान एल-13 बिक्री केन्द्र खोले हैं, को वर्ष 2015-16 के दौरान भी उन जिलों में अनिवार्य रूप से यह एल-13 बिक्री केन्द्र खोलने होंगे क्योंकि वर्ष 2015-16 के दौरान इनको आवंटित जिले बनाया गया है।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के एल-13 बिक्री केन्द्रों के अभिलेखों की नमूना जाँच में लेखापरीक्षा ने पाया कि चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के देशी शराब के छः आपूर्तिकर्ताओं ने 2014-16 की अवधि के दौरान उन्हें आवंटित किये गए 37 बिक्री केन्द्रों में से 19 बिक्री केन्द्रों को नहीं खोला था जिसमें से देशी शराब के वह तीन आपूर्तिकर्ता भी शामिल हैं जिन्होंने 2014-15 के दौरान तीन बिक्री केन्द्र खोले थे लेकिन 2015-16 के दौरान बिक्री केन्द्र नहीं खोले। इन 19 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹48.95 लाख¹⁵ की वार्षिक लाइसेंस फीस वसूलनीय थी जिसकी विभाग द्वारा संबंधित देशी शराब आपूर्तिकर्ताओं से मांग नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि समस्त जिला प्रभारियों को आवंटित जिले में देशी शराब के निर्माताओं द्वारा एल-13 बिक्री केन्द्रों को नहीं खोले जाने की जांच करने के निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.22 बोतलीकरण फीस, फ्रैंचाइज फीस तथा ब्याज की अल्प-वसूली

आबकारी उद्घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 5.1(30) में प्रावधान है कि आसवनी लाइसेंसधारकों द्वारा देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के बोतलीकरण के मामले में भारत में निर्मित विदेशी शराब के 750 मिली लीटर की प्रति इकाई पर ₹1 की दर तथा देशी शराब की 750 मिली लीटर की प्रति इकाई पर ₹0.80 की दर पर बोतलीकरण फीस का भुगतान किया जाएगा। आबकारी उद्घोषणा के खंड 30 के अंतर्गत राज्य के बाहर स्थित अन्य आसवनियों तथा बोतलीकरण संयंत्रों की भारत में निर्मित विदेशी शराब के बोतलीकरण पर ₹7 प्रति प्रूफ लीटर की दर पर फ्रैंचाइजी फीस उदग्राह्य होगी। खंड 4.5(क) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारक देय तिथियों पर फीस अथवा उसके भाग के भुगतान करने में विफल रहता है तो एक मास तक 14 प्रतिशत वार्षिक दर पर और उसके बाद भुगतान में विफलता की तिथि से जब तक चूक जारी रहती है, 18 प्रतिशत वार्षिक दर पर ब्याज का भुगतान देय होगा।

(i) 16 आसवनियों तथा बोतलीकरण संयंत्रों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि सिरमौर की एक आसवनी¹⁶ द्वारा 2015-16 की अवधि के लिए 5,21,331 इकाईयों (देशी शराब की 4,61,484 इकाईयां तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब की 59,847 इकाईयां) के बोतलीकरण हेतु ₹4.29 लाख की बोतलीकरण फीस का भुगतान नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में आगे पाया कि उपर्युक्त

¹⁵ बही: ₹13.25 लाख, मण्डी: ₹2.65 लाख, नुरपूर: ₹7.95 लाख तथा सिरमौर: ₹25.10 लाख

¹⁶ सिरमौर: बोतलीकरण फीस: ₹4.29 लाख तथा फ्रैंचाइजी फीस: ₹3.14 लाख

लाइसेंसधारकों ने भारत में निर्मित विदेशी शराब के 44,885 प्रूफ लीटरों पर ₹3.14 लाख की राशि की फ्रैंचाइजी फीस का भुगतान नहीं किया था। इसके परिणामस्वरूप ₹7.43 लाख की लाइसेंस फीस/फ्रैंचाइजी फीस की वसूली नहीं हुई थी।

(ii) चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁷ की नमूना जांच में उद्घाटित हुआ कि सात आसवनियों में वर्ष 2015-16 के लिए ₹2.51 करोड़ की बोटलीकरण फीस जुलाई 2015 तथा अप्रैल 2016 के मध्य भुगतान योग्य थी परन्तु इन लाइसेंसधारकों ने इसको सितम्बर 2015 तथा मार्च 2017 के मध्य जमा किया था। जमा करवाने में विलम्ब 2 से 378 दिनों का था जिस पर ₹5.51 लाख का ब्याज भी उद्घाटित था। आगे, तीन सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों में पांच आसवनियों ने वर्ष 2015-16 के लिए जुलाई 2015 तथा मार्च 2016 के मध्य भुगतान योग्य ₹3.72 करोड़ की फ्रैंचाइजी फीस का भुगतान एक से 363 दिनों के विलम्ब से जमा किया था जिस पर ₹6.07 लाख का ब्याज भी उद्घाटित था। विभाग ने बोटलीकरण फीस तथा फ्रैंचाइजी फीस के विलम्बित भुगतान पर कोई मांग नहीं उठाई जिसके परिणामस्वरूप ₹11.58 लाख¹⁸ के ब्याज की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जिला के प्रभारियों को चूक-कर्ताओं के विरुद्ध शीघ्र आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिये गए थे।

3.3.23 आसवनी/बंधक माल गोदामों में तैनात आबकारी स्थापना स्टाफ के वेतन की अवसूली/अल्प-वसूली

हिमाचल प्रदेश में भी लागू पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 तथा 9.16 के अनुसार लाइसेंसधारी अपनी आसवनी में नियमों की अनुपालना सुनिश्चित करने तथा कार्य पर आबकारी विभाग द्वारा निगरानी रखने के लिए सरकारी आबकारी स्थापना स्टॉफ की तैनाती करने के लिए सहमत होगा। यदि आबकारी आयुक्त द्वारा अपेक्षित हो तो लाइसेंसधारी आसवनी में तैनात सरकारी आबकारी स्थापना स्टॉफ के वेतन के संदर्भ में मांगी गई राशि सरकारी खजाने में जमा कराएगा, किन्तु वह ऐसे स्थापना स्टॉफ के किसी सदस्य को सीधी अदायगी नहीं करेगा।

दो बोटलीकरण संयंत्रों सहित संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों¹⁹ के अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2015-16 के दौरान तैनात आबकारी स्थापना के लिए वेतन की ₹21.98 लाख की राशि की आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा मांग नहीं की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप सरकारी देयताओं²⁰ की वसूली नहीं हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, मण्डी ने आबकारी स्थापना के लिए वेतन को जमा करने के लिए नोटिस जारी कर दिये थे जबकि सिरमौर की आसवनियों ने इसे बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस फीस के विरुद्ध समायोजित किया गया। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि नियम बी.डब्ल्यू.एच.-2 लाइसेंस फीस के समायोजन का प्रावधान नहीं करते हैं।

¹⁷ बद्दी, मण्डी, नुरपूर तथा सिरमौर

¹⁸ बद्दी: मै. सबाक्स आसवनी: बोटलीकरण फीस: ₹0.72 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹0.38 लाख, मै. हिमालयन गोल्ड: बोटलीकरण फीस: ₹0.71 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹3.91 लाख, मै. रिकोर्ड परनोद: फ्रैंचाइजी फीस: ₹0.14 लाख, मण्डी: मै. बंसध राय: बोटलीकरण फीस: ₹0.65 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹0.21 लाख, नुरपूर: मै. वी.आर.वी. फूड: बोटलीकरण फीस: ₹1.60 लाख, फ्रैंचाइजी फीस: ₹1.43 लाख तथा सिरमौर: मै. हिल व्यू: बोटलीकरण फीस: ₹0.64 लाख, मै. यमुना ब्रिवरी: बोटलीकरण फीस: ₹0.60 लाख, मै. त्रिलोक सन्ज: बोटलीकरण फीस: ₹0.59 लाख

¹⁹ मण्डी तथा सिरमौर

²⁰ मण्डी: बोटलीकरण संयंत्र: ₹8.76 लाख तथा सिरमौर: बोटलीकरण संयंत्र: ₹13.22 लाख

3.3.24 पुनः आसवन हेतु प्रतिदर्शों का लेखाकरण न करना

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.17 में अनुबंध है कि लाइसेंसधारक, आवश्यकता होने पर जांच हेतु आसवनी में प्रयुक्त सामग्री अथवा तैयार की गई शराब के प्रतिदर्श लेने की स्वीकृति देगा। प्रत्येक प्रतिदर्श लाइसेंसधारक अथवा इस उद्देश्य से उसके द्वारा प्रतिनियुक्त एक उत्तरदायी प्रतिनिधि की उपस्थिति में तीन-क्वार्ट बोतलों अथवा (जब सामग्री बोतलों में न रखी जा सके) तीन पार्सलों में लिया जाएगा। एक बोतल अथवा पार्सल लाइसेंसधारक के प्रतिनिधि को दिया जाएगा, दूसरे को रसायनिक जांच हेतु भेजा जाएगा और तीसरा संबंधित अधिकारी के पास रहेगा। आगे नियम 9.40(1) में प्रावधान है कि समस्त शराब, जो किसी भी रसायन अथवा किसी अन्य सामग्री के योग खराब नहीं होती है बल्कि प्रयोगशाला में खराब हो जाती है, को पुनः आसवन हेतु आसवनी को लौटाया जाएगा।

चार जिलों की सात आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों के अभिलेखों की संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के 27,804 प्रतिदर्शों में से देशी शराब तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब के कुल 8,035 प्रूफ लीटर²¹ के 18,536 प्रतिदर्शों (2014-15 तक प्रत्येक 750 मिली लीटर के 15,823 तथा 2015-16 के दौरान 180 मिली लीटर के 2,713) को पुनः आसवन हेतु वापिस ले जाना अपेक्षित था। तथापि, ये प्रतिदर्श पुनः आसवन हेतु न तो वापिस किये गए थे, न ही ये प्रतिदर्श आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों के अभिलेखों में पृथक रूप से संरक्षित किये गए थे, परिणामस्वरूप ₹16.99 लाख²² (आबकारी शुल्क: ₹2.07 लाख तथा लाइसेंस फीस: ₹14.92 लाख) उगाही राशि का उदग्रहण नहीं हुआ था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जिला के प्रभारियों को पुनः आसवन हेतु प्रतिदर्शों के लेखाकरण न करने की जांच हेतु निर्देश जारी कर दिये गए थे।

3.3.25 शराब का अल्प लेखांकन

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के अनुसार समस्त आयातित अतिरिक्त तटस्थ अल्कोहल/ परिशोधित स्पिरिट/परिपक्व यवरस स्पिरिट, इत्यादि की प्राप्ति पंजिका अर्थात् डी-13ए²³ में प्रविष्टि की जानी अपेक्षित है। उसके बाद आयातित मात्रा के अनुसार बलेंडिंग, बोतलीकरण तथा जारी किया जाता है तथा यथोचित शुल्क का लेखांकन किया जाता है।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी के अभिलेखों की संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि एक आसवनी²⁴ ने पुलिस स्टेशन परवाणू के माध्यम से जब्त की गई परिशोधित शराब के 10,000 बॉल्क लीटरों की खरीद के प्रति जून 2015 के दौरान अपनी डी-13ए पंजिका में परिशोधित शराब के 6,554 बॉल्क लीटरों का लेखांकन किया था। आसवनी के अभिलेखों में परिशोधित शराब के अल्प लेखांकन हेतु कोई कारण नहीं दिया गया था। परिशोधित शराब के 3,446 बॉल्क लीटरों के अल्प लेखांकन के परिणामस्वरूप ₹8.59 लाख (इसमें ₹0.56 लाख का आबकारी शुल्क, ₹0.10 लाख बोतलीकरण फीस तथा ₹7.93 लाख लाइसेंस फीस) की आबकारी उगाहियों का कम उदग्रहण हुआ।

²¹ संपरिवर्तन सूत्र: भारत में निर्मित विदेशी शराब: 750 मिली लीटर=0.5635 प्रूफ लीटर तथा देशी शराब:750 मिली लीटर=0.375 प्रूफ लीटर

²² बद्दी: मै. सबाक्स आसवनी ₹0.79 लाख, मै. पी.डी.एम.: ₹0.52 लाख, मै. यू.एस.एल.: ₹3.03 लाख, मै. रिकोर्ड परनोद: ₹10.82 लाख मण्डी: मै. बसंध राय: ₹0.47 लाख, नुरपूर: मै. वी.आर.वी. फूड: ₹0.48 लाख तथा सिरमौर: मै. यमुना ब्रिबूरी: ₹0.88 लाख

²³ आसवनी में प्राप्त की गई स्पिरिट का विवरण दर्शाता रजिस्टर

²⁴ मैसर्ज सबाक्स डिस्ट्रिली, नालागढ़

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि आबकारी उगाहियों की वसूली हेतु निर्देश जारी किये गए थे।

3.3.26 आसवनी लाइसेंस का अनियमित नवीकरण

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जिला सिरमौर के अंतर्गत एक आसवनी से (₹56.18 मूल्य वर्धित कर, ₹3.52 लाख फ्रैंचाइजी फीस, ₹10.98 लाख बोटलीकरण फीस-(2015-16 की चौथी तिमाही तथा 2016-17 की प्रथम तिमाही), ₹14.87 लाख का स्टॉफ का वेतन तथा ₹3.99 लाख की शास्ति) के आधार पर ₹89.54 लाख की वसूली योग्य राशि को वसूल करने के बावजूद भी उस आसवनी का लाइसेंस 31 मार्च 2017 तक की अवधि के लिए नवीकृत किया गया था। आसवनी के लाइसेंस के नवीकरण का प्रस्ताव सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर द्वारा इस आधार पर अनुशंसित किया गया था (नवम्बर 2016) कि लाइसेंसधारक समस्त पोस्ट डेटिड चैकों का निपटान करने और समय पर मूल्य वर्धित कर, आबकारी शुल्क एवं फीस, इत्यादि की समस्त चालू दायित्ताओं का भुगतान करने के वचन के साथ बकायों हेतु 10 पोस्ट डेटिड चैकों को जमा करवायेगा। विफलता के मामले में कानूनी कार्रवाई की जाएगी। संयोग से माननीय उच्च न्यायालय द्वारा ₹69.51 लाख की अन्य शास्ति रोक दी गई थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सिरमौर ने अपने उत्तर में आसवनी से वसूल की गई राशि का ब्यौरा उपलब्ध नहीं करवाया था।

जिला सिरमौर के अंतर्गत अन्य आसवनी के मामले में आसवनी से 2006-07 से 2008-09 के लिए वसूली हेतु लम्बित पड़ी राशि ₹1.94 करोड़ के मूल्य वर्धित कर, ₹11.64 लाख की बोटलीकरण फीस (2016-17 के प्रथम एवं द्वितीय तिमाही) तथा ₹4.33 लाख का स्टॉफ वेतन अर्थात् कुल ₹2.10 करोड़ को वसूल नहीं करने के बावजूद 2016-17 के लिए आसवनी का लाइसेंस का नवीकरण किया गया था।

अतः दो आसवनियों के लाइसेंसों को विभागीय देयताओं के गैर-निपटान के बावजूद लाइसेंसों को नवीकृत किया गया था और निरूद्ध अथवा खारिज नहीं किया गया था। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, नाहन ने 2006-07 से 2008-09 तक के निर्धारण वर्षों से संबंधित ₹1.94 करोड़ के मूल्य वर्धित कर के बकायों को हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 25 के अंतर्गत भू-राजस्व के बकायों के रूप में वसूल करने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश द्वारा एक आसवनी के मामले को निर्धारित किया गया था तथा देयों के निपटान के लिए ₹5.00 लाख प्रति मास का भुगतान करने को निर्देश दिया गया था, जबकि अन्य आसवनी ने समस्त देयों को जमा करवा दिया था। उत्तर स्वीकार्य नहीं किया गया है क्योंकि आसवनी लाइसेंस कुछ शर्तों की अनुपालना पर नवीकृत किये गए थे लेकिन लाइसेंसधारकों से लम्बित देयों की वसूली की निगरानी के लिए कोई तंत्र नहीं था।

3.3.27 होलोग्रामों की कमी

पंजाब आसवनी नियमावली के नियम 9.37 में प्रावधान है कि एक लाइसेंसधारक प्रत्येक मास के पहले व 15वें दिन आबकारी एवं कराधान निरीक्षक को सकल संख्या में खाली बोटलों के भंडार की मात्रा प्रतिवेदित करेगा और आबकारी एवं कराधान निरीक्षक के चाहने पर उसको मात्रा की जांच करने की स्वीकृति देगा। आबकारी घोषणा 2014-15 के खंड 6.4(ख) द्वारा देशी शराब की बोटलों पर पिल्फर प्रूफ सील/होलोग्राम लगाने का प्रावधान करती है। आसवनियों/बोटलीकरण संयंत्रों द्वारा होलोग्राम आबकारी एवं कराधान आयुक्त से प्राप्त किये जाते हैं और आसवनी में तैनात आबकारी एवं

कराधान निरीक्षक द्वारा होलोग्राम स्टॉक पंजिका में होलोग्राम की प्राप्ति एवं निर्गत का ब्यौरा रखा जाएगा।

लेखापरीक्षा संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि बड़ी स्थित एक आसवनी में सितम्बर 2014 में 9,10,098 होलोग्रामों का इति शेष 7,10,098 के रूप में आगे ले जाया गया था जिसके परिणामस्वरूप आसवनी²⁵ में 2,00,000 होलोग्रामों की कमी हुई। यह 2,00,000 देशी शराब की बोतलों के गलत उपयोग सहित भरा था, जिसमें ₹9.10 लाख आबकारी शुल्क से अंतर्ग्रस्त देशी शराब के 75,000 प्रूफ लीटर का बोतलीकरण हो सकता था।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि मामले की जांच करने के निर्देश जारी किये गए थे।

3.3.28 आबकारी बैरियों के माध्यम से अप्रभावशाली नियंत्रण

शराब की अन्तर्राज्यीय तस्करी तथा अवैध आसवन को नियंत्रण करने के लिए आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने 1998 में निर्देश जारी किये थे जिसमें समस्त बहु-उद्देशीय बैरियों में तैनात आबकारी स्टॉफ को 'आबकारी जांच पंजिका' का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया गया था, जिसमें शराब की खेपों का सम्पूर्ण विवरण अर्थात् मूल दस्तावेज, परिवहन का उचित मार्ग, परमिट संख्या, पास संख्या का पूर्ण ब्यौरा, वैद्यता अवधि, आसवनी का नाम तथा प्रेषित का नाम, इत्यादि दर्ज होगा।

चार बहुउद्देशीय बैरियर की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उदघाटित हुआ कि खेपों का सम्पूर्ण विवरण दर्ज किये बिना आबकारी जांच पंजिकाओं का अनुरक्षण किया गया था और उसमें अभिलेखित प्रविष्टियां स्पष्ट रूप से पठनीय नहीं थी। जिला सिरमौर में 2012-13 से 2015-16 की अवधि के दौरान एक मद्यनिर्माणशाला की 502 निर्यात खेपों की नमूना जांच में उदघाटित हुआ कि 1,30,816 बॅल्क लीटर बीयर से युक्त 26 खेपों जिनमें ₹21.70 लाख का आबकारी शुल्क अंतर्गत था, की गोविन्दघाट तथा बेहराल स्थित बहुउद्देशीय बैरियर में अनुरक्षित आबकारी जांच पंजिकाओं में प्रविष्टि नहीं की गई थी।

बहुउद्देशीय बैरियर, परवाणू की आबकारी जांच पंजिका लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं की गई थी। संयोगवश, जिला सोलन के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत मद्यनिर्माणशाला²⁶ में निर्मित बीयर का सम्पूर्ण निर्यात इस बैरियर से पास हुआ जिसकी जांच नहीं की जा सकती थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि समस्त बहुउद्देशीय बैरियों के प्रभारियों को बहुउद्देशीय बैरियों पर उचित रूप से पठनीय 'आबकारी जांच पंजिकाओं' का अनुरक्षण करने का निर्देश दिया गया था। जिला सिरमौर के मामले में उत्तर प्रतीक्षित है।

3.3.29 आसवनियों के अभिलेखों के अनुरक्षण में अनियमितताएं

पंजाब आसवनी नियमावली, 1932 के नियम 9.13 के अनुसार आसवनी, नियमावली की उचित अनुपालना तथा निगरानी को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकारी आबकारी स्थापना की तैनाती के लिए सहमत होगी। 16 आसवनियों के अभिलेखों की नमूना जांच में उदघाटित हुआ कि:

- i. जिला सिरमौर तथा नुरपूर की अधिकतर आसवनियों में एक प्रभार के आधार पर आबकारी स्टॉफ की तैनाती नहीं की गई थी अथवा बार-बार उन्हें स्थानान्तरित किया गया था।

²⁵ बड़ी की एक डिस्ट्रिक्ट

²⁶ सोलन की एक आसवनी

- ii. अधिकतर आसवनियों में तैनात आबकारी एवं कराधान निरीक्षक आसवनियों की कार्यप्रणाली में प्रवीण/पर्याप्त रूप से प्रशिक्षित नहीं थे, जिससे अभिलेखों का अनुरक्षण और/अथवा उनकी गतिविधियों का पर्यवेक्षण अत्यधिक बाधित हुआ।
- iii. अधिकतर आसवनियों में अभिलेखों का अनुरक्षण उचित तथा पर्याप्त नहीं था जिससे लेखापरीक्षा में आसवनियों की गतिविधियों की उचित संवीक्षा प्रभावित हुई।

3.3.30 औषधीय एवं प्रसाधन की चीजे

भारतीय संविधान के अंतर्गत अल्कोहलिक शराब, अफीम, भारतीय गांजा अथवा अन्य मादक द्रुगों पर आबकारी शुल्क का उदग्रहण राज्य का विषय है। लेकिन उपर्युक्त उल्लिखित अल्कोहलिक तथा अन्य मदों से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थों पर आबकारी शुल्क का उदग्रहण संघीय विषय है। तदनुसार, औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ आबकारी अधिनियम 1955 और उसके अंतर्गत 1956 के नियम अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा अथवा अन्य मादक द्रुग अथवा मादक पदार्थ से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थों पर आबकारी शुल्क उदग्रहण व वसूली का प्रावधान करते हैं। उदग्रहित शुल्क राज्य आबकारी विभाग के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा वसूला तथा प्रयोग किया जाएगा।

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थों के निर्माण हेतु निर्माताओं को अधिनियम के अंतर्गत राज्य आबकारी विभाग से लाइसेंस प्राप्त करना होता है और राज्य में आसवनियों/बाँडेड गोदामों से अथवा राज्य के बाहर से स्पिरिट प्राप्त करनी होती है, लेकिन आपूर्ति संबंधित पदार्थों के सूत्र के अनुरूप मात्रा में की जाती है। कारखानों को 'बाँडेड तथा गैर-बाँडेड' के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। बाँडेड कारखाने से अभिप्राय अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य मादक दवाओं अथवा मादक पदार्थों जिस पर शुल्क का भुगतान नहीं किया गया है, से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थों के निर्माण तथा भंडारण के लिए अनुमोदित तथा लाइसेंस प्राप्त परिसरों अथवा परिसरों के किसी भाग से हैं। दूसरे शब्दों में, बाँडेड कारखाने शुल्क का भुगतान किये बिना स्पिरिट प्राप्त करते हैं और इनसे शुल्क का भुगतान तब अपेक्षित होता है जब इन गोदामों से अल्कोहल, स्पिरिट, आदि से युक्त औषधी जारी की जाती है। 'गैर-बाँडेड कारखानों' से अभिप्राय अल्कोहल, अफीम, भारतीय गांजा तथा अन्य मादक दवाओं अथवा मादक पदार्थों जिन पर शुल्क का भुगतान किया जा चुका, से युक्त औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थों के निर्माण एवं भंडारण हेतु अनुमोदित तथा लाइसेंस प्राप्त परिसरों अथवा परिसरों के किसी भाग से है।

प्रत्येक व्यक्ति जो औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थों के निर्माण के संचालन में संलिप्त होना चाहता है, से लाइसेंसिंग प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त किया जाना अपेक्षित है जिसको निर्धारित फीस के भुगतान पर प्रत्येक वर्ष नवीकृत करवाना होता है। द्रुग अधिनियम 1940 के अंतर्गत लाइसेंस की प्राप्ति औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत लाइसेंस देने हेतु पूर्वापेक्षित है।

3.3.30.1 राजस्व वसूली का अपूर्ण डाटा

- i. लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर आबकारी एवं कराधान विभाग ने सात जिलों²⁷ के 105 लाइसेंसधारकों की सूची उपलब्ध करवाई थी जिसमें से 2016-17 के दौरान 54 लाइसेंसधारकों ने अपने लाइसेंस नवीकृत करवाए थे और शेष 50 (एक लाइसेंसधारक को छोड़कर जिसको निरस्त किया गया था) ने अपने लाइसेंस नवीकृत नहीं करवाए थे। विगत चार वर्षों के दौरान लाइसेंसों के नवीकरण की प्रास्थिति आबकारी एवं कराधान विभाग अथवा जिला कार्यालयों द्वारा उपलब्ध नहीं

²⁷ बदाई, कांगड़ा, मण्डी, नुरपूर, सिरमौर, सोलन तथा शिमला

करवाई गई थी। आगे जिला अधिकारियों द्वारा ऐसे लाइसेंसधारकों के ब्योरे से युक्त अभिलेख अनुरक्षित नहीं किये गए थे, जिससे आंतरिक नियंत्रण तंत्र की विफलता इंगित हुई।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया (सितम्बर 2017) कि औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 105 लाइसेंसधारकों में से 96 लाइसेंसधारकों के लाइसेंस वर्ष 2016-17 के लिए नवीकृत किये गए थे और शेष लाइसेंसों का नवीकरण लम्बित था।

ii. औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम तथा ड्रग अधिनियम के अंतर्गत जारी किये गए लाइसेंस में विनिर्दिष्ट पदार्थों मात्र का निर्माण करने वाले लाइसेंसधारकों के संबंध में पूछे जाने पर कोई ऐसे अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गए थे। अतः आबकारी शुल्क के गैर/अल्प उद्ग्रहण की प्रास्थिति लेखापरीक्षा में जांची नहीं जा सकी।

आबकारी एवं कराधान विभाग ने औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) के क्रियान्वयन हेतु 2015-16 के राजस्व डाटा के अंश के रूप में वर्ष 2015-16 के दौरान ₹74.60 करोड़ आबकारी शुल्क की वसूली सूचित की थी। तथापि, आबकारी एवं कराधान विभाग ने औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम, 1955 के अंतर्गत आबकारी शुल्क की वसूली का चालान वार/पार्टी वार ब्रेकअप उपलब्ध नहीं करवाया था।

iii. इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने बताया कि वर्ष 2011-12 से 2015-16 के दौरान इस अधिनियम के अंतर्गत राजस्व वसूली के संबंध में लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर जिला बंदी को छोड़कर किसी भी जिले ने अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये थे। इससे परिलक्षित होता है कि आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा इस अधिनियम के अंतर्गत कोई राजस्व निगरानी नहीं की गई है। राजस्व संग्रहण के जिला-वार/पार्टी-वार ब्योरे के अभाव में राजस्व संग्रहण की सटीकता/विश्लेषण प्रवृत्ति को लेखापरीक्षा में प्राप्त नहीं किया जा सका।

iv. वर्ष 2014-15 (₹56.27 करोड़) तथा 2015-16 (₹51.69 करोड़) के दौरान उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गत जिला बंदी द्वारा की गई राजस्व वसूली की समीक्षा में उद्घाटित हुआ कि विगत वर्ष की तुलना में वर्ष 2015-16 के दौरान राजस्व वसूली ₹4.58 करोड़ तक कम हुई थी जिसके लिए लेखापरीक्षा में पूछे जाने पर भी विभाग द्वारा कोई कारण उपलब्ध नहीं करवाए गए थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत 105 लाइसेंसधारकों में से 96 लाइसेंस वर्ष 2016-17 के लिए नवीकृत किये गए थे और शेष लाइसेंसों का नवीकरण लम्बित था। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि उचित अभिलेखों के न होने से 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान लाइसेंसों के नवीकरण की जांच नहीं की जा सकी थी।

3.3.30.2 आबकारी शुल्क की गैर-वसूली के कारण राजस्व की हानि

उड़न दस्ते (दक्षिण जोन) परवाणू के दल ने विशिष्ट सूचना के आधार पर औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री (आबकारी शुल्क) नियमावली 1956 के नियम 113 तथा 115 के अंतर्गत 24 नवम्बर 2012 को नालागढ़ स्थित निर्माण इकाई का निरीक्षण किया था। लाइसेंसधारक अन्य कॉस्मैटिक तथा प्रसाधन उत्पादों के अतिरिक्त स्प्रे-इत्रों, डी-ओडोराइज्ड स्प्रे तथा ऑफ्टर सेव लोशनों के निर्माण में लिप्त है। स्प्रे-प्रफ्युम, डी-ओडोराइज्ड स्प्रे तथा आफ्टर सेव लोशनों के निर्माण में राज्य के बाहर से आयातित

कच्ची सामग्री (प्रीमिक्स कंपाउंड) का प्रयोग किया गया है, जिसमें अल्कोहल मात्रा होने का संदेह था और इसलिए जांच की गई थी। लाइसेंसधारक के अंतिम उत्पाद औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1955 की धारा 2(के) के अनुसार प्रसाधन सामग्री होते हैं और इसलिए शुल्क देय वस्तु थे। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 3 तथा औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 6 के अंतर्गत उन पर आबकारी शुल्कों का उद्ग्रहण किया जाना है। आगे, नियम की धारा 4 तथा नियमावली के नियम 7 अथवा 8 के अंतर्गत छूट/माफी प्राप्त नहीं थी। उड़न दस्ते के निरीक्षण के आधार पर उद्घाटित हुआ कि:

- i. निर्माता ने लाइसेंस प्राप्त करने हेतु कभी आवेदन नहीं किया था जो कि निर्माता का वैधानिक दायित्व था;
- ii. निर्माता उच्च प्रतिशतता में अल्कोहल से युक्त पूर्व-मिक्स यॉगिक का आयात कर रहा था जिसके बारे में विभाग को सूचना नहीं दी गई जैसा कि अधिनियम तथा नियमावली के अंतर्गत अपेक्षित है; तथा
- iii. निर्माता इन शुल्क देय वस्तुओं पर अंतर्ग्रस्त शुल्कों के भुगतान में विफल रहा था।

उपर्युक्त अनियमितताओं के मद्देनजर निर्माता ने अधिनियम की धारा 6 तथा नियमावली के नियम 9 के उप-नियम(1) का उल्लंघन किया था। तदनुसार, उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, उड़न दस्ता (दक्षिण जोन), परवाणू ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त से दंडात्मक कार्रवाई तथा निर्माता द्वारा अल्कोहल युक्त शुल्क देय वस्तुओं के निर्माण के आरम्भ से अदा नहीं किये गए शुल्कों की वसूली आरम्भ करने की अनुशंसा (29 नवम्बर 2012) की। औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 123 के अंतर्गत मामले का अधिनिर्णय करने की भी अनुशंसा की गई थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने समाहर्ता (दक्षिण जोन), शिमला से मामले की विस्तृत जांच करने के लिए (जनवरी 2013) कहा था और उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के सकल उल्लंघन वाली गतिविधियों से युक्त विस्तृत कार्रवाई प्रतिवेदन देने को कहा था।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि विभाग मामले का निपटान करने में विफल रहा और मामला अनुचित रूप से (नवम्बर 2014) अतिरिक्त आबकारी एवं कराधान आयुक्त (दक्षिण जोन), शिमला को इस आधार पर हस्तांतरित किया गया था कि 29 अगस्त 2014 को हुई अंतिम सुनवाई के दौरान निर्माता के अधिवक्ता ने तर्क दिया था कि इस मामले का निपटान उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), परवाणू के अधिकार क्षेत्र में नहीं है और आयुक्त की शक्तियां जोनल प्रभारी अथवा समाहर्ता, दक्षिण जोन के पास है। तथापि, उपर्युक्त आदेश तथ्यात्मक रूप से गलत है क्योंकि उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) के अभिलेखों से उद्घाटित हुआ कि लाइसेंसधारक ने 2009-10 से आबकारी योग्य वस्तुओं की बिक्री मात्रा प्रस्तुत नहीं की थी। यह अभिलिखित किया गया था कि आदेश को सुरक्षित रखा गया था, इसको शीघ्र ही जारी किया जाना था और व्योहारी को सूचित किया जाना था।

विभाग ने लेखापरीक्षा में इसे पूछे जाने पर उत्तर (जून 2017) दिया कि उड़न दस्ते (दक्षिण जोन) द्वारा मामले का पता लगाया गया तथा प्रतिवेदित किया गया इसे उचित जांच तथा संवीक्षा हेतु उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता) को वापिस हस्तांतरित किया गया था (अगस्त 2017)।

इस प्रकार, विभाग की जांच और निर्णय लेने में असफल होने से 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान आबकारी शुल्क की वसूली न होने के कारण ₹66.07 करोड़ का राजस्व नुकसान हुआ।

नुकसान 2009-10 और 2010-11 के जीटीओ के निर्धारण से और बढ़ेगा, जो विभाग के हिमटास सॉफ्टवेयर पर भी उपलब्ध नहीं था। लाइसेंसधारी नवम्बर 2012 में पता चलने के बाद भी आबकारी अधिनियम, 1955 के तहत पंजीकृत नहीं हुए थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जांच का मामला उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त (उड़न दस्ता), परवाणू के पास लम्बित था जिसको प्राथमिकता के आधार पर जांच का निपटान करने का निर्देश दिया गया था।

3.3.30.3 आबकारी शुल्क की अस्वीकार्य छूट

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 97 में प्रावधान है कि वस्तुओं जिन पर शुल्क का भुगतान किया गया है, का शुल्क की छूट हेतु दावे के अंतर्गत निर्यात किया जाएगा। नियम 14 में आगे प्रावधान है कि संग्राहक सरकार भारत से बाहर निर्यात किये जाने पर शुल्क देय वस्तुओं पर शुल्क के भुगतान की छूट देगी। नियम 103 के अनुसार वस्तुओं के निर्यात पर आबकारी शुल्क की छूट कुछ शर्तों की पूर्ति के अधीन ही स्वीकार्य है।

उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त, ऊना के अभिलेखों की संवीक्षा में उदघाटित हुआ कि एक लाइसेंसधारक प्रसाधन सामग्री (फॉग सुगंध-बॉडी स्प्रे) के निर्माण व निर्यात में लिप्त था। आबकारी एवं कराधान विभाग ने फर्म द्वारा किये गए निर्यातों पर ₹5.33 करोड़ के आबकारी शुल्क की वापसी/समायोजन की स्वीकृति (फरवरी 2014 से नवम्बर 2015) प्रदान की थी। वापसी/समायोजन मूल कोषागार प्राप्तियों सहित भुगतान के उचित सत्यापन के पश्चात ही स्वीकृत किया जाना था और समायोजन की जा रही धनराशि वास्तविक रूप से जमा करवाई गई थी, समायोजित धनराशि पहले समायोजित नहीं की गई थी तथा लाइसेंसधारक के विरुद्ध कोई बकाया नहीं था। तथापि, ऐसे निर्देशों की अनुपालना सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बद्दी के अभिलेखों में नहीं पाई जा सकी थी।

राज्य सरकार ने विधि विभाग से परामर्श के पश्चात निर्णय (मार्च 2016) लिया कि औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत छूट स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्यात निर्माता (लाइसेंसधारक) द्वारा नहीं किये गए थे बल्कि तीसरी पार्टी द्वारा किये गए थे जिसके साथ लाइसेंसधारक ने अनुबंध किया था जो कि आरंभ से ही अमान्य था। राज्य सरकार ने आबकारी एवं कराधान विभाग से इस मामले में आगामी आवश्यक कार्रवाई करने का अनुरोध किया। परिणामतया आबकारी एवं कराधान विभाग द्वारा ₹6.65 करोड़ की अतिरिक्त आबकारी छूट की स्वीकृति नहीं दी गई थी। अतः राज्य सरकार के स्पष्टीकरण से पूर्व स्वीकृत की गई ₹5.33 करोड़ की अस्वीकार्य छूट की वसूली हेतु कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि पहले किये गए रिफंड के उत्क्रमण की जांच की रही थी।

3.3.30.4 औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ लाइसेंसधारकों के उत्पादों के रसायनिक परीक्षण का संचालन न किया जाना

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ (आबकारी शुल्क) नियमावली, 1956 के नियम 53 के अंतर्गत आबकारी अधिकारी जिसके अधिकार क्षेत्र में कारखाना स्थित है, निर्माता को पूर्व सूचना दिये बिना प्रत्येक मास में न्यूनतम एक बार तैयार भंडार में से अल्कोहल युक्त औषधीय एवं प्रसाधन सामग्री की कुल संख्या में से न्यूनतम 13 प्रतिशत तथा अधिकतम 15 प्रतिशत का प्रतिदर्श लेगा और उनको परीक्षण हेतु

रसायन परीक्षक के पास भेजेगा। यदि प्रूफ स्ट्रेंथ ऐसी बोटलों पर चिपकाए गए लेबलों पर निर्माता द्वारा घोषित स्ट्रेंथ से 3 प्रतिशत प्रूफ स्पिरिट से अधिक है तो निर्माता ऐसी निर्मित मात्रा पर शुल्क में अंतर की 10 गुना दर पर शास्ति के भुगतान हेतु उत्तरदायी है लेकिन ₹2000/ से अधिक नहीं।

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बही में अपने उत्तर में पुष्टि की कि कारखाने से उत्पादों को हटाने से पूर्व कोई रसायनिक परीक्षण नहीं किया गया था। शेष दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने प्रतिदर्शों के रसायनिक परीक्षण के संचालन के संबंध में कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया था। अतः निर्मित उत्पादों की अल्कोहलिक स्ट्रेंथ के आधार पर आबकारी शुल्क के आरोपण की शुद्धता संदेहास्पद थी।

3.3.30.5 औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ इकाईयों द्वारा विवरणियां प्रस्तुत न करना

औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ नियमावली, 1956 के नियम 41 तथा 56 में प्रावधान है कि लाइसेंसधारक उचित फार्मों एवं पंजिकाओं में लेखों का अनुरक्षण करेगा और प्रत्येक मास की 5 तारीख तक कार्यालय प्रभारी को फार्म आई.टी.-1 एवं आई. टी.-2 में पूर्व मास के संबंध में व्यापार के लेन-देनों की विवरणी देगा।

लेखापरीक्षा में सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बही के अभिलेखों की नमूना जांच की गई और पाया कि 62 पंजीकृत लाइसेंसधारियों में से मात्र 11 लाइसेंसधारी ही विवरणियां प्रस्तुत कर रहे थे और आबकारी शुल्क का भुगतान कर रहे थे। शेष 51 फर्मों विवरणियां प्रस्तुत नहीं कर रही थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि जिला प्रभारियों को विवरणियों को समयबद्ध प्रस्तुतीकरण हेतु तुरन्त कार्रवाई करने के निर्देश दिये गए थे।

3.3.31 राज्य आबकारी शुल्क का अपवंचन

विभिन्न विभागीय/पुलिस प्राधिकरणों द्वारा पता लगाए गए राज्य आबकारी शुल्क अपवंचन मामलों के अभिलेखों की संवीक्षा और उनका अंतिम रूप नीचे दर्शाया गया है:-

तालिका-3.4: राज्य आबकारी शुल्क के अपवंचन मामले

वर्ष	अथ शेष	पता लगाए गए मामले	कुल	मामलो का निर्णय/अतिरिक्त मांग		मामलो का इति शेष
				मामले	(₹लाख में)	
2011-12	3	42	45	43	2.76	2
2012-13	11	1,174	1,185	1,140	171.00	45
2013-14	45	4,242	4,287	4,235	191.99	52
2014-15	52	275	327	284	49.34	43
2015-16	43	3,889	3,945	2,367	270.64	33
योग					685.73	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

विभिन्न जिलों द्वारा उपलब्ध करवाए गए ब्यौरों/आबकारी एवं कराधान आयुक्त के अभिलेखों की संवीक्षा से निम्नलिखित उदघाटित हुआ:

- जांच सम्पन्न होने पर उठाई गई आबकारी शुल्क की अतिरिक्त मांग की वसूली की निगरानी हेतु कोई तंत्र नहीं था।

- ii. 2015-16 के दौरान निपटाए गए मामलों के आधार पर लम्बित मामलों की संख्या 1,578 थी जिसके प्रति आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा मात्र 33 मामले इति शेष के रूप में सूचित किये गए थे। लेखापरीक्षा को 1,545 अपवंचन मामलों का अंतर स्पष्ट नहीं किया गया था।
- iii. दो मामलों जो 28 जुलाई 2015 को पता लगाए गए थे और समाहर्ता आबकारी (केन्द्रीय जोन) को अग्रेषित किये गए थे, लगभग दो वर्षों के बीतने के बावजूद अब भी निपटान हेतु लम्बित पड़े थे।

3.3.32 राज्य आबकारी शुल्क के रिफंड

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 1971 के अध्याय 19 का नियम 19.17 जो राजस्व की माफी अथवा रिफंड से संबंधित है, प्रत्येक मामले में आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा बिना किसी सीमा तथा उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा ₹1,500 तक आबकारी राजस्व की गलत वसूली के रिफंड की संस्वीकृति का प्रावधान करता है। आबकारी एवं कराधान विभाग के अभिलेखों की संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि राज्य आबकारी शुल्क के रिफंड निम्न ब्यौरों के अनुसार विभिन्न व्यापारियों को संवितरित किये गए थे:

तालिका-3.5: आबकारी शुल्क के रिफंड

			₹लाख में
क्रम संख्या	जिले का नाम	वर्ष	राशि
1.	शिमला	2013-14	46.97
2.	शिमला	2015-16	35.64
3.	कांगड़ा स्थित धर्मशाला	2013-14/2015-16	16.92
4.	सिरमौर	2015-16	18.24
5.	बिलासपुर	2011-12/2015-16	30.85
योग			148.62

स्रोत: विभागीय आंकड़े

लेखापरीक्षा में पाया गया कि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली के नियम 19.17 के प्रावधानों के उल्लंघन में लाइसेंस फीस, वार्षिक फीस, अधिक जमा करवाई गई राशि, गैर-अनुमोदित आवंटन, रद्द आवंटन, गलत फीस जमा करवाना, इत्यादि के प्रति रिफंड किये गए थे। आगे, कांगड़ा, सिरमौर तथा बिलासपुर जिलों के मामले में संस्वीकृति देने वाले प्राधिकारी का नाम भी अभिलिखित नहीं था। लेखापरीक्षा में आगे पाया गया था कि वर्ष 2015-16 के दौरान जिला ऊना में व्यापारियों के नाम, रिफंड की संस्वीकृति/निर्गत की तिथि, आदि के बिना ₹88.58 लाख के रिफंड दिये गए थे और इसलिए रिफंडों की ग्राह्यता की जांच नहीं की जा सकी थी। रिफंडों के निर्गत से पूर्व मूल कोषागार प्राप्तियों के साथ जमा, लाइसेंसधारकों के विरुद्ध कोई लम्बित बकाया न होने, आदि के साक्ष्य की उचित जांच की प्रणाली विद्यमान नहीं थी।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों को रिफंड मामलों का अपेक्षित पंजिका बनाने के निर्देश दिये गए थे।

3.3.33 आंतरिक नियंत्रण

3.3.33.1 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक नियंत्रण का एक प्रभावशाली साधन आंतरिक लेखापरीक्षा को इस प्रकार से बनाया जाना चाहिए तथा इस तरह संचालित किया जाना चाहिए कि समस्त आंतरिक नियंत्रण कार्य प्रभावशाली ढंग से कार्य करें। आंतरिक लेखापरीक्षा की सफलता वस्तुनिष्ठता, विभाग के भीतर विभिन्न वर्टिकलों/कार्यों की कवरेज, आंतरिक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त, योग्य और प्रशिक्षित जनशक्ति, रिपोर्टिंग प्रणाली तथा अंततः आंतरिक लेखापरीक्षा के निष्कर्षों पर कृत कार्रवाई पर निर्भर करता है। यद्यपि, आबकारी एवं कराधान विभाग ने आबकारी एवं कराधान आयुक्त के प्रत्यक्ष प्रभार के अंतर्गत मुख्यालय में स्थित आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध की कार्यप्रणाली को विनियमित करने के लिए प्रक्रिया/दिशा-निर्देश (फरवरी 1987) जारी किये थे। चयनित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आसवनियों की नमूना जांच में उजागर हुआ कि क्षेत्रीय इकाईयों में अधिकांशतः आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। आंतरिक लेखापरीक्षा अधिकांशतः लोक लेखा समिति के ड्रॉप्ट पैराग्राफ/कृत कार्रवाई के प्रत्युत्तरों से संबंधित है।

आंतरिक लेखापरीक्षा द्वारा जिला शिमला में ₹73.00 लाख के गबन को पकड़ने के कारण आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने (जनवरी 2015) नियमित आधार पर समस्त संबंधित जिलों की लेखापरीक्षा करवाने हेतु निर्देश जारी किये गए थे।

आगे, विभाग की आंतरिक लेखापरीक्षा स्कंध द्वारा जिला शिमला में ₹73.00 लाख का गबन पकड़ने के कारण आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने नियमित आधार पर समस्त राजस्व जिलों की लेखापरीक्षा हेतु निर्देश (जनवरी 2015) जारी किये गए थे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त बद्दी ने समस्त आबकारी एवं कराधान अधिकारियों/आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों को एल-2 तथा एल-14 के लाइसेंसधारकों²⁸ द्वारा जमा करवाई गई मासिक लाइसेंस फीस/अन्य उगाहियों का संबंधित कोषागारों/ई-कोष के साथ मिलान को (फरवरी 2015) निर्देश दिया। तथापि, राजस्व का ऐसा कोई मिलान विभाग/सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालयों के अभिलेखों में प्राप्त नहीं किया जा सका था। अतः लाइसेंसधारकों द्वारा देयों के भुगतान के समर्थन में झूठे/जाली चालानों की पुनरावृत्ति और इसके परिणामस्वरूप विभाग को राजस्व की हानि को लेखापरीक्षा में नकारा नहीं जा सकता था।

आगे, विभाग में कोषागारों के साथ-साथ वित्त लेखों के साथ आवधिक मिलान का तंत्र भी विद्यमान नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप विभागीय राजस्व आंकड़ों तथा वित्त लेखों के आंकड़ों में महत्वपूर्ण अंतर था और राज्य आबकारी शुल्क राजस्व के अंतर्गत गैर-राज्य आबकारी शुल्क राजस्व के पुस्तांकन के उदाहरण भी थे।

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) इस अनियमितता का कारण स्टॉफ की कमी बताया और स्टॉफ की तैनाती के मामले पर सरकार के साथ चर्चा की जा रही थी।

²⁸ एल-2: भारत में निर्मित विदेशी शराब का प्रचून बिक्री केन्द्र तथा एल-14: देशी शराब का प्रचून बिक्री केन्द्र

3.3.33.2 विभागीय निरीक्षण

(i) आबकारी एवं कराधान विभाग ने प्रत्येक स्तर पर विभाग के अधिकारियों द्वारा विभिन्न क्षेत्रीय कार्यालयों के निरीक्षण हेतु मासिक सारणी निर्धारित की थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने भी औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के लिए मासिक आधार पर आसवनियों, मद्यनिर्माणशालाओं, वांटेंड गोदामों, वाइनिरियों तथा अन्य कारखानों के विभागीय निरीक्षणों के लिए मासिक आधार पर जिलों में समस्त थोक बिक्री विक्रेताओं के परिसरों/गोदामों के निरीक्षण हेतु (सितम्बर 2012) मानदंड निर्धारित किये थे। आगे, आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने शराब की शेष मात्रा तथा गुणवत्ता की बिक्री सुनिश्चित करने हेतु प्रचुन बिक्री केन्द्रों के निरीक्षण हेतु (मई 2015) निर्देश जारी किये थे। आबकारी एवं कराधान विभाग ने शराब की मिलावट की संभावना समाप्त करने के लिए शराब की बोतलों पर होलोग्राम की प्रमाणिकता सुनिश्चित करने हेतु शराब की बोतलों पर होलोग्राम लगाना और होलोग्राम किटें आरम्भ की थी। क्षेत्रीय कार्यालयों को प्रत्येक मास में न्यूनतम दो बार होलोग्राम परीक्षण किटों के साथ उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत शराब बिक्री केन्द्रों का निरीक्षण करने और आबकारी एवं कराधान आयुक्त को मासिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

अभिलेखों की नमूना जांच में उद्घाटित हुआ कि निर्धारित मानदंडों के अनुसार अपेक्षित 1890 निरीक्षण/औचक जांचों के प्रति मात्र 52 निरीक्षण/औचक जांच हुई थी, परिणामतः आसवनियों/बोतलीकरण संयंत्रों की जांच में 97.25 प्रतिशत की कमी रही जैसा कि तालिका 3.9 में दर्शाया गया है। आगे, सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों/आबकारी एवं कराधान अधिकारियों/आबकारी एवं कराधान निरीक्षकों द्वारा बिक्री केन्द्रों की जांच के अभिलेख लेखापरीक्षा में नमूना जांच किये गए सभी सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त कार्यालयों में उपलब्ध नहीं थे।

तालिका-3.6: अधिकारियों द्वारा किये गए निरीक्षणों का ब्यौरा

क्रम संख्या	निरीक्षण अधिकारी का नाम	अपेक्षित निरीक्षण	किये गए निरीक्षण	कमी
1	आबकारी एवं कराधान अधिकारी	840	13	827
2	सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त	840	34	806
3	उप-आबकारी एवं कराधान आयुक्त	210	05	205
योग		1,890	52	1,838

इसे इंगित किये जाने पर विभाग ने (सितम्बर 2017) बताया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को वार्षिक निरीक्षण योजना के अनुसार शराब के बिक्री केन्द्रों, आसवनी/बोतलीकरण संयंत्र का निरीक्षण करने के निर्देश दिये गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि अधिकारी वार्षिक निरीक्षण योजना के प्रावधान के अनुसार अपेक्षित निरीक्षण करने में लगातार विफल रहें।

3.3.34 निष्कर्ष

राज्य आबकारी शुल्क का राज्य के कर राजस्व की वृद्धि में महत्वपूर्ण स्थान है। सरकार ने बीयर की क्षति के मानदंड निश्चित नहीं किये गए थे, परिणामतया मद्यनिर्माणशालाओं द्वारा क्षति के अनियमित/अस्वीकार्य दावे हुए। विभिन्न बिक्री केन्द्रों/इकाईयों को मैनुअल आधार पर कोटा उठाने हेतु पार-पत्र (पास) जारी करने की प्रणाली दोषयुक्त थी क्योंकि ऐसे उदाहरण थे कि आवंटित कोटा के प्रति लाइसेंस फीस का उद्ग्रहण किये बिना उससे अधिक पार-पत्र (पास) जारी किये गए थे।

इसके अतिरिक्त, विभाग के भीतर विभिन्न राजस्व वर्टिकलों के संबंध में कोई समन्वय नहीं था क्योंकि आसवनियां, मद्यनिर्माणशालाएं, बोतलीकरण संयंत्र शराब/बीयर की बिक्री, लाइसेंस फीस, फ्रैंचाइज फीस, इत्यादि राजस्व में अशंदांन करते थे। आसवनियों, मद्यनिर्माणशालाओं, बोतलीकरण संयंत्रों में एकल प्रभार के आधार पर आबकारी स्थापना की तैनाती न होना/बार-बार स्थानांतरण के परिणामस्वरूप वही हो रही गतिविधियों के अपेक्षित अभिलेखों का अनुरक्षण नहीं हुआ। विभिन्न विभागीय प्राधिकारियों द्वारा निरीक्षणों/औचक जांचों में अत्याधिक कमी थी जिसके परिणामस्वरूप नियमों की अनुपालना में अपवंचन मामले/अन्य अनियमितताएं पकड़ी नहीं गईं। कोषागार, संबद्ध अभिलेखों के साथ राजस्व ब्यौरो के आवधिक मिलान से संबंधित आंतरिक नियन्त्रण तन्त्र की भी कमी थी।

3.3.35 सिफारिशें

सरकार विचार कर सकती है:-

- राजस्व के रिसाव को रोकने के लिए स्पिरिट तथा बीयर के उत्पादन हेतु उत्पादन तथा क्षति के मानदंड निश्चित करें;
- आबकारी मॉड्यूल के माध्यम से विभिन्न बिक्री केन्द्रों/इकाईयों के साथ-साथ समग्र राज्य के लिए निश्चित किये गए शराब के कोटे की तुलना में लाइसेंसधारकों को जारी किये गए संचयी पार-पत्रों (पास) की निगरानी हेतु एक उचित तंत्र बनाए;
- अपने राजस्व की सुरक्षा हेतु विभिन्न राजस्व शीर्षों के अंतर्गत आसवनियों, मद्यनिर्माणशालाओं, बोतलीकरण संयंत्रों से वसूलियां अनिवार्य करें;
- अधिकतम राजस्व के उद्ग्रहण हेतु औषधीय एवं प्रसाधन पदार्थ अधिनियम के प्रवर्तन की निगरानी करें;
- निर्देशों/नियमावली की उत्तम अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु आंतरिक नियन्त्रण तन्त्र को मजबूत करने के लिए आवधिक निरीक्षणों के लिए निर्देशों का प्रवर्तन करें; और
- मासिक आधार पर कोषागारों के साथ लाइसेंसधारकों से वसूलियों के मिलान हेतु एक तंत्र की स्थापना करें।

अन्य लेखापरीक्षा अभ्युक्तियाँ

3.4 नवीकरण फीस का भुगतान किये बिना लाइसेंसों का नवीकरण

विभाग ने नवीकरण फीस को वसूल करने के लिए कार्रवाई करने की पहल नहीं की परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ की अल्प-वसूली हुई।

आबकारी घोषणा 2013-14, 2014-15 एवं 2015-16 के पैराग्राफ 3.4 (ए. एवं बी.) तथा पैराग्राफ 5 देशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब, बी.आई.ओ., बी-II के खुदरा/थोक बिक्री लाइसेंसधारियों जोकि शराब बिक्री केन्द्रों, बारों, शराब भट्टियों इत्यादि के लाइसेंसधारक हैं, के लिए नियत लाइसेंस फीस एवं नवीकरण फीस से संबंधित है, उनको नवीकरण का आवेदन पत्र भरते समय बिक्री केन्द्रों के मूल्य के विभिन्न स्लैबों के आधार पर निर्धारित दरों के अनुसार प्रत्येक बिक्री केन्द्र के लिए नवीकरण फीस का भुगतान करना अपेक्षित हैं। आवेदनकर्ता/लाइसेंसधारी को नवीकरण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने से पूर्व मूल लाइसेंस फीस का 50 प्रतिशत तथा वार्षिक लाइसेंस फीस का 5 प्रतिशत जमा करवाना होगा तथा इस प्रकार के भुगतान का प्रूफ, आवेदन के साथ संलग्न करना होगा।

आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर की शराब के बिक्री केन्द्रों के वार्षिक आवंटन की विवरणियों तथा एम.-1 रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2013-14, 2014-15 तथा 2015-16 के दौरान विभिन्न लाइसेंसधारियों से नवीकरण फीस के रूप में देय ₹3.81 करोड़ की नवीकरण फीस के स्थान पर ₹2.36 करोड़ की नवीकरण फीस ही वसूल की गई थी जैसे कि नीचे दर्शाया गया है।

			₹ लाख में
वर्ष	देय नवीकरण फीस	वसूल की गई नवीकरण फीस	भिन्नता
2013-14	105.60	68.28	37.32
2014-15	133.98	76.53	57.45
2015-16	141.90	91.60	50.30
योग	381.48	236.41	145.07

इस प्रकार, आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर ने पूरी नवीकरण फीस की प्राप्ति को सुनिश्चित किये बिना लाइसेंसों को नवीकृत किया जिसके परिणामस्वरूप उपर्युक्त वर्षों के दौरान ₹1.45 करोड़ की नवीकरण फीस कम जमा हुई थी। कम जमा की गई नवीकरण फीस को वसूल करने के लिए विभाग ने कोई कार्रवाई नहीं की, परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ की नवीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

3.5 न्यूनतम गारंटीड कोटा कम उठाने पर अतिरिक्त फीस एवं शास्ति का उद्ग्रहण न करना

532 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों द्वारा 4,86,054 प्रूफ लीटर शराब कम उठाने पर अतिरिक्त फीस ₹1.62 करोड़ का उद्ग्रहण नहीं किया गया था। इसके अतिरिक्त, ₹15.91 लाख की शास्ति भी उद्ग्रहण थी।

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.3 में यह प्रावधान है कि लाइसेंसधारी को प्रत्येक बिक्री केंद्र के लिए निर्धारित किया गया मासिक न्यूनतम गारंटीड कोटा देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब दोनों के लिए उठाना अपेक्षित होगा ऐसा न करने पर वह न्यूनतम गारंटीड कोटे के आधार पर नियत की गई लाइसेंस फीस की अदायगी करने का उत्तरदायी होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए न्यूनतम गारंटीड कोटा पर लाइसेंसधारी लाइसेंस फीस के भुगतान के अतिरिक्त ₹10 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹56 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर अतिरिक्त फीस की अदायगी हेतु उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 100 प्रतिशत से कम होगा। देशी शराब एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी ₹7 प्रति प्रूफ लीटर देशी शराब तथा ₹14 प्रति प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब पर शास्ति की अदायगी हेतु भी उत्तरदायी होगा जो कि न्यूनतम गारंटीड कोटे के 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम होगा। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त या जिला के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी तिमाही आधार पर न्यूनतम गारंटीड कोटे को उठाने की स्थिति की समीक्षा करेगा तथा नहीं उठाए गए कोटे पर लाइसेंसधारी से अतिरिक्त फीस के साथ-साथ शास्ति की राशि की वसूली सुनिश्चित करेगा।

लेखापरीक्षा ने चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों²⁹ के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 532 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने 90,43,834 प्रूफ लीटर के मासिक न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 85,57,780 प्रूफ लीटर शराब उठाई थी, जिसके परिणामस्वरूप 2014-16 के दौरान 4,86,054 प्रूफ लीटर³⁰ (देशी शराब: 2,40,3842 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 2,45,670 प्रूफ लीटर) कम उठाई गई थी, जिस पर ₹1.62 करोड़ की अतिरिक्त फीस ऐसे बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से उद्ग्रहण थी। सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों या जिलों के प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी ने ₹1.62 करोड़ की अतिरिक्त फीस का उद्ग्रहण नहीं किया परिणामस्वरूप ₹1.62 करोड़ के राजस्व की हानि हुई। लेखापरीक्षा ने आगे पाया कि 37 लाइसेंसधारियों के मामले में मासिक न्यूनतम गारंटीड कोटे के प्रति 1,32,644 प्रूफ लीटर 80 प्रतिशत बैंच-मार्क से कम उठाया गया था। इन लाइसेंसधारियों पर ₹15.91 लाख की शास्ति उद्ग्रहण की जानी अपेक्षित थी।

सरकार तथा विभाग को मामला नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) में सूचित किया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त, शिमला द्वारा ₹7.07 लाख की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहें थे जबकि शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चूक-कर्ताओं को नोटिस जारी किये जा रहें थे। सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

²⁹बिलासपुर: 226 बिक्री केन्द्र: ₹13.24 लाख, धर्मशाला: 22 बिक्री केन्द्र: ₹11.02 लाख, हमीरपुर: 202 बिक्री केन्द्र: ₹22.40 लाख तथा शिमला: 82 बिक्री केन्द्र: ₹1.15 करोड़

³⁰ शराब का कोटा	देशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	कुल शराब
मासिक नियत एम.जी.क्यू.	43,81,663	46,62,171	90,43,834
एम.जी.क्यू. उठाया गया	41,41,279	44,16,501	85,57,780
एम.जी.क्यू. कम उठाया गया	2,40,384	2,45,670	4,86,054

3.6 लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगी पर ब्याज का उद्ग्रहण न करना

लाइसेंस फीस का भुगतान विलम्ब से किये जाने पर ₹33.31 लाख के ब्याज को विभाग द्वारा 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों से वसूल नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप उस सीमा तक के ब्याज की अवसूली हुई ।

आबकारी घोषणा 2015-16 के पैराग्राफ 4.4(डी) में प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी एक मास के भीतर निर्धारित गारंटीड कोटा उठाने में असमर्थ है, तो उसे उस मास के लिए लाइसेंस फीस की पूर्ण मासिक किस्त की अदायगी उस मास के अंतिम दिन तक तथा मार्च मास की फीस के लिए पूर्ण रूप से अदायगी दिनांक 15 मार्च तक की जानी अपेक्षित है। आबकारी घोषणाएं 2014-15 तथा 2015-16 के पैराग्राफ 4.5(ए) में आगे प्रावधान है कि यदि लाइसेंसधारी निर्धारित तिथियों को लाइसेंस फीस की राशि की अदायगी करने में विफल रहता है तो एक मास तक 10 एवं 14 प्रतिशत वार्षिक की दर से तथा उसके बाद 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज का उद्ग्रहण किया जाएगा।

चार सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³¹ के अभिलेखों की सितम्बर 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 109 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों ने लाइसेंस फीस ₹40.90 करोड़ की राशि को देय तिथि के उपरान्त अप्रैल 2014 तथा मार्च 2016 के मध्य दो से 370 दिनों के विलम्ब से जमा करवाया था। अतः वे लाइसेंस फीस की विलंबित अदायगियों पर ₹33.31 लाख के ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। यद्यपि, सम्बन्धित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने संबंधित लाइसेंसधारियों पर ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया और न इसकी मांग की थी। इसके परिणामस्वरूप ₹33.31 लाख³² ब्याज की राशि की अवसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) में सूचित किया कि आबकारी एवं कराधान आयुक्त, हमीरपुर तथा शिमला द्वारा ₹8.99 लाख³³ की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि को वसूल करने के प्रयास किये जा रहे थे जबकि शेष सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा चूक-कर्ताओं को नोटिस जारी किये जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

3.7 शराब के बिक्री न हुए स्टॉक पर लाइसेंस फीस की गैर-वसूली

पिछले वर्ष के बिक्री न हुए स्टॉक को गणना में न लेने के कारण 149 बिक्री केन्द्रों के संबंध में ₹10.13 लाख की लाइसेंस फीस वसूली योग्य थी।

आबकारी घोषणाओं 2014-15 तथा 2015-16 का पैराग्राफ 3.19 यह प्रावधान करता है कि एक बिक्री केन्द्र के लाइसेंस नवीकरण करने के मामले में पिछले वर्ष अर्थात् 2014-15 है, के न्यूनतम गारंटीड कोटा के 3 प्रतिशत तक के शराब के बिक्री न हुए स्टॉक को आगामी वर्ष 2015-16 के लिए उस बिक्री केन्द्र के न्यूनतम गारंटीड कोटा की गणना में नहीं लिया जाएगा तथा लाइसेंसधारी को वर्ष 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस के 50 प्रतिशत की दर से लाइसेंस फीस का भुगतान करने पर इस बिक्री न हुए स्टॉक को लेना होगा।

³¹ आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर, धर्मशाला, हमीरपुर तथा शिमला

³² आबकारी एवं कराधान आयुक्त, बिलासपुर: 35 बिक्री केन्द्र: ₹8.86 लाख, धर्मशाला: 25 बिक्री केन्द्र: ₹6.32 लाख, हमीरपुर: 34 बिक्री केन्द्र: ₹11.36 लाख तथा शिमला: 15 बिक्री केन्द्र: ₹6.77 लाख

³³ हमीरपुर: ₹4.47 लाख तथा शिमला: ₹4.52 लाख

दो सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों³⁴ के अभिलेखों की नमूना जांच से सामने आया कि पिछले वर्ष 2013-14 एवं 2014-15 के 9,859.28 प्रूफ लीटर शराब (देशी शराब:3,944.17 प्रूफ लीटर तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब: 5,915.11 प्रूफ लीटर) के बिक्री न हुए स्टॉक को 149 बिक्री केन्द्रों के लाइसेंसधारियों की गणना में नहीं लिया गया था। लाइसेंसधारियों द्वारा वर्ष 2014-15 एवं 2015-16 के लिए निर्धारित की गई लाइसेंस फीस³⁵ के 50 प्रतिशत की दर से ₹10.13 लाख की लाइसेंस फीस का भुगतान इस बिक्री न हुए स्टॉक के लिए देय था। लाइसेंस फीस की मांग न तो विभाग द्वारा की गई और न ही लाइसेंसधारियों द्वारा जमा करवाया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹10.13लाख³⁶ की लाइसेंस फीस की गैर-वसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) में सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, धर्मशाला (कांगड़ा) तथा शिमला द्वारा ₹4.57 लाख³⁷ की राशि वसूल कर ली गई थी तथा शेष राशि की वसूली हेतु भी प्रयास किए जा रहे थे। सरकार का उत्तर अभी प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

³⁴ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, धर्मशाला (कांगड़ा) तथा शिमला

³⁵ लाइसेंस फीस: 2014-15: भारत में निर्मित विदेशी शराब: ₹219 तथा देशी शराब: ₹147 प्रति प्रूफ लीटर तथा 2015-16: भारत में निर्मित विदेशी शराब: ₹243 तथा देशी शराब: ₹162 प्रतिप्रूफ लीटर

³⁶ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, धर्मशाला (कांगड़ा): 88 बिक्री केन्द्र: ₹4.80 लाख तथा शिमला: 61 बिक्री केन्द्र: ₹5.33 लाख

³⁷ धर्मशाला: ₹2.58 लाख तथा शिमला: ₹1.99 लाख

अध्याय-IV
स्टाम्प शुल्क

अध्याय-IV स्टाम्प शुल्क

4.1 कर प्रशासन

राज्य सरकार सरकारी स्तर पर प्रलेखों के पंजीकरण पर अतिरिक्त मुख्य सचिव (राजस्व) के माध्यम से नियंत्रण का प्रयोग करती है। महानिरीक्षक पंजीयन, राजस्व विभाग का अध्यक्ष है जिसे क्रमशः उपायुक्तों (समाहर्ताओं) तथा उप-पंजीकारों द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। उसे पंजीकरण कार्य के अधीक्षण एवं प्रशासन के संचालन के अधिकार प्राप्त हैं। स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस के उद्ग्रहण एवं संग्रहण के लिए राज्य में 12 समाहर्ता तथा 117 तहसीलदार/नायब-तहसीलदार हैं जो कि क्रमशः पंजीयकों एवं उप-पंजीयकों के रूप में कार्य करते हैं।

4.2 लेखापरीक्षा परिणाम

राजस्व विभाग की 2016-17 में 30 इकाईयों के अभिलेखों की नमूना जांच से 144 मामलों में ₹3.93 करोड़ की राशि के आवास ऋण पर अनियमित छूट, स्टॉम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण, पट्टा विलेखों का निष्पादन न करना, पट्टा राशि की गैर/अल्प वसूली, तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं, जैसे कि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-4.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	सम्पत्ति के बाजारी मूल्य का गलत निर्धारण तथा आवास ऋण पर अनियमित छूट	33	1.75
2.	स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अनुद्ग्रहण/अल्पोद्ग्रहण	37	1.26
3.	पट्टा राशि की गैर/अल्प वसूली	02	0.02
4.	अन्य अनियमितताएं	72	0.90
योग		144	3.93

विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 100 मामलों में ₹45.68 लाख के अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की थीं जिसमें से 100 मामलों में ₹38.13 लाख की राशि वसूल की गई उसमें से 94 मामलों में ₹37.04 लाख विगत वर्षों की लेखापरीक्षा निष्कर्षों से तथा 6 मामलों में ₹1.09 लाख की राशि वर्ष 2015 एवं 2016 से संबंधित थी।

₹2.18 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

4.3 निर्मित ढांचे पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली

आवासीय इकाईओं के निर्मित ढांचे के लिए गलत बाजारी दर को अपनाने के कारण ₹92.03 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (प्रलेखों के अवमूल्यन की रोकथाम) के संशोधित नियम, 1992 के नियम 4(सी) में दिनांक 26 जून 2013 की अधिसूचना द्वारा किये गए संशोधन में प्रावधान है कि निर्मित ढांचे के मामले में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के मूल्यांकन की दर नियत करने के लिए कुछ कारकों, जैसे कि (i) भवनों का पक्का, अर्ध-पक्का और कच्चा के रूप में वर्गीकरण (ii) क्षेत्र जिसमें भवन अवस्थित है (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम प्लान्थ क्षेत्र दरें (iv) वार्षिक बढ़ती के लिए प्रीमियम तथा (v) ढांचे द्वारा धारित भूमि क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस राजस्व विभाग की दिनांक 12 जनवरी 2012 तथा 27 जनवरी 2014 की अधिसूचनाओं के अनुसार प्रभारित की जाएगी। जिला उपायुक्त किसी भी संव्यवहार के लिए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस को संगणित करने के लिए दरें निर्धारित करेगा। पंजीयन अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए उपायुक्त द्वारा नियत की गई दरों के संदर्भ को बिक्री विलेखों में दर्शाई गई प्रतिफल की राशि के साथ सत्यापित करना अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा ने 13 उप-पंजीयकों¹ के अभिलेखों की संवीक्षा में पाया गया कि बिक्री प्रलेखों के 163 दस्तावेजों को निजी वास्तुकारों द्वारा तैयार किये गए सम्पत्ति के मूल्यांकनों के आधार पर जनवरी 2014 तथा दिसम्बर 2015 के मध्य ₹13.09 करोड़ के प्रतिफल के लिए पंजीकृत किया गया था जो कि निर्मित ढांचे की अधिसूचित दरों के आधार पर नहीं थी। हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा जून 2013 में नियत की गई बाजारी दरों के आधार पर निर्मित ढांचे के मूल्य (₹12.39 करोड़) सहित सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य की संगणना ₹25.48 करोड़ की गई थी। अतः उप-पंजीयकों ने बिक्री विलेखों के इन दस्तावेजों का पंजीकरण करते समय निर्मित ढांचे हेतु नियत की गई प्लान्थ क्षेत्र दरों के साथ प्रतिफल राशि का सत्यापन नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹92.03 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा मार्च 2017 में के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अगस्त 2017 तथा अक्टूबर 2017 के मध्य) सूचित किया कि छः उप-पंजीयकों² द्वारा ₹10.63 लाख की राशि को वसूल कर लिया गया था तथा शेष उप-पंजीयकों से वसूली से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

¹ बंजार: तीन मामले: ₹0.51 लाख, बिलासपुर: 15 मामले: ₹7.34 लाख, चुवाडी: 19 मामले: ₹2.48 लाख, हरोली: चार मामले: ₹1.83 लाख, कुल्लू: 12 मामले: ₹6.55 लाख, नगरोटा बगवाँ: छः मामले: ₹0.86 लाख, नालागढ़: 21 मामले: ₹22.65 लाख, पालमपुर: सात मामले: ₹0.76 लाख, शिमला: 21 मामले: ₹13.14 लाख, सोलन: 25 मामले: ₹26.04 लाख, सुन्दरनगर: 10 मामले: ₹1.41 लाख, सुन्नी: छः मामले: ₹3.49 लाख तथा ऊना: 14 मामले: ₹4.97 लाख।

² बंजार: ₹0.51 लाख, कुल्लू: ₹3.21 लाख, नगरोटा बगवाँ: ₹0.60 लाख, पालमपुर: ₹0.58 लाख, सुन्दरनगर: ₹3.13 लाख, तथा सुन्नी: ₹2.60 लाख।

4.4 सम्पत्तियों के बाजारी मूल्य का अल्प-निर्धारण

क्रेताओं द्वारा सड़क से भूमि की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर गलत मूल्यांकन किये जाने के कारण ₹37.76 करोड़ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, ₹18.88 लाख की शास्ति भी उद्ग्राहण योग्य थी।

बिक्री विलेखों के पंजीकरण के प्रयोजन हेतु भूमि का मूल्यांकन, ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्र, दोनों के मामले में हिमाचल प्रदेश भू-अभिलेख नियमावली, 1992 के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तथा भूमि के वर्गीकरण के आधार पर किया गया है। जनवरी 2012 में जारी की गई अधिसूचना में ग्रामीण क्षेत्रों के मामलों में भूमि के मूल्यांकन के प्रयोजन हेतु भूमि के वर्गीकरण को तीन श्रेणियों में बांटने का प्रावधान किया गया है जैसे कि (i) सम्पत्ति जिससे संबंधित खसरा नंबर या उसका कोई भाग किसी सड़क से छूता हो (ii) उपर्युक्त (i) में पड़ने वाली सम्पत्ति के अतिरिक्त जिसका संबंधित खसरा नंबर या उसका कोई भाग किसी सड़क से 50 मीटर तक की दूरी पर पड़ता हो (iii) उपर्युक्त (i) में पड़ने वाली सम्पत्ति के अतिरिक्त जिसका कोई भाग ऐसी किसी सड़क से 50 मीटर तक की दूरी के भीतर न आता हो। शहरी क्षेत्रों में पड़ने वाली भूमि के मामले में, ग्रामीण क्षेत्रों में 50 मीटर सीमा के स्थान पर 25 मीटर सीमा लागू होगी। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग तथा अन्य सड़कों में वर्गीकृत किया गया है। क्रेता को ग्रामीण क्षेत्रों के मामले में राजस्व संपदा में अथवा शहरी क्षेत्र में सड़क की संबंधित श्रेणी में आने वाले राज्य राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा अन्य सड़कों से संबंधित भूमि की दूरी बताने से संबंधित शपथ-पत्र देना अपेक्षित है जोकि स्टाम्प शुल्क संगणित करने के लिए दर आधार के रूप में प्रयोग किया जाएगा। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया गया तो उद्ग्राह्य योग्य स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस के 50 प्रतिशत तक शास्ति उद्गृहित एवं वसूल की जाएगी।

सात उप-पंजीयकों³ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि ₹11.46 करोड़ की प्रतिफल राशि के लिए 30 दस्तावेजों को वर्ष 2014 एवं 2015 के मध्य पंजीकृत किया गया था जिन पर भूमि के वर्गीकरण के आधार पर जो क्रेताओं द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से सम्पत्तियों की दूरी के संदर्भ में दायर किये गए शपथ-पत्र पर ₹63.25 लाख का स्टाम्प शुल्क एवं ₹23.23 लाख पंजीकरण फीस प्रभारित की गई थी। भूमि का वर्गीकरण क्रेता द्वारा दायर किये गए शपथ-पत्र के आधार पर राजमार्ग एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अथवा अन्य सड़कों से गलत दूरी पर वर्गीकृत किया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक मामले में वास्तविक दूरी के आधार पर विलेखों के वास्तविक मूल्यांकन ₹16.90 करोड़ के स्थान पर ₹11.46 करोड़ के मूल्यांकन को अपनाने के कारण ₹37.76 लाख⁴ के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली हुई। इसके अतिरिक्त, स्टाम्प शुल्क/पंजीकरण फीस के 50 प्रतिशत की दर से ₹18.88 लाख की शास्ति भी उद्ग्राह्य योग्य थी।

³ उप-पंजीयक: इन्दौर, हरोली, कुल्लू, नगरोटा बागवाँ, नालागढ़, पालमपुर तथा शिमला (ग्रामीण)।

⁴ उप-पंजीयक-इन्दौर: छ: मामले: ₹9.91 लाख, हरोली: एक मामला: ₹1.61 लाख, कुल्लू: दो मामले: ₹5.00 लाख, नगरोटा बागवाँ: छ: मामले: ₹0.66 लाख, नालागढ़: पाँच मामले: ₹7.99 लाख, पालमपुर: छ: मामले: ₹1.14 लाख, तथा शिमला (ग्रामीण): चार मामले: ₹11.45 लाख।

सरकार तथा विभाग को मामला दिसम्बर 2016 तथा फरवरी 2017 में के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अगस्त 2017) सूचित किया कि उप-पंजीयक, नगरोंटा-बागवॉ द्वारा ₹0.66 लाख की राशि को वसूल कर लिया गया था तथा शेष उप-पंजीयकों से वसूली से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

4.5 औद्योगिक इकाईयों के बिक्री विलेखों पर स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस की अल्प-वसूली

नये औद्योगिक उद्यमों को स्थापित करने की पुष्टि किये बिना औद्योगिक इकाईयों के बिक्री विलेखों पर 50 प्रतिशत की स्टाम्प शुल्क की छूट दिए जाने के परिणामस्वरूप ₹60.68 लाख के स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस का अल्प-उद्ग्रहण हुआ।

हिमाचल प्रदेश स्टाम्प (प्रलेखों के अवमूल्यन की रोकथाम) के संशोधित नियम, 1992 के नियम 4(सी) में दिनांक 26 जून 2013 की अधिसूचना द्वारा किये गए संशोधन में प्रावधान है कि निर्मित ढांचे के मामले में आवासीय/गैर-आवासीय भवनों के मूल्यांकन की दर नियत करने के लिए कुछ कारकों, जैसे (i) भवनों का पक्का, अर्ध-पक्का और कच्चा के रूप में वर्गीकरण (ii) क्षेत्र जिसमें भवन अवस्थित है (iii) हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग द्वारा अधिसूचित नवीनतम प्लानिथ क्षेत्र दरें (iv) वार्षिक बढ़ौतरी के लिए प्रीमियम तथा (v) ढांचे द्वारा धारित भूमि क्षेत्र को ध्यान में रखा जाएगा। जिला उपायुक्त किसी भी संव्यवहार के लिए स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस को संगणित करने के लिए दरें निर्धारित करेगा। पंजीयन अधिकारी को इस उद्देश्य के लिए उपायुक्त द्वारा नियत की गई दरों के संदर्भ को बिक्री विलेखों में दर्शाई गई प्रतिफल की राशि के साथ सत्यापित करना अपेक्षित है। स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस राजस्व विभाग की दिनांक 12 जनवरी 2012 तथा 27 जनवरी 2014 की अधिसूचनाओं के अनुसार प्रभारित की जाएगी।

हिमाचल प्रदेश सरकार ने दिनांक 13 अगस्त 2014 की अधिसूचना द्वारा राज्य में नये औद्योगिक इकाईयों की स्थापना के लिए बिक्री विलेखों के निष्पादन पर अधिसूचना की तिथि से 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट प्रदान की है, औद्योगिक विभाग द्वारा जारी की गई अधिसूचना में प्रावधान है कि औद्योगिक इकाई से तात्पर्य एक ऐसी इकाई से है जोकि हिमाचल प्रदेश में स्थित हो तथा जिसने इस अधिसूचना की तिथि से या इसके पूर्व से उत्पादन प्रारम्भ करता है/कर दिया है, जो भी बाद में है। इसमें ऐसी कोई औद्योगिक इकाई सम्मिलित नहीं की जाएगी जिसे कि पुनःस्थापना, स्वामित्व में परिवर्तन मात्र, संविधान में परिवर्तन, पुनःनिर्माण या विद्यमान औद्योगिक इकाई के पुनःप्रवर्तन के परिणामस्वरूप बनाया गया है।

उप-पंजीयक, नाहन के वर्ष 2014 एवं 2015 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा से उद्घाटित हुआ कि विद्यमान औद्योगिक इकाईयों के तीन बिक्री विलेखों के दस्तावेजों को अप्रैल 2015 एवं जुलाई 2015 के मध्य ₹4.85 करोड़ की राशि के प्रतिफल के लिए पंजीकरण किया गया था। इस प्रकार यह इकाईयां 50 प्रतिशत स्टाम्प शुल्क की छूट के लिए पात्र नहीं थी, जिसके परिणामस्वरूप ₹48.48 लाख के स्टाम्प शुल्क का अल्पोद्ग्रहण हुआ। आगे, इन तीन औद्योगिक इकाईयों के बिक्री विलेखों को भूमि/प्लानिथ क्षेत्र की लागू दरों के आधार पर सम्पत्ति के वास्तविक मूल्य ₹10.95 करोड़ के स्थान पर निर्मित ढांचे तथा भूमि के मूल्य की गलत दरों के अनुसार ₹4.85 करोड़ की प्रतिफल राशि के लिए पंजीकृत किया गया था। जिसके परिणामस्वरूप ₹12.20 लाख की पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

इस प्रकार, औद्योगिक इकाईयों के तीन बिक्री विलेखों पर ₹60.68 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण फीस का अल्पोद्ग्रहण हुआ।

सरकार तथा विभाग को दिसम्बर 2016 तथा फरवरी 2017 में के मध्य मामला प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अगस्त 2017) सूचित किया इस संदर्भ में सूचना उप-पंजीयकों से एकत्रित की जा रही थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

4.6 स्टाम्प शुल्क की गलत दर लागू करना

बिक्री विलेखों के 314 मामलों में स्टाम्प शुल्क की गलत दरों को लागू किये जाने के कारण ₹28.00 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

राजस्व विभाग ने दिनांक 27 जनवरी 2014 की अधिसूचना के द्वारा स्टाम्प शुल्क की दरों को, जहां भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 की अनुसूची-1-‘ए’ के अनुच्छेद 23, 33 एवं 40 के अंतर्गत ऐसे प्रलेखों को अन्य व्यक्तियों⁵ के पक्ष में पंजीकृत किया था, पांच से छः प्रतिशत पर संशोधित किया।

ग्यारह उप-पंजीयकों⁶ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि फरवरी 2014 तथा नवम्बर 2015 के मध्य ₹27.58 करोड़ की प्रतिफल की राशि हेतु 314 दस्तावेजों को पंजीकृत किया गया था तथा उप-पंजीयकों ने इन दस्तावेजों को पंजीकृत करते समय जनवरी 2014 में अधिसूचित की गई संशोधित दरों पर उद्ग्रहण हेतु अपेक्षित राशि ₹1.66 करोड़ की बजाए पुरानी दरों के आधार पर ₹1.38 करोड़ के स्टाम्प शुल्क का उद्ग्रहण किया। इसके परिणामस्वरूप ₹28.00 लाख के स्टाम्प शुल्क की अल्प-वसूली हुई।

सरकार तथा विभाग को दिसम्बर 2016 तथा फरवरी 2017 के मध्य मामला प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि पांच उप-पंजीयकों⁷, द्वारा ₹4.70 लाख की राशि को वसूल कर लिया गया था तथा शेष उप-पंजीयकों से वसूली से संबंधित सूचना एकत्रित की जा रही थी। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

⁵ महिलाओं के अलावा अन्य अर्थात् पुरुष

⁶ उप-पंजीयक-बिलासपुर: 15 मामले: ₹0.70 लाख, चौपाल: चार मामले: ₹0.60 लाख, हरोली: 28 मामले: ₹4.90 लाख, इन्दौरा: 30 मामले: ₹2.03 लाख, कांगड़ा: 14 मामले: ₹1.10 लाख, कुल्लू: 24 मामले: ₹1.72 लाख, नगरोटा-बगवाँ: 18 मामले: ₹0.50 लाख, नालागढ़: 39 मामले: ₹3.01 लाख, पालमपुर: 60 मामले: ₹3.20 लाख, शिमला (ग्रामीण): 63 मामले: ₹7.94 लाख तथा सुन्दरनगर: 19 मामले: ₹2.30 लाख

⁷ उप-पंजीयक-चौपाल: ₹0.51 लाख, कुल्लू: ₹0.50 लाख, नगरोटा बगवाँ: ₹0.22 लाख, पालमपुर: ₹2.33 लाख, एवं सुन्दरनगर: ₹1.14 लाख

अध्याय-V
वाहन, माल व यात्री कर

अध्याय-V वाहन, माल व यात्री कर

5.1 कर प्रशासन

प्रधान सचिव (परिवहन) सरकार स्तर पर प्रशासनिक प्रमुख होता है। एक राज्य परिवहन प्राधिकारी, एक अतिरिक्त जिला मैजिस्ट्रेट (विशेष पथ कर), 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी तथा 63 पंजीकरण एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों द्वारा परिवहन विभाग की प्राप्तियों को केन्द्र तथा राज्य मोटर वाहन अधिनियमों के प्रावधानों एवं उनके अंतर्गत बनाए गए नियमों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है। माल व यात्री कर से प्राप्तियों को हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कर अधिनियम, 1955 के प्रावधानों के अंतर्गत आयुक्त (आबकारी एवं कराधान) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा विनियमित किया जाता है।

5.2 लेखापरीक्षा परिणाम

राष्ट्रीय परमिट स्कीम के अंतर्गत सांकेतिक कर, विशेष पथ कर, पंजीकरण फीस, परमिट फीस, चालक लाइसेंस फीस, परिचालक लाइसेंस फीस, शास्तियों एवं समेकित फीस से सम्बंधित 36 इकाइयों के अभिलेखों की 2016-17 में नमूना-जांच से 266 मामलों में ₹71.10 करोड़ से अंतर्ग्रस्त कर का अवनिर्धारण तथा अन्य अनियमितताएं उद्घाटित हुईं, जिनको नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-5.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रमांक	श्रेणी	₹करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	गैर-वसूली/ अल्पवसूली		
	• सांकेतिक कर व समेकित फीस	83	4.28
	• विशेष पथ कर	24	23.09
	• यात्री व माल कर	15	1.17
2.	अपवंचन		
	• सांकेतिक कर	24	1.55
	• यात्री व माल कर	14	1.32
3.	अन्य अनियमितताएं		
	• वाहन कर	90	0.24
	• यात्री व माल कर	16	39.45
योग		266	71.10

विभाग ने वर्ष 2016-17 के दौरान 98 मामलों में ₹4.04 करोड़ का अवनिर्धारण तथा अन्य कमियां स्वीकार की जिसमें से 98 मामलों में ₹2.44 करोड़ की राशि वसूल की गई जोकि विगत वर्षों से संबंधित थी।

आवश्यक मामलों की विवेचना ₹69.65 करोड़ से अंतर्ग्रस्त निम्नवत् पैराग्राफ में की गई है:

5.3 सांकेतिक कर की अवसूली

विभाग द्वारा वर्ष 2013-14 से 2015-16 के लिए 12,365 वाहनों के संदर्भ में ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की न तो मांग की गई और न ही इन वाहन मालिकों द्वारा इसका भुगतान किया गया।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3 तथा उसके अधीन बनाई गई नियमावली के अंतर्गत वाहन मालिकों द्वारा सांकेतिक कर (टोकन टैक्स) का भुगतान त्रैमासिक अथवा वार्षिक रूप में निर्धारित तरीके से अग्रिम में किया जाना है। धारा 8 के अंतर्गत कराधान प्राधिकारी उस व्यक्ति को नोटिस जारी करेगा जो कि कर के भुगतान का उत्तरदायी है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4-‘ए’ के अनुसार यदि वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अंदर देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी उसे सुने जाने का अवसर प्रदान करने के पश्चात् कर के अतिरिक्त देय कर की 25 प्रतिशत वार्षिक दर से शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

राज्य परिवहन प्राधिकारी शिमला, 14 पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों¹ तथा 10 क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों² के सांकेतिक कर रजिस्ट्रों एवं ‘वाहन’सॉफ्टवेयर में अनुरक्षित डाटा की नमूना जांच किये गये 25,718 वाहनों के अभिलेखों में से 12,365 वाहनों के सम्बन्ध में संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2013-14 से 2015-16 के वर्षों हेतु ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की राशि को वाहन मालिकों द्वारा विभिन्न अवधियों के लिए जमा नहीं करवाया गया था जैसा कि अनुलग्नक-VII में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, कर का भुगतान न करने के लिए निर्धारित दरों पर शास्ति भी उद्ग्राह्य थी। चूक-कर्ताओं से कर वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई प्रयास नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹5.66 करोड़ के सांकेतिक कर की वसूली नहीं हुई।

सरकार तथा विभाग को मामला (मई 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य) प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अगस्त 2016 तथा अक्टूबर 2017 के मध्य) सूचित किया छ: पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों³, सात क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁴ तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला ने ₹59.82 लाख के सांकेतिक कर की वसूली कर ली थी तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए चूककर्ताओं को नोटिस जारी किये गये थे। शेष कराधान प्राधिकारियों ने सूचित किया कि चूक-कर्ताओं को कर जमा करवाने के लिए नोटिस जारी किये जाएंगे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

¹ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-अम्ब: ₹62.49 लाख, अर्की: ₹52.76 लाख, बिलासपुर: ₹30.89 लाख, चौपाल: ₹3.27 लाख, देहरा: ₹32.17 लाख, कांगड़ा: ₹12.98 लाख, मण्डी: ₹41.23 लाख, मनाली: ₹4.22 लाख, पालमपुर: ₹10.49 लाख, परवाणु: ₹1.10 लाख, राजगढ़: ₹7.36 लाख, रोहटू: ₹19.20 लाख, सरकाघाट: ₹13.37 लाख तथा शिमला (ग्रामीण): ₹5.81 लाख।

² क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बिलासपुर: ₹27.67 लाख, चम्बा: ₹14.66 लाख, हमीरपुर: ₹9.70 लाख, कांगड़ा: ₹22.82 लाख, कुल्लू: ₹49.14 लाख, मण्डी: ₹17.15 लाख, नाहन: ₹9.21 लाख, शिमला: ₹36.18 लाख, सोलन: ₹4.30 लाख तथा ऊना: ₹35.65 लाख। राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला: ₹42.45 लाख।

³ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-अम्ब: ₹5.64 लाख, अर्की: ₹2.16 लाख, कांगड़ा: ₹2.88 लाख, मण्डी: ₹15.30 लाख, पालमपुर: ₹9.00 लाख तथा सरकाघाट: ₹2.08 लाख।

⁴ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बिलासपुर: ₹3.71 लाख, चम्बा: ₹1.80 लाख, हमीरपुर: ₹0.79 लाख, कांगड़ा: ₹2.97 लाख, मण्डी: ₹2.43 लाख, नाहन: ₹2.61 लाख, ऊना: ₹5.33 लाख तथा राज्य परिवहन प्राधिकारी, शिमला: ₹3.12 लाख।

5.4 विशेष पथ कर की अवसूली/अल्प-वसूली

विशेष पथ कर ₹22.39 करोड़ की राशि को हिमाचल पथ परिवहन निगम तथा निजी स्टेज कैरिजों से वसूल नहीं किया गया था।

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3-‘क’ के अंतर्गत राज्य में प्रयुक्त अथवा प्रयोग हेतु रखे गए सभी परिवहन वाहनों पर राज्य सरकार मासिक रूप से विशेष पथ कर का उद्ग्रहण करेगी। इसका भुगतान निर्धारित दरों⁵ पर प्रत्येक मास की 15वीं तारीख तक अग्रिम रूप में किया जाएगा। आगे, अधिनियम की धारा 14 (2) में विशेष पथ कर के भुगतान से छूट का प्रावधान है यदि पंजीकृत मालिक कराधान प्राधिकारी को पहले ही लिखित में सूचना देता है कि एक निश्चित अवधि के लिए उसका मोटर वाहन सार्वजनिक स्थान में प्रयोग नहीं किया जाएगा तथा उस मोटर वाहन का पंजीकरण प्रमाण-पत्र परमिट सहित संबंधित पंजीकरण प्राधिकारी के पास जमा करवाता है। हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान नियमावली, 1974 के नियम 4ए में प्रावधान है कि यदि कोई वाहन मालिक निर्धारित अवधि के अन्दर देय विशेष पथ कर का भुगतान करने में विफल रहता है तो कराधान प्राधिकारी देय कर के 25 प्रतिशत वार्षिक दर से वाहन मालिक को शास्ति का भुगतान करने का निर्देश देगा।

5.4.1 हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा विशेष पथ कर का भुगतान न करना

नौ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के अभिलेखों की जून 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि अप्रैल 2015 से मार्च 2016 तक की अवधि के लिए ₹20.86 करोड़⁶ की राशि को मार्च 2017 तक न तो हिमाचल पथ परिवहन निगम द्वारा जमा करवाया गया था और न ही क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा इसकी मांग की गई थी।

इसे इंगित किए जाने पर, क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि वसूली से संबंधित मामला हिमाचल पथ परिवहन निगम के साथ उठाया जाएगा। विगत लेखापरीक्षाओं में इस मामले को इंगित किये जाने के बावजूद भी वसूली को समय पर वसूल करने को सुनिश्चित करने हेतु विभाग द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है¹।

5.4.2 विशेष पथ कर का निर्धारण करने के लिए रूट-परमितों को गणना में न लेना

(i) लेखापरीक्षा ने दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच की तथा पाया कि 2015-16 की अवधि के लिए संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों द्वारा हिमाचल पथ परिवहन निगम के स्टेज कैरिजों के लिए 11 रूट परमितों को जारी/नवीकृत किया गया था, को विशेष पथ कर के निर्धारण की गणना में नहीं लिया गया। क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी हिमाचल पथ परिवहन निगम के डिपोज द्वारा प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों की संवीक्षा के समय इस चूक का पता लगाने में असफल रहें। इस प्रकार, ₹37.61 लाख⁸ का विशेष पथ कर निर्धारण से छूट गया।

⁵ विशेष पथ कर की दरें मार्गों जिन पर वाहन चलाये जा रहे हैं जैसे कि राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, ग्रामीण सड़कें तथा 30 किलोमीटर के दायरे में चलने वाली स्थानीय बसों/मिनी बसों के वर्गीकरण पर आधारित होगी। उपरोक्त मार्गों हेतु विशेष पथ कर की दरें क्रमशः ₹6.04, ₹5.03 तथा ₹4.03 प्रति-सीट प्रति किलोमीटर है।

⁶ बिलासपुर: ₹1.01 करोड़, चम्बा: ₹1.31 करोड़, हमीरपुर: ₹1.00 करोड़, कांगड़ा: ₹5.43 करोड़, कुल्लू: ₹2.18 करोड़, मण्डी: ₹2.75 करोड़, नाहन: ₹89.00 लाख, शिमला: ₹5.21 करोड़ तथा सोलन: ₹1.08 करोड़।

⁷ शिमला: 10 मामले तथा नाहन: एक मामला

⁸ शिमला: ₹31.56 लाख तथा नाहन: ₹6.05 लाख

(ii) विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण

दो क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों⁹ की हिमाचल पथ परिवहन निगम इकाईयों द्वारा 2015-16 की अवधि के लिए प्रस्तुत की गई विशेष पथ कर निर्धारण विवरणियों एवं रूट परमितों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 11 मामलों में विशेष पथ कर की गणना रूट परमित के अनुसार अथवा रूट परमितों के अनुसार तय की गई दूरी के अनुसार नहीं की गई थी तथा विशेष पथ कर की निर्धारण विवरणियों को सही मान लिया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹9.48 लाख के विशेष पथ कर का अल्प निर्धारण हुआ।

5.4.3 निजी स्टेज कैरिज

आठ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹⁰ के विशेष पथ कर के रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा में पाया गया कि 167 मामलों में 2014-16 की अवधि के लिए ₹1.06 करोड़ की राशि का विशेष पथ कर निजी स्टेज कैरिजों के मालिकों से वसूली योग्य था। अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर को वसूल करने के लिए कराधान प्राधिकारियों द्वारा कोई पहल की गई थी। इसके परिणामस्वरूप ₹1.06 करोड़ के विशेष पथ कर की अवसूली हुई। इसके अतिरिक्त, निर्धारित दरों पर ₹26.44 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

उपर्युक्त सभी मामलों में अभिलेख में ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे प्रतीत होता कि विशेष पथ कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए पंजीकरण प्रमाण-पत्रों/रूट परमितों का संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास अभ्यर्पण किया गया था।

सरकार तथा विभाग को मामला जुलाई 2016 तथा अप्रैल 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (अप्रैल तथा अक्टूबर 2017 के मध्य) सूचित किया कि ₹47.97 लाख में से ₹30.01 लाख की राशि को पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹¹ द्वारा वसूल कर लिया गया था तथा शेष क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों ने बताया कि राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। सरकार का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (दिसम्बर 2017)।

5.5 यात्री व माल कर की अवसूली

2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹1.10 करोड़ की राशि के माल व यात्री कर का न तो 1,911 वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा भुगतान किया गया था और न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई थी।

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 3 के अंतर्गत वाहन मालिकों से निर्धारित दरों पर मासिक अथवा त्रैमासिक रूप से कर एवं भाड़ा इत्यादि का भुगतान किया जाना अपेक्षित है। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के नियम 9(7)(ii)(सी) (i व ii) में प्रावधान है कि वाहन मालिक उस अवधि के लिए जिसके लिए वह जैसे ही अपना वाहन सड़क पर चलने से बंद करता है, कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए संबंधित निर्धारण प्राधिकारियों को सूचित करेगा। नियम 22 आगे प्रावधान करता है कि किसी वाहन मालिक द्वारा यदि कोई राशि देय है, उस स्थिति में निर्धारण प्राधिकारी कर के भुगतान के प्रूफ के रूप में चालान की प्राप्ति प्रस्तुत करने हेतु वाहन मालिक को नोटिस जारी करेगा। उपर्युक्त अधिनियम की

⁹ शिमला: ₹6.24 लाख तथा नाहन: ₹3.24 लाख

¹⁰ बिलासपुर: ₹3.03 लाख, कांगड़ा: ₹24.37 लाख, कुल्लू: ₹2.47 लाख, मण्डी: ₹11.56 लाख, नाहन: ₹4.84 लाख, शिमला: ₹14.88 लाख, सोलन: ₹25.84 लाख तथा ऊना: ₹18.76 लाख

¹¹ बिलासपुर: ₹2.24 लाख, कांगड़ा: ₹8.15 लाख, मण्डी: ₹5.46 लाख, नाहन: ₹3.72 लाख तथा ऊना: ₹10.44 लाख

धारा 12 में आगे प्रावधान है कि किसी बकाया या इस अधिनियम के अंतर्गत लगाई गई शास्ति भू-राजस्व के बकाया के रूप में वसूली योग्य होगी।

छ: सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के कार्यालयों में अनुरक्षित किये गये मांग एवं संग्रहण रजिस्ट्रों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 1,911 वाहनों¹² के संदर्भ में 2014-15 से 2015-16 की अवधि के लिए ₹1.10 करोड़ की राशि का वाणिज्यिक वाहन मालिकों द्वारा भुगतान नहीं किया गया था जो कि आबकारी एवं कराधान विभाग में पहले से ही पंजीकृत थे। वाहन मालिकों द्वारा उक्त अवधि के दौरान अपने वाहन का सड़क पर उपयोग न करने के बारे तथा कर के भुगतान से छूट प्राप्त करने के लिए कोई मांग भी नहीं की गई थी। तथापि, निर्धारण प्राधिकारियों ने न तो वाहन मालिकों को कर जमा करवाने के प्रूफ में मांग जारी की थी और न ही कर वसूली को भू-राजस्व के रूप में वसूल करने हेतु मामलों को आयुक्त को भेजा था। इसके परिणामस्वरूप ₹1.10 करोड़ के यात्री व माल कर की वसूली नहीं हुई, जैसाकि नीचे दर्शाया गया है:

तालिका-5.2: वाहनों से माल व यात्री कर की गैर-वसूली

क्रमांक	वाहनों के प्रकार	वाहनों की कुल संख्या जिनके लिए कर का भुगतान नहीं किया गया	₹ लाख में देय कर की राशि
1.	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/ टैक्सी)	459	21.87
2.	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसें)	46	3.76
3.	माल वाहन (भारी माल वाहन/ मध्यम माल वाहन/ हल्के माल वाहन/ ट्रैक्टर)	1,406	84.13
योग		1,911	109.76
अर्थात् 1.10 करोड़			

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने 567 वाहन मालिकों से ₹29.55 लाख की राशि (यात्री कर ₹9.63 लाख तथा माल कर ₹19.92 लाख) को वसूल कर लिया था तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

5.6 आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों का पंजीकरण न करवाना

सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों तथा संबंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के मध्य समन्वय के अभाव के कारण, 2,961 वाणिज्यिक वाहनों के मालिकों ने अपने वाहनों को संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹1.13 करोड़ राशि के यात्री व माल कर की अवसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 तथा उसके अधीन बनाई गई हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली, 1957 के अंतर्गत स्टेज/संविदा कैरिज तथा माल वाहन मालिकों को निर्धारित दरों पर यात्री कर व माल कर का भुगतान किए जाने हेतु उनके वाहनों का

¹² बही: 244 वाहन: ₹13.08 लाख, बिलासपुर: 583 वाहन: ₹38.14 लाख, कांगड़ा: 180 वाहन: ₹12.11 लाख, सिरमौर: 349 वाहन: ₹19.58 लाख, शिमला: 384 वाहन: ₹16.59 लाख तथा सोलन: 171 वाहन: ₹10.26 लाख

पंजीकरण सम्बद्ध आबकारी एवं कराधान अधिकारियों के पास कराया जाना अपेक्षित है। वाहनों के पंजीकरण का कार्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के द्वारा संभाला जाता है तथा यात्री व माल कर का संग्रहण विभिन्न सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों द्वारा संभाला जाता है। आगे, अधिनियम की धारा 8 में प्रावधान है कि कोई भी वाहन मालिक राज्य में अपना वाहन तब तक नहीं ला सकेगा जब तक उसके पास सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा जारी किया गया वाहन के पंजीकरण का वैध प्रमाण-पत्र नहीं होगा। उपर्युक्त अधिनियम की धारा 9-बी(5) में आगे प्रावधान है कि यदि, वाहन मालिक अपने वाहन का पंजीकरण कराने के लिए आवेदन करने में विफल रहता है तो उससे शास्ति जो निर्धारित की गई कर की राशि के पांच गुणा से अधिक न हो, तथा न्यूनतम ₹500 हो, भी उद्ग्राह्य होगी।

तीन पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों¹³ तथा पांच क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों¹⁴ के पंजीकरण अभिलेखों के साथ संबंधित सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पंजीकरण अभिलेखों की प्रति जांच करने पर उद्घाटित हुआ कि वर्ष 2014-15 से 2015-16 के दौरान पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के पास पंजीकृत 6,342 वाणिज्यिक वाहनों में से 2,961 वाहन नियत किये गए यात्री व माल कर के भुगतान हेतु उत्तरदायी थे लेकिन सम्बद्ध सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के पास पंजीकृत नहीं किये गए थे। सम्बंधित पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों का सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों के साथ समन्वय के अभाव के परिणामस्वरूप, इन 2,961 वाहनों के लिए ₹1.13 करोड़¹⁵ के यात्री व माल कर की अवसूली हुई जैसा कि अनुलग्नक-VIII में दर्शाया गया है। इसके अतिरिक्त, वाहनों का पंजीकरण न होने के कारण ₹14.81 लाख की न्यूनतम शास्ति भी उद्ग्राह्य थी।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (सितम्बर 2017) सूचित किया कि छः सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने ₹1.13 करोड़ में से 525 वाहन मालिकों से ₹19.22 लाख की राशि तथा ₹61,500 की शास्ति (यात्री कर ₹3.07 लाख तथा माल कर ₹16.15 लाख) को वसूल कर लिया था तथा शेष राशि को वसूल करने के लिए प्रयास किये जा रहे थे। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

5.7 अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहण तथा संग्रहण न करना

तीन सीमेंट कम्पनियों द्वारा ₹39.37 करोड़ का अतिरिक्त माल कर का न तो भुगतान किया गया न ही विभाग द्वारा इसकी मांग की गई, जिन्होंने सीमेंट व क्लीन्कर के विनिर्माण हेतु खनन क्षेत्रों से सीमेंट संयंत्रों तक चूना पत्थर तथा स्लेटी पत्थर (शेल) का परिवहन किया था।

हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम, 1955 की धारा 3-बी में प्रावधान किया गया है कि राज्य सरकार को प्रत्येक मद के लिए निर्धारित दरों पर जो हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान अधिनियम की अनुसूची-11 के कॉलम (2) में निर्दिष्ट है, माल के परिवहन पर अतिरिक्त माल कर उद्ग्रहित, प्रभारित तथा भुगतान किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश यात्री व माल कराधान नियमावली

¹³ पंजीकरण एवं लाइसेंस प्राधिकारी-बिलासपुर, सिरमौर तथा सोलन

¹⁴ क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बदी, बिलासपुर, कागड़ा, शिमला तथा सोलन

¹⁵ सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त-बदी: ₹57.64 लाख, बिलासपुर: ₹22.98 लाख, धर्मशाला: ₹13.14 लाख, सिरमौर: ₹3.03 लाख, शिमला: ₹9.81 लाख तथा सोलन: ₹6.14 लाख

के नियम-9-डी में आगे प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति अधिनियम की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट माल परिवहन हेतु प्रेषण के लिए विक्रय या प्रेषण प्राधिकृत करता है तथा राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विधिवत प्राधिकृत किया जाता है तो सम्बद्ध जिला कार्यालय में हिमाचल प्रदेश माल व बिक्री कर अधिनियम, 1968 तथा हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 के अंतर्गत जिले के सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त अथवा प्रभारी आबकारी एवं कराधान अधिकारी द्वारा विधिवत रूप से पंजीकृत किया जाएगा। प्राधिकृत व्यक्ति अतिरिक्त माल कर की राशि एकत्रित करेगा तथा इस राशि को सरकारी कोष में जमा कराएगा। नियम 9-ई में आगे प्रावधान है कि निर्धारण प्राधिकारी अधिनियम के अंतर्गत कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अधिनियम की धारा 4-‘ए’ के अंतर्गत प्रस्तुत की गई प्रत्येक रिटर्न की महीने की समाप्ति के बाद समीक्षा करेगा तथा निर्धारण प्राधिकारी अर्ध-वार्षिकी आधार पर प्रत्येक मामले का निर्धारण करेगा।

खनन अधिकारियों, सोलन तथा बिलासपुर से एकत्रित अभिलेखों की सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों बिलासपुर तथा सोलन के अभिलेखों से प्रति जांच की लेखापरीक्षा संवीक्षा करने पर उद्घाटित हुआ कि अतिरिक्त माल कर को एकत्रित करने हेतु प्राधिकृत तीन सीमेंट कम्पनियों ने 2015-16 की अवधि के दौरान चूना पत्थर एवं स्लेटी पत्थर को कच्चे माल के रूप में उपयोग करने हेतु खनन क्षेत्र से अपने सीमेंट प्लॉट तक 1,09,86,514 मीट्रिक टन चूना-पत्थर तथा 14,30,418 मीट्रिक टन स्लेटी पत्थर का प्रेषण किया जिस पर ₹39.45 करोड़¹⁶ का अतिरिक्त माल कर उद्ग्राह्य था जिसके स्थान पर वास्तव में ₹8.38 लाख ही भुगतान किया गया था। यद्यपि कम्पनियां जब से उन्हें प्राधिकृत किया गया था, नियमित रूप से अतिरिक्त माल कर की रिटर्न प्रस्तुत कर रही थी परन्तु सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्तों ने उनकी मासिक रिटर्नों की संवीक्षा नहीं की तथा अर्ध-वार्षिक आधार पर उनके निर्धारण को अन्तिम रूप नहीं दिया परिणामस्वरूप ₹39.37 करोड़ के अतिरिक्त माल कर की राजस्व हानि हुई।

इसे इंगित किये जाने पर सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने (अप्रैल 2017) बताया कि मामला आबकारी एवं कराधान आयुक्त के पास विचाराधीन है तथा नियमों एवं अधिनियमों के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस मामले को मार्च 2014, मार्च 2015 तथा मार्च 2016 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में उठाया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने सीमेंट कम्पनी के परिसरों का दौरा करने के बाद सहायक आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन को (अगस्त 2015) किसी एक सीमेंट कम्पनी के उत्तर पर कुछ अतिरिक्त तथ्यों का परीक्षण करने के निर्देश दिये थे तथा कृत-कार्रवाई मांगी गई थी। आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन ने सूचित किया कि निकाले गए चूना-पत्थर को खनन क्षेत्र से वहां स्थित क्रशर तक डम्परों द्वारा लाया गया। लेखापरीक्षा ने पाया कि अप्रैल 2016 में आबकारी एवं कराधान आयुक्त, सोलन से उत्तर प्राप्त करने के बावजूद भी आबकारी एवं कराधान आयुक्त द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया गया था। आबकारी एवं कराधान आयुक्त ने इस मामले पर 11 अक्टूबर 2017 को पूछे जाने के बावजूद भी अंतिम निर्णय प्रस्तुत नहीं किया।

¹⁶ चूना- पत्थर: 10986514 मीट्रिक टन x ₹35 प्रति टन + स्लेटी-पत्थर: 1430418 मीट्रिक टन x ₹7 प्रति टन

चूंकि जिन सड़को पर डम्पर चल रहे थे, खनन क्षेत्र में थीं तथा हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा पट्टे पर दी गई थीं, इसलिए सीमेंट कम्पनियों द्वारा यात्री एवं माल कर भुगतान योग्य था। इसलिए खनन क्षेत्रों में स्थापित सड़के जो हिमाचल प्रदेश सरकार की संपत्ति थी, के इस्तेमाल हेतु सीमेंट कम्पनियों को चूना/स्लेटी पत्थर पर अतिरिक्त माल कर की कटौती/जमा करवाना अनिवार्य था।

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2016 तथा फरवरी 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2017)।

अध्याय-VI
वन प्राप्तियां

अध्याय-VI वन प्राप्तियां

6.1 कर प्रशासन

अतिरिक्त मुख्य सचिव (वन) के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत प्रधान मुख्य अरण्यपाल, वन विभाग का प्रमुख है। प्रधान मुख्य अरण्यपाल को 37 क्षेत्रीय मण्डलों में आठ वन अरण्यपालों द्वारा सहयोग प्रदान किया जाता है। प्रत्येक अरण्यपाल वन मण्डल अधिकारियों द्वारा उनके नियंत्रणाधीन किये जा रहे वन दोहन कार्यकलापों एवं पुनरूत्पत्ति का नियंत्रण करता है। प्रत्येक वन मण्डल अधिकारी अपने क्षेत्रीय मण्डल में वन सम्बन्धी सौंपे गये कार्यकलापों का प्रभारी होता है।

6.2 लेखापरीक्षा परिणाम

वन प्राप्तिओं से संबंधित 28 इकाइयों के 2016-17 के दौरान अभिलेखों की नमूना जांच से उद्घाटित हुआ कि 103 मामलों में ₹61.64 करोड़ से अंतर्ग्रस्त रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली, ब्याज/विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण, जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि तथा अन्य अनियमितताएं पायी गई जो निम्नवत् श्रेणियों के अंतर्गत दर्शाई गई है:

तालिका-6.1: लेखापरीक्षा परिणाम

क्रम संख्या	श्रेणी	₹ करोड़ में	
		मामलों की संख्या	राशि
1.	रॉयल्टी की गैर-वसूली/अल्प वसूली	35	15.06
2.	ब्याज/विस्तृत फीस का अनुद्ग्रहण	09	2.51
3.	जब्त की गई इमारती लकड़ी के कारण राजस्व का अवरोधन/हानि	17	2.95
4.	अन्य अनियमितताएं	42	41.12
	योग	103	61.54

विभाग ने वर्ष के दौरान छः मामलों में ₹47.17 लाख के अवनियमितताओं एवं अन्य अनियमितताओं को स्वीकार किया जिसमें से छः मामलों में ₹38.99 लाख की राशि वसूल की गई जोकि विगत वर्षों से संबंधित है।

₹34.30 करोड़ से अंतर्ग्रस्त आवश्यक मामलों की अनुवर्ती पैराग्राफ में चर्चा की गई है।

6.3 मनमाने ढंग से रोकੀ गई रॉयल्टी की मांग न उठाना

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा रॉयल्टी को रोकने के कारण वन विभाग को ₹31.12 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा वनों से रेज़िन तथा बचे-खुचे (कबाड़) इमारती लकड़ी को दोहन करने का कार्य किया जाता है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा रेज़िन ब्लेजों¹, खड़े वृक्षों तथा अन्य वन उत्पादों का समय-समय पर हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड द्वारा संदोहन करने के लिए रॉयल्टी की दरों, नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करने हेतु मूल्य निर्धारण समिति गठित की गई थी। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड लीज़ अवधि के दौरान वन विभाग द्वारा आवंटित किये गए रेज़िन तथा इमारती लकड़ी के संदर्भ में देय रॉयल्टी का भुगतान दो किस्तों में करेगी।

लेखापरीक्षा ने पाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने (दिसम्बर 2012) इमारती लकड़ी, रेज़िन तथा बांस की रॉयल्टी के संदर्भ में विभाग से जनजातीय क्षेत्रों के डिपोज को आपूर्ति की गई ईंधन लकड़ी के मूल्य एवं परिवहन प्रभारों के रूप में वसूली योग्य राशि के स्थान पर ₹17.35 करोड़ का भुगतान रोक रखा था जिसको कि विभाग से इसकी प्राप्ति होने पर जारी किया जाना था। विभाग ने 2007-08 से 2012-13 की अवधि के लिए वास्तव में भुगतान योग्य राशि ₹15.86 करोड़ के स्थान पर ₹17.31 करोड़ की राशि का भुगतान किया, जिसके परिणामस्वरूप ₹1.45 करोड़ का अधिक भुगतान हुआ। इस प्रकार, विभाग की ईंधन लकड़ी के लिए किये गए अधिक भुगतान तथा इमारती लकड़ी के लिए रोकੀ गई राशि की मांग करने में असफलता के परिणामस्वरूप विभाग द्वारा ₹18.80 करोड़ के राजस्व को वसूल नहीं किया गया।

इसके आगे 2012-13 तक जनजातीय क्षेत्रों को आपूर्ति किये गए वन उत्पादों के मूल्य एवं परिवहन प्रभारों के रूप में 2014 के रेज़िन सत्र के लिए ₹4.16 करोड़ की रेज़िन रॉयल्टी की राशि की प्रथम किस्त हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने जारी नहीं की। लेखापरीक्षा संवीक्षा से आगे यह भी उद्घाटित हुआ कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड ने 2015 के रेज़िन सत्र के संदर्भ में ₹9.42 करोड़ की कुल रॉयल्टी के स्थान पर ₹1.26 करोड़ की आंशिक रॉयल्टी का भुगतान जारी किया जो कि 15 दिसम्बर 2015 को भुगतान योग्य था। इस प्रकार ₹8.16 करोड़ की रॉयल्टी की अदायगी भी हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड से वसूली योग्य थी। विभाग ने ईंधन लकड़ी के मूल्य/परिवहन प्रभारों के प्रति की गई अधिक अदायगी सहित ₹31.12 करोड़ (₹18.80 करोड़ + ₹8.16 करोड़ + ₹4.16 करोड़) की रॉयल्टी भुगतान के लिए मांग नहीं की।

¹ चीड़ के वृक्ष पर रेज़िन टैप करने के लिए कट का चिन्ह

सरकार तथा विभाग को मामला जून 2017 में प्रतिवेदित किया गया था; विभाग ने (जुलाई 2017) उत्तर दिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने ₹72.27 करोड़ की रॉयल्टी भुगतान जून 2013 से मार्च 2017 के दौरान जारी किया। तथापि, जुलाई 2017 में उपलब्ध करवाए गए विवरण के अनुसार ₹31.12 करोड़ का भुगतान विभाग को किया हुआ नहीं पाया गया था। सरकार का उत्तर प्रतीक्षित था (दिसम्बर 2017)।

6.4 अंतर रेज़िन रॉयल्टी का भुगतान न करना

रेज़िन सत्र 2014 के लिए रेज़िन रॉयल्टी की अंतर राशि की मांग उठाने में विभाग की विफलता के परिणामस्वरूप ₹2.48 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा वन के संदोहन के लिए रॉयल्टी की दरों, नियमों एवं शर्तों का निर्धारण करने हेतु मूल्य निर्धारण समिति गठित की गई थी। मूल्य निर्धारण समिति ने 11 जुलाई 2014 को आयोजित की गई अपनी बैठक में रेज़िन सत्र 2014 के लिए ₹58.78 प्रति रेज़िन ब्लेज पर अस्थाई रॉयल्टी दरों को अनुमोदित किया था तथा फरवरी 2016 में आयोजित की गई बैठक में मूल्य निर्धारण समिति ने इन अस्थाई रॉयल्टी दरों को ₹75.30 प्रति रेज़िन ब्लेज पर नवीकृत किया।

लेखापरीक्षा ने रेज़िन ब्लेजों के भुगतान की विवरणियों से (अक्तूबर 2016 तथा फरवरी 2017 के मध्य) पाया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने रेज़िन सत्र 2014 के लिए मूल्य निर्धारण समिति द्वारा नियत की गई अंतिम रॉयल्टी दरों के आधार पर निकाली गई देय रॉयल्टी ₹10.80 करोड़ के स्थान पर ₹8.32 करोड़ की रेज़िन रॉयल्टी के भुगतान को जारी किया था। रेज़िन सत्र 2014 के लिए निर्धारित की गई रॉयल्टी दरों पर अंतर राशि ₹2.48 करोड़ रॉयल्टी की राशि की न तो विभाग द्वारा मांग उठाई गई और न ही हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने इसका भुगतान किया। इसके परिणामस्वरूप ₹2.48 करोड़ के राजस्व की अवसूली हुई। विभाग के पास समय पर बिल की मांग करने तथा संदेयों की वसूली का अनुगमन करने के लिए कोई उपयुक्त तंत्र नहीं था, जिसके परिणामस्वरूप संदेयों का लम्बे समय तक लम्बित रहे तथा उनकी वसूली नहीं हुई।

सरकार तथा विभाग को नवम्बर 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य मामला प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

6.5 रॉयल्टी के अल्प-भुगतान पर ब्याज का अनुद्ग्रहण

नवम्बर 2015 से जून 2016 में ₹6.52 करोड़ की रॉयल्टी के अल्प-भुगतान पर ₹70.47 लाख के ब्याज का विभाग द्वारा उद्ग्रहण नहीं किया गया था।

मूल्य निर्धारण समिति ने जुलाई 2007 के निर्णय के अनुसार, कम ऊंचाई वाले सल्विज लॉट पर रॉयल्टी की प्रथम किस्त के लिए 20 मार्च, द्वितीय किस्त के लिए 20 जून तथा अधिक ऊंचाई वाले लॉट्स के लिए 30 नवम्बर व 20 मार्च नियत की जो कि 2007-08 से आगे के लॉट्स के लिए लागू थी और 15 सितम्बर और 15 दिसम्बर राल (रेजिन ब्लेजिज) के लिए नियत की। मूल्य निर्धारण समिति ने 15 फरवरी 2005 की बैठक में निर्णय लिया कि हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रॉयल्टी के विलंबित भुगतान पर नौ प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज का भुगतान करेगी। यदि भुगतान रियायत अवधि के भीतर किया जाता है, तो 90 दिनों की रियायत अवधि स्वीकार्य होगी अन्यथा हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड रॉयल्टी के भुगतान की देय तिथि से ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगी।


रॉयल्टी के भुगतान से संबंधित अभिलेखों की 10 वन मण्डल अधिकारियों² की अगस्त 2016 तथा मार्च 2017 के मध्य लेखापरीक्षा संवीक्षा से उद्घाटित हुआ कि 2015-16 के दौरान 112 इमारती लकड़ी के लॉट्स (17 उच्च तथा 95 निम्न लॉट्स) दोहन के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम को सौंपे गए थे जिनके लिए ₹6.71 करोड़ की रॉयल्टी भुगतान योग्य थी। हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम ने ₹19.20 लाख का भुगतान निर्धारित तिथि पर किया तथा ₹6.52 करोड़ मार्च 2017 तक भुगतान हेतु शेष थे। रॉयल्टी के भुगतान में विलम्ब 31-03-2017 तक 284 तथा 487 दिनों के मध्य था। अतः रॉयल्टी के भुगतान के विलम्ब पर ₹70.47 लाख का ब्याज नवम्बर 2015 से जून 2016 की अवधि के लिए यद्यपि उद्ग्राह्य था परन्तु विभाग द्वारा उद्ग्रहित नहीं किया गया था।

² वन मण्डल अधिकारी चौपाल: 13 लॉट्स: ₹18.89 लाख, डल्हौजी: पांच लॉट्स: ₹10.55 लाख, करसोग: तीन लॉट्स: ₹25.78 लाख, राजगढ़: नौ लॉट्स: ₹0.55 लाख, रामपुर: चार लॉट्स: ₹0.41 लाख, रोहडू: नौ लॉट्स: ₹3.81 लाख, शिमला (खलिनी): 14 लॉट्स: ₹5.48 लाख, सोलन: दो लॉट्स: ₹0.51 लाख, ऊना: 51 लॉट्स: ₹1.65 लाख तथा कुनिहार: दो लॉट्स: ₹2.84 लाख

इसे इंगित किये जाने पर वन मण्डल अधिकारियों ने बताया कि रॉयल्टी तथा ब्याज की राशि को वसूल करने हेतु मामले को हिमाचल प्रदेश राज्य वन विकास निगम लिमिटेड के साथ उठाया जाएगा।


सरकार तथा विभाग को मामला अक्टूबर 2016 तथा जून 2017 के मध्य प्रतिवेदित किया गया था; उनके उत्तर प्रतीक्षित थे (दिसम्बर 2017)।

शिमला
दिनांक : 26 फरवरी 2018


(कुलवन्त सिंह)
महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

प्रतिहस्ताक्षरित

नई दिल्ली
दिनांक : 12 मार्च 2018


(राजीव महर्षि)
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक

अनुलग्नक

अनुलग्नक

अनुलग्नक-I

पैराग्राफ संदर्भ - 1.1.2: पृष्ठ 3 (फुटनोट) राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

रैंकरोड़ में		
अन्य गैर-कर राजस्व का विवरण		
क्रम संख्या	राजस्व शीर्ष	राशि
1	0050-लाभांश और लाभ	289.63
2	0051-लोक सेवा आयोग	15.54
3	0056- जेल	0.16
4	0057- आपूर्ति तथा निपटान	0.04
5	0058- लेखन सामग्री तथा मुद्रण	8.55
6	0071-पेंशन तथा अन्य के प्रति योगदान और वसूली	7.80
7	0202-शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति	112.22
8	0211- परिवार कल्याण	0.02
9	0215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता	46.82
10	0216-आवास	3.85
11	0217-शहरी विकास	7.12
12	0220-सूचना एवं प्रचार	1.91
13	0230-श्रम एवं रोजगार	7.19
14	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	5.57
15	0250- अन्य सामाजिक सेवाएं	0.03
16	0401-फसल कृषि-व्यवस्था	5.83
17	0403-पशुपालन	1.10
18	0405-मतस्य पालन	4.27
19	0407-वृक्षारोपण	0.00
20	0408-खाद्यान्न भण्डारण तथा गोदाम	0.20
21	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	0.48
22	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	2.46
23	0575-अन्य सामाजिक क्षेत्रों के कार्यक्रम	0.10
24	0702-लघु सिंचाई	1.30
25	0851-गांव और लघु उद्योग	0.65
26	0852-उद्योग	3.82
27	1054-सड़कें तथा पुल	14.52
28	1055-सड़क परिवहन	0.64
29	1425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.01
30	1452-पर्यटन	0.76
31	1456-नागरिक आपूर्ति	4.22
32	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.53
योग		552.34

अनुलग्नक-II

पैराग्राफ संदर्भ -2.3.1: पृष्ठ 14 परिचय

क्रम संख्या	वैट-आई.टी. परियोजना के विभिन्न माड्यूल के अंतर्गत शामिल की गई गतिविधियां
1	व्यापारियों का पंजीकरण तथा व्यापारियों द्वारा प्रस्तुत की गई बुनियादी सूचना का प्रबन्धन
2	मूल्य वर्धित कर तथा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियमों के अंतर्गत कर के भुगतान का अभिलेख
3	रिटर्न प्रबन्धन
4	रिफंड
5	अपीलें
6	देख-रेख का पुनः निरीक्षण करना
7	वसूली प्रबन्धन
8	बहुउद्देशीय चैक-पोस्ट/बैरियरज
9	माना गया निर्धारण
10	निर्धारण मामलों तथा संस्था के रजिस्टर में निर्धारणों तथा उनकी प्रविष्टि करना
11	प्रवर्तन तथा निरीक्षण
12	संरचना के माध्यम से कर का एक-मुश्त भुगतान
13	आवंटित किये गए निर्माण अनुबंधों की संख्या तथा निर्माण ठेकेदारों की बीजकों एवं बिलों से कर की कटौती
14	वार्षिक व्यापार वस्तुओं के अनुसार कर की रिटर्ने
15	उद्योगों को प्रदत्त प्रोत्साहन
16	अन्य अधिनियम तथा विनियम इत्यादि

अनुलग्नक-III

पैराग्राफ संदर्भ -2.3.4: पृष्ठ 18-मूल्य वर्धित कर-आई.टी. परियोजना की वित्तीय प्राप्ति

क्रम संख्या	एम.एस.ए. के अंतर्गत कार्य का नाम
1	आवेदन-विभाग की जरूरतों को पूरा करने के लिए मूल्य वर्धित कर आवेदन का अनुकूलन
2	प्रणाली का अध्ययन तथा विनिर्देशों-कराधान की विद्यमान प्रणाली का अध्ययन, आवश्यकता विश्लेषण आयोजित करना तथा कार्यात्मक आवश्यकताओं का चित्रण
3	सॉफ्टवेयर का विकास तथा अनुकूलन
4	चल रहे सॉफ्टवेयर संशोधन और विकास
5	कार्यान्वयन
6	कर सूचना विनियम प्रणाली के लिए प्रतिवेदन
7	सूचना प्रणाली सुरक्षा जागरूकता प्रशिक्षण सहित प्रशिक्षण, मूल्य वर्धित कर आवेदन उपयोगकर्ता प्रशिक्षण एवं मूल्य वर्धित कर आवेदन प्रणाली प्रशासन प्रशिक्षण
8	समर्थन
9	हार्डवेयर
10	वेब-पोर्टल हेल्प डेस्क तथा सुविधाएं प्रबन्धन
11	नेटवर्किंग
12	प्रणाली एकीकरण
13	अनुलग्नक में विवरण के अनुसार लीगेसी डाटा कनवर्जन
14	साइट तैयारी
15	सूचना प्रणाली आवश्यकताएं

अनुलग्नक-IV

पैराग्राफ संदर्भ -2.3.6: पृष्ठ 19-लैंगेसी डाटा कनवर्जन

क्रम संख्या	डाटा/रजिस्टर	डिजिटल होने की अवधि	वालयूम (रिकॉर्ड)
1	पंजीकृत व्यापारियों का रजिस्टर-सभी व्यापारी	1 अप्रैल 2005 से आगे	27,772
2	प्राप्ति तथा घोषणा को जारी करना	1 अप्रैल 2005 से आगे	1,38,860
3	सहायक निर्धारण प्राधिकारी द्वारा प्रपत्रों का रखाव करना वैट-26 डी. एवं ई. प्रपत्र (व्यापारी अनुसार)	1 अप्रैल 2005 से आगे	1,38,860
4	बैरियर पर प्राप्त किये गए अपंजीकृत व्यापारियों के वी.टी.26-ए	1 अप्रैल 2005 से आगे	41,658
5	बैरियर पर प्राप्त किये गए पंजीकृत व्यापारियों के वी.टी. 26-ए	1 अप्रैल 2005 से आगे	97,202
6	निर्धारण रजिस्टर	1 अप्रैल 2005 से आगे	शून्य
7	अपीलें, संशोधन के आवेदन/स्वतः सज्ञान संशोधन	1 अप्रैल 2005 से आगे	शून्य
8	रिटर्न रजिस्टर	1 अप्रैल 2005 से आगे	1,66,632
9	मांग तथा संग्रहण रजिस्टर	1 अप्रैल 2005 से आगे	27,772
10	दैनिक संग्रहण रजिस्टर	1 अप्रैल 2005 से आगे	1,66,632

अनुलग्नक-V

पैराग्राफ संदर्भ: 2.3.16: पृष्ठ 24-वेब पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां (एप्लीकेशन)

1	सर्वर कक्ष के लिए पहुंच नियंत्रण निर्धारित नहीं है तथा मोबिनीयरज एवं आई.पी. के सभी कर्मचारियों के लिए खुला है
2	जोखिम मापदंडों की पहचान करना तथा चूक जोखिम के लिए व्यापारी अनुसार रेटिंग प्रदान करना
3	बिक्री से स्टॉक की तुलना तथा पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार उचित अलर्ट जारी करना
4	बिक्री की खरीद अनुपात से तुलना तथा उचित अलर्ट जारी करना
5	प्रत्येक अपीलीय प्राधिकारी द्वारा निपटान तथा लम्बित अपीलों के संस्थान पर त्रैमासिक प्रतिवेदन
6	विवादित कर राशियों सहित किये गए अपीलीय प्राधिकारी अनुसार संशोधनों पर त्रैमासिक प्रतिवेदन
7	चूक-कर्ता व्यापारियों इत्यादि को वसूली के लिए नोटिस जारी करना तथा उन पर नज़र रखना
8	भुगतान की प्राप्ति पर निर्धारण सर्कल कार्यालय अभिलेखों का स्वतः अद्यतन करना तथा भुगतानों का दैनिक संग्रहण रजिस्टर, मांग एवं संग्रहण रजिस्टर के साथ स्वतः ही मिलाप करने की सुविधा प्रदान करना
9	वाहनों के आगमन की जानकारी पर नज़र रखना
10	निर्धारित अनुसार तथा वर्ष अनुसार आवधिक प्रतिवेदन (i) पिछले वर्ष के विरासत में मिले लम्बित निर्धारित मामले, (ii) वर्ष के प्रारम्भ में संस्थापित हुए नए मामलों, (iii) वर्ष के दौरान निपटान किये गए मामले तथा (iv) वर्ष के अन्त में लम्बित पड़े मामले
11	सृजित की गई अतिरिक्त मांग, वसूल की गई तथा बकाया पर आवधिक प्रतिवेदन। पुर्न-निर्धारण पर इसी प्रकार का प्रतिवेदन
12	विभिन्न श्रेणियों के कर दाताओं तथा दी गई अवधि के दौरान भुगतान की गई राशियों, श्रेणी-वार एवं समग्र भुगतान पर आवधिक प्रतिवेदन
13	निर्माण कार्य अनुबंध की सकल बिक्री के विवरण जिसके लिए ठेकेदार द्वारा बिलों/बीजकों की मांग उठाई गई है तथा कार्य करवाने वाले ठेकेदारों ने भुगतान किया गया है को कब्जे में
14	धारा 17 तथा नियम 38 के अंतर्गत काटी गई तथा ठेकेदारों के खातों में भुगतान की गई राशियों से संबंधित विवरण को कब्जे में लेना (जो एक पंजीकृत व्यापारी होना चाहिए)
15	(i) व्यापारी जो औद्योगिक इकाईयां चला रहे हैं एवं माल का उत्पादन कर रहे हैं, (ii) चाहे नये उद्योग या विद्यमान उद्योग या उद्योग उपक्रम पर्याप्त विस्तार के लिए (iii) उनकी सकल बिक्री (iv) कर योग्य सकल बिक्री जिसको (ए) विस्तार करके (आंशिक या पूर्ण), (बी) मोहलत दे कर (आंशिक या पूर्ण), (सी) पर्याप्त विस्तार के कारण मोहलत दे कर या (डी) आस्थगित कर देयता का 65 प्रतिशत की दर से अग्रिम भुगतान की सुविधा के लिए सम्मिलित किया गया है (v) कर प्रभाव, (vi) अन्य पहलुओं को कब्जे में लेने की सुविधा।
16	प्रोत्साहनो का फायदा ले रहे व्यापारियों की संख्या, (बी) प्रोत्साहन की प्रकृति, (सी) सकल बिक्री आदि पर आवधिक प्रतिवेदन
17	क्षेत्रीय कार्यालयों से विभागाध्यक्षों तथा मुख्यालयों से सरकार को जैसे कि प्रदान किये गए हों, पर आवधिक प्रशासनिक प्रतिवेदनों से संबंधित विवरण
18	अपंजीकृत व्यापारियों पर नज़र रखने योग्य
19	आवेदन की स्थिति तथा प्रासंगिक तिथियों पर नज़र रखने, बिलम्बों पर अलर्ट प्रदान करने पर ध्यान रखने इनके लिए कारणों की रिकॉर्डिंग की सुविधा प्रदान करना
20	जांच तंत्र का उपयोग करते हुए झूठे रिफंड दावों की पहचान करना
21	बेहतर गुणवत्ता निर्धारणों के लिए वर्गीकरण तालिकाओं तथा अधिकरण/उच्च न्यायलय/सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंच
22	प्रबन्धन सूचना प्रणाली की अपीलों-विभिन्न खोज मापदंडों के साथ मामलों का कर लम्बन, मामलों के विवरण के लिए सांविधिक रजिस्ट्रों का रख-रखाव, अपीलों की स्थिति, विवादित कर वार, वर्ष वार अपीलों की स्थिति, सर्कल वार, कार्यालय वार निर्धारण अपीलों की स्थिति
23	रिट, एस.एल.पी.ए.एल.पी.ए. के विवरण को कब्जे में लेना
24	राशि वार रोके गए मामलों पर प्रबन्धन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन
25	आबकारी अधिनियम तथा संबद्ध अधिनियमों के द्वितीय मॉड्यूल के बारे में कार्यात्मकता अभी कार्यान्वित की जानी है।

अनुलग्नक-VI

पैराग्राफ संदर्भ -2.3.16: पृष्ठ 24-वेब-पोर्टल तथा एप्लीकेशन में कमियां (वेब-पोर्टल)

1	सभी संबंधित अधिनियमों तथा नियम वेब पोर्टल पर प्रस्तुत नहीं है।
2	विभाग के संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों को अद्यतन नहीं किया जा रहा था।
3	पी.आई.ओ. की सूची के अतिरिक्त विभाग से सूचना प्राप्त करने हेतु सूचना के अधिकार की धारा के अंतर्गत फार्म पुराने हैं।
4	संगठन संरचना, विभाग के कार्यालयों का एक इंटरैक्टिव नक्शे के माध्यम से स्थानिक वितरण करना। प्रत्येक कार्यालय पर उपलब्ध हाइपरलिंक उसी कार्यालय का विस्तृत पता, संपर्क नंबर तथा उसके अधिकारियों को प्रदर्शित करें।
5	वस्तुओं के आधार पर कर की दरों पर खोज करना। एक वर्णमाला खोज विकल्प जहां सभी वस्तुएं चयनित किये गए वर्ण के साथ प्रारम्भ होती हैं, विस्तृत पृष्ठ पर जिस पर कर की दरों को रखा गया है तथा छूट नोटिस से लिंक है, यदि कोई है, हाइपरलिंक के साथ प्रदर्शित की जाएगी।
6	सभी मुख्य कर दाताओं तथा चूक-कर्ताओं की भुगतान की गई राशि सहित/रह गई चूक की सूची।

अनुलग्नक -VII

पैराग्राफ संदर्भ-5.3: पृष्ठ 76-सांकेतिक कर की अवसूली

क्रम संख्या	वाहन की श्रेणी	पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारियों/क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों के नाम	अवधि	नमूना जांच किये गए कुल वाहन	कर भुगतान न करने वाले वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि (₹करोड़ में)
1	निजी स्टेज कैरिज बसें/मीनी बसें/मैक्सी कैब/टैक्सी (यात्री वाहन)	पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी-अम्ब, बिलासपुर, देहरा, कांगड़ा, मण्डी, पालमपुर, राजगढ़, रोहडू तथा सरकाघाट क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, नाहन, शिमला, सोलन तथा ऊना राज्य परिवहन प्राधिकारी- शिमला	2013-14 से 2015-16	1,287	501	0.85
				4,890	2,213	1.31
				595	247	0.30
				योग (ए)	6,772	2,961
2	भारी/मध्यम/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर (वाणिज्यिक) (माल वाहन)	पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी-अम्ब, अर्को, बिलासपुर, चोपाल, देहरा, कांगड़ा, मण्डी, मनाली, पालमपुर, परवाणू, राजगढ़, रोहडू, सरकाघाट तथा शिमला (ग्रामीण) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बिलासपुर, चम्बा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सोलन तथा ऊना राज्य परिवहन प्राधिकारी-शिमला	2013-14 से 2015-16	9,486	4,925	1.67
				7,970	3,662	0.64
				400	230	0.08
				योग (बी)	17,856	8,817
3	क्रेन, रिकवरी वैन आदि (निर्माण वाहन)	पंजीयन एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी-अम्ब, अर्को, बिलासपुर, देहरा, कांगड़ा, मण्डी, राजगढ़, रोहडू, तथा शिमला (ग्रामीण) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी-बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, तथा ऊना राज्य परिवहन प्राधिकारी- शिमला	2013-14 से 2015-16	480	243	0.45
				530	317	0.31
				80	27	0.05
				योग (सी)	1,090	587
योग (ए)+(बी)+(सी)				25,718	12,365	5.66

अनुलग्नक-VIII

पैराग्राफ संदर्भ-5.6: पृष्ठ 79-आबकारी एवं कराधान विभाग के पास वाणिज्यिक वाहनों को पंजीकृत न करना

₹ लाख में							
क्रम संख्या	वाहन का प्रकार	मोटर वाहन कराधान अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत वाहनों की संख्या	आबकारी एवं कराधान विभाग के पास पंजीकृत किये गए वाहनों की संख्या	वसूली योग्य राशि			
				यात्री कर	माल कर	वसूली योग्य कुल राशि	₹500/- प्रति वाहन की दर से न्यूनतम शास्ति
1.	यात्री वाहन (मैक्सी कैब/टैक्सी)	2,179	530	12.29	--	12.29	2.65
2.	यात्री वाहन (शैक्षणिक संस्थान बसे)	82	28	1.86	--	1.86	0.14
3.	माल वाहन (भारी माल वाहन/मध्यम माल वाहन/हल्के माल वाहन/ट्रैक्टर)	4081	2403	--	98.59	98.59	12.02
योग		6,342	2,961	14.15	98.59	112.74	14.81
अर्थात् ₹1.13 करोड़							

© भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

[www. aghp.cag.gov.in](http://www.aghp.cag.gov.in)